खण्ड-366, अंक-5
बुधवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1906
(28 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश	6
प्रश्नोत्तर	6–43
अतारांकित प्रश्न संख्या 73 एवं 80 का उत्तर ठीक प्रकार से न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	43
अतारांकित प्रश्न संख्या 63 को पुनः स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	43–44
भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण कान्त अवस्थी तथा श्री भगौती प्रसाद शुक्ल के निधन पर शोकोद्गार	44–46
पर्वतीय क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्य सामग्री के अभाव से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46–47
लोनी कटरा (बाराबंकी) की पुलिस द्वारा जिला किसान संघ के अध्यक्ष श्री गुरु बख्श को पीटने व जेल भेजने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
बरेली विकास एवं गृह स्थान योजना–7 द्वारा पीलीभीत बाईपास के निकट बसे गाँवों की जमीन को अधिग्रहीत किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47–48
लोहई (जालौन) में हरिजनों को दिए गये भूमि के पट्टों पर कब्जा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
जरगो जलाशय (मिर्जापुर) से निकली भूमि की फसल को सीताराम जायसवाल पुलिस कर्मी रामनगर (वाराणसी) द्वारा जबरन काटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
पूर्वी उत्तर प्रदेश की ताड़ी की दुकानों का विक्रय हेतु लाइसेन्स पासी जाति के व्यक्तियों को दिए जाने की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48–49
बेहटा, जिला हरदोई निवासी श्री गोकुल की बिजली के तार से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचनाएं	49
बोर्ड की हो रही परीक्षा में उर्दू प्रश्न पत्र के ठीक छपे न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	49
दिनाँक 7 मार्च, 1984 को वित्त मन्त्री की घोषणा के बाद भी मण्डी शुल्क की छूट न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	49–50
उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश के सम्बन्ध में याचिका ..	50–52
रविवार पत्रिका के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना की माँग	52
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	52–61

1984–'85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–
अनुदान संख्या–71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान),
अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन),
अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन),
अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन),
तथा अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन),
(स्वीकृत) 61–100

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 100

जनपद उन्नाव के हसनगंज थाने के निकट कुछ गुन्डों द्वारा "दैनिक जागरण" के संवाददाता श्री राम नरेश सिंह की पिटाई के फलस्वरूप पत्रकारों में असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य 100–101

फतेहपुर सीकरी (आगरा) क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करने हेतु एक समिति गठित किए जाने का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव .. 101–105

पत्तियाँ 106–121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनाँक 28 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—381

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर इमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खाँ, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री — बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहाँपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी

ए0 सी0 प्राइस नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय

ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह मोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री — एटा
कैलाश टंडन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरफत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह राँगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा

चन्द्र वली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बाँदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्दर सिंह, श्री	मेरठ
चेतराम गंगदार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शकर सिंह, श्र	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह ि ष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच

धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहाँपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्म प्रस द सिंह, श्री	बस्ती
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
वंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर

बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला", श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भीम सिंह सीना, श्री	मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अवरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी	श्री वाराण सी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रतीराम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा०	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी

राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बाँदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल,	टिहरी गढवाल

विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शिरोमणि, श्री	बाँदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बाँदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गजियाबाद

सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह ,श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सैयद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरनरायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेम चन्द्र निमेष, श्री	मेरठ

प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूं कि जब प्रश्न आते हैं तो बहुत से माननीय सदस्य उन पर बोलना चाहते हैं इसमें दो राय नहीं है कि जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और तमाम सूबों से सम्बन्धित हैं उन पर बोलने का अधिकार दूसरे को भी होगा, इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दूसरे को भी होगा। लेकिन उधर से शोर मचता है कि हमारा प्रश्न रह गया है तो जिस माननीय सदस्य का प्रश्न होगा उसको वरीयता मिलनी चाहिए।

किसी-किसी प्रश्न में दूसरे माननीय सदस्य पूछ सकते हैं, लेकिन यह नीति जो है कि सब लोग खड़े हो जाते हैं। इसमें वक्त बहुत खराब होता है और जिस माननीय सदस्य का प्रश्न होता है उसको समय नहीं मिल पाता।

दूसरी बात यह है कि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जो न्यायालय के विचाराधीन होते हैं और बहुत से माननीय सदस्य उसमें अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं तो न्यायालय के विचाराधीन प्रश्नों के बारे में जो उत्तर आए उसमें कम से कम समय में माननीय सदस्य अपनी बात कहें।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 28 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के असहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षालयों के शिक्षकों की प्रमुख मांगें

**1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के असहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षालयों के शिक्षकों के प्रतिनिधि गत 27 फरवरी, 84 से विधान भवन के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो उनकी प्रमुख माँगें क्या हैं एवं उनको पूरा न किए जान के क्या कारण हैं?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री राम सिंह)—

जी नहीं।

प्रश्नगत अनशन समाप्त हो चुका है। इनकी प्रमुख माँग असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने की है। इस सम्बन्ध में उल्लेख्य है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार ही सीमित संख्या में विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाता है। समस्त विद्यालयों को एक साथ अनुदान सूची पर लेना सम्भव नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी का जो उत्तर है इसमें मैंने पूछा है कि प्रमुख माँगें क्या हैं माननीय मन्त्री जी ने एक माँग की बात की है बहुवचन को एक वचन में बदल दिया है, माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने आश्वासन दिया था कि इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान सूची के अन्तर्गत ले लिए जायेंगे?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जहाँ तक उनकी अन्य माँगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो वह छः सात माँगें हैं आप आज्ञा दें तो पढ़ दूंगा। लेकिन मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था कि कितने विद्यालय लिए जायेंगे। मैंने आश्वासन दिया था कि यथा-सम्भव प्रयास किया जायेगा और जितना सम्भव हो सकेगा उसको अनुदान दिया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशक ने कोई यह संस्तुति की है कि दो सौ विद्यालयों को तत्काल अनुदान सूची में लिया जाए?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल वित्त मन्त्री जी को पत्र लिखा है कि हम चाहते हैं प्रदेश के इस प्रकार के 200 विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने का प्रयास किया जाय। लेकिन वित्त कितना मिलता है कितना धन मिला है यह तो डिपार्टमेन्ट में आने के उपरान्त मालूम होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से रुचि ली है कि

अनुदान सूची बनाई जाय लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वित्तीय संकट की बात हो सकती है लेकिन एक रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाये तो वित्तीय भार सरकार पर नहीं आता। और ऐसी व्यवस्था विद्यालयों के संकट को देखते हुए तत्काल न करने का क्या कारण है कि पूरा अनुदान भी न दिया जाय, तो 200 रुपए का प्रतीक अनुदान अवश्य दे दिया जाय ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं कि इस वर्ष मात्र एक रुपया ही देंगे तो अन्ततोगत्वा, उनका पूरा भार वेतन एवं अन्य का उठाना ही पड़ेगा और फिर इस साल 200 रु0 की आवश्यकता होगी तो भविष्य में पूरे संसाधन देखने होंगे, इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाता है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मन्त्री ने 30 मार्च, 1975 को विधान सभा में घोषणा की थी कि जो वर्तमान असहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनको 3 वर्ष के अन्दर 200 रुपए देकर अनुदान सूची में ले लिया जायगा और भविष्य में उनको मान्यता प्रदान कर अनुदान सूची में सम्मिलित समझा जायगा ? दूसरी बात यह है कि क्या शिक्षा विभाग के पास दो लाख रुपया इस बात के लिए उपलब्ध है और उन्होंने यह लिखा हुआ है कि एक-एक हजार रुपया टोकेन अनुदान देकर 200 विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित कर लिया जायगा ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया है कि हमारा प्रयास चल रहा है और मैंने स्वतः लिखा है वित्त मन्त्री जी को और साधन उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से मेरी यही भावना है कि छोटे-छोटे विद्यालयों को अनुदान सूची में ले लिया जायगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब यह शासन की स्पष्ट नीति है कि कोई भी कर्मचारी या अध्यापक, जिसे विधिवत नियुक्त किया जायगा, जिसका विधिवत अनुमोदन लिया जायगा, उसे नियुक्ति और पूरा वेतन देने की गारन्टी दी जायगी। इसके तहत माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को भी शासन नियुक्ति की तिथि से, जब से अनुमोदन लिया जाता है नियमित रूप से वेतन दिलवाने की व्यवस्था करेगा ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जहाँ तक सहायता प्राप्त विद्यालयों की बात है, स्वतः माननीय सदस्य जानते हैं कि हम उनका पूरा दायित्व ग्रहण करते हैं। जहाँ तक गैर शासकीय विद्यालयों की बात है। यह प्रबन्धकों और अध्यापकों के बीच की बात ह कि वह किस प्रकार और कितना भुगतान करते हैं। यह कि भुगतान पूरा हो रहा है या नहीं, मैं नहीं कह सकता।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माँग-पत्र दिया गया है शासन को, उसमें माँग यह भी दी गयी है कि हाई स्कूल में जिन कालेजों का प्रमोशन हो जाता है इन्टरमीडिएट कालेज में, तो जो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं उनको ही इण्टरमीडिएट में प्रमोट कर दिया जाता है तो क्या कारण है कि मिडिल स्कूल को जब हाई स्कूल में बदला जाता है तो शासन को क्या कठिनाई है, जहाँ तक सेलेक्शन करने की बात है कि मिडिल स्कूल के ही प्रधानाचार्य को हाई स्कूल में प्रमोट करने में क्या कठिनाई है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जिस समय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इण्टर कालेज बनाया जाता है, उसमें जो प्रधानाचार्य का चयन होता है, मान्यवर, वह हमारा जो शिक्षा चयन बोर्ड है, उसके द्वारा होता है। यह इस तरह की एक प्रक्रिया है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल या जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें मात्र बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति होती है, उनका नामित सदस्य बैठकर चयन कर लेता है। इसलिए शासन की दृष्टि से और मैं व्यक्तिगत रूप से कहना

चाहता हूं कि जो योग्य अभ्यर्थी लेने होते हैं तो जो चयन बोर्ड है, वह निर्णय लेता है। पहले बोर्ड द्वारा चयन न होने पर भाई-भतीजावाद की बात होती है। इसलिए उन्हें प्रधानाचार्य का प्रमोशन करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री पंचानन राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। कम से कम आप पहले इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करवा दें कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं का उत्तर दिया जाय. . . ,

श्री अध्यक्ष—

मैं शासन को बाध्य नहीं कर सकता हूं कि वह इसका उत्तर दें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने कहा था कि 30 मार्च, 1975 को माननीय शिक्षा मन्त्री श्री अम्मार रिजवी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि जो प्रदेश में 700 सहायक विद्यालय हैं उनमें से 200 विद्यालयों को हम प्रति वर्ष अनुदान सूची में शामिल करेंगे और भविष्य में जिन्हें मान्यता दी जायगी, उनको अनुदान सूची में शामिल किया हुआ समझा जायगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि क्या वित्त मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश ने शिक्षा विभाग को यह लिख कर भेजा है कि हमारे पास 2,00,000 रुपया है, इसलिए आप 200 विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय को 1000 रु0 टोकन ग्रान्ट देकर उन्हें अनुदान सूची में शामिल कर लिया जाय ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जहाँ तक तत्कालीन शिक्षा मन्त्री जी ने 1975 में जो आश्वासन दिया था, मैं समझता हूं कि उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। यदि उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, तो माननीय सदस्य मेरे पास लिखकर भेज दें, मैं उसे दिखवा लूंगा। वैसे 1975 के बाद तो 1977 में दूसरी सरकार आई। उन्होंने इसमें कुछ बदला होगा और इसमें कुछ किया कि नहीं, अनुदान सूची में लाए कि नहीं ? जहाँ तक प्रत्येक विद्यालय को 1000 रु0 टोकन ग्रान्ट देने की बात है, हमें केवल इसी साल की बात ही नहीं देखना है, हमें तो आने वाले वर्षों को भी देखना है कि कितना व्यय होगा। यह सारा का सारा प्रकरण विचाराधीन है। इतना ही मैं कह सकता हूं 31 मार्च, तक, इस पर विचार चल रहा है, हो सकता है इस पर कोई निर्णय भी हो जाय।

श्री गौरी शंकर भैथ्या—

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि जो सवाल किए जाते हैं, उन्हीं का उत्तर आना चाहिए और आप सही उत्तर दिलवाने के लिए सरकार को बाध्य भी कर सकते हैं। मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि अध्यापकों ने शासन को अपना एक माँग-पत्र दिया था। उसमें उनकी प्रमुख माँग यह थी कि जब मिडिल स्कूल हाई स्कूल में उच्चीकृत होता है, तो उनके प्रधानाचार्य को भी प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार हाई स्कूल का उच्चीकरण जब इण्टरमीडिएट में होता है तो योग्य व्यक्ति को प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति मिल जाती है। तो क्या शासन में इस सम्बन्ध में कोई ऐसी नीति विचाराधीन है कि उनको प्रमोट करेंगे ? यदि हां, तो क्या नीति है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस पर विचार किया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के ऊपर जनता सरकार का भूत सवार है। वह यहाँ पर जनता पार्टी के बारे में कुछ कह ही दिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि 1978–79 में जनता सरकार ने 190 सहायक विद्यालयों को अनुदान की सूची में शामिल किया था, तब से अब तक इन्होंने कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया है, इसे माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें ? मान्यवर, जब विद्यालय की मान्यता वाली बात होती है तो पहले फाइल फाइनेन्स डिपार्टमेंट को जाती है और जब वह ओ0के0 कर देता है तब मान्यता दी जाती है। माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने मान्यता हेतु ओ0के0 कर दिया है तो उन्हें अनुदान न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जहाँ तक हमारी नीति विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की है, वहीं यह भी है कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाय। केवल संसाधन और अनुदान देने से ही काम चलने वाला नहीं है। अनुदान तो हमने दे दिया है, किन्तु बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रहे, तो इससे क्या फायदा। आप 200 विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की बात करते हैं और प्रदेश की आवश्यकता 300 विद्यालयों की है। यदि हम ऐसा ही करेंगे तो हमारे विद्यालय खुलने बन्द हो जायेंगे और हमारे बच्चों का जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, वह समाप्त हो जायगा, इसलिए मैं समझता हूं कि इसका औचित्य नहीं है।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर तो आया नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 49 में चर्चा की माँग के लिए कह सकते हैं, लिख सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि 1979–80 में 190 स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया गया उसके बाद अब तक कितने स्कूल अनुदान सूची में लाए गये। यह पूछा था, इसका जवाब आया नहीं, आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, जो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं यथासम्भव, जहाँ तक हो सके, पत्रावली आदि देखकर उस पर खासतौर से तैयारी करने के बाद भविष्य में, उत्तर दिया करें।

रिंग मशीनों हेतु मांगे गये टेण्डर, न्यूनतम धनराशि के ठेण्डर की स्वीकृति

**2—श्री सरदार सिंह तथा

श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पब्लिक ट्यूबवेल इंवेस्टीगेशन प्लानिंग डिवीजन एण्ड प्रक्योरमेण्ट सर्किल, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा रिंग मशीनों के लिए दिनाँक 26-10-83 को टेंडर माँगे गए थे? क्या यह सही है कि उसमें सबसे न्यूनतम धनराशि वाली फर्म का टेंडर न स्वीकार कर उससे उच्चतर धनराशि वाली फर्म का टेंडर स्वीकार किया गया है जिससे शासन को लगभग 10 लाख रुपए की क्षति हुई है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनाँक 13–2–1984 का पत्र मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई एवं उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हाँ।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत रिंग मशीनों के क्रय हेतु दिनाँक 26–10–83 को टेंडर खोले गए। प्राविधिक दृष्टि से उपयुक्त सबसे न्यूनतम टेंडर विश्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात स्वीकार किया गया। अतः शासन को कोई क्षति होने का प्रश्न नहीं उठता है।

जी हाँ। श्री सरदार सिंह विधायक का पत्र दिनाँक 13–2–84 इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है जिसमें वर्णित शिकायतों की जाँच करवाई जा रही है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, इस सन्दर्भित मामले में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मन्त्री जी के यहाँ इस तरह का जी0ओ0 है कि जो प्रदेश की फर्म हैं, उनको प्रदेश की बाहर की फर्मों के मुकाबले वरीयता दी जायगी। मान्यवर, अपने प्रदेश की फर्म का सबसे न्यूनतम दर का टेंडर था और जिसको सप्लाई का मौका दिया गया है, उसका इससे उच्चतर था। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण थे कि अपने प्रदेश की फर्म के न्यूनतम टेंडर के बावजूद भी दूसरी फर्म को, जिसका टेंडर उच्चतर था मौका दिया गया और जिसका पूर्व इतिहास भी ज्यादा खराब था?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, टेंडर की कुछ शर्तें होती हैं, जो लोग टेंडर की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, उनका टेंडर स्वीकार नहीं होता है। तो मान्यवर, इसमें ऐसी ही बात है, यह फर्म ने जो टेंडर दिया था, उसके आधार पर उस

को सप्लाई करने के लिए कहा गया था। टेंडर में था कि 7 माह में सप्लाई करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि 14 माह में सप्लाई कर पायेंगे। वह काम 7 माह में होना था, उसके लिए 14 माह की इन्तजारी कैसे कर सकते थे। दूसरी बात टेंडर स्पेसीफिकेशन के अनुसार मशीन की क्षमता अधिकतम 250 मीटर गहराई तक होनी चाहिए थी, यह हमने कहा था कि क्षमता का अधिकतम 250 मीटर गहराई तक होनी चाहिए। जबकि उन्होंने कहा कि हमारी मशीन 200 मीटर तक ही जा सकती है। तो इसमें यह भी बात थी। इसके अलावा यह भी शर्त थी कि फर्म को आर्डर के 10 प्रतिशत मूल्य के बराबर जमानत, मशीन की परफारमेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा करने की सहमति देनी थी। उन्होंने इसको भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जब हम सप्लाई करेंगे तो उसके बिल में से इसे काट लिया जाय। यह भी उस टेंडर शर्त के विपरीत था। इसके अलावा इसकी बाबत इनका कोई पुराना अनुभव नहीं है। यह सब बातों को देखते हुए यह देखा गया है कि जो विश्व बैंक के टेंडर की हमारी शर्तें होती हैं, उसे हम न बदलें, जो मान्य शर्तें हैं उसे पूरा होना चाहिए, नहीं तो विश्व बैंक मानेगा नहीं कि शर्त के अनुसार काम नहीं किया। इसलिए इसके बाद जो दूसरे नम्बर की फर्म थी, उसको दे दिया गया।

श्री यदुनाथ सिंह---

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। आपने टेंडर शर्त को बताया और बताया कि विश्व बैंक की टेंडर शर्त के अनुसार स्वीकार किया। मान्यवर, यह मशीन खरीद का मामला है, मशीन खरीद में निश्चित है कि कमीशन होता है, इसमें कमीशन बाजी हुई है और इसलिए उच्चतर दर के टेंडर को, जो पंजाब का था, को स्वीकार किया गया। विश्व बैंक आपके विभाग को पैसा दे दे तो क्या यह बाध्यता है कि विश्व बैंक की जो टेंडर की शर्त है, उससे स्वीकार करें? ऐसा कोई प्राविजन नहीं है। दूसरे क्या यह जो मशीन है, इसका पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग मूल्य है? मार्केट वैल्यू अलग-अलग है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, मैंने बताया कि जो भी टेंडर की शर्त होती है, चाहे वह टेंडर उत्तर प्रदेश का हो या चाहे कहीं और का हो, उसमें सबसे पहली चीज यह है कि जो शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना। इस फर्म ने टेंडर की शर्त को पूरा नहीं किया।

जब शर्त पूरी नहीं की, तो इस पर विचार करने का सवाल ही नहीं हुआ। जो टेंडर की शर्त को पूरा करते थे, उनके बीच में जो 'लोएस्ट' थे, उनको दे दिया गया। विश्व बैंक की जो बात कही गयी तो विश्व बैंक की जो शर्त है उसमें दिया गया है कि उसमें क्या-क्या करना पड़ेगा, किस क्वालिटी की मशीन होगी, कैसे टेंडर करना होगा। देखना होता है कि शर्त के अनुसार काम कर सकते हैं या नहीं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

मौजा उस्मान, तहसील चुनार जिला मिर्जापुर के कतिपय प्लाटों का उद्योग विभाग द्वारा अधिग्रहण, मुआवजे की मांग

*1---श्री भीखा लाल---

क्या मा0 उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लाट सं0 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 एवं 233 जुमला 18 गाटा रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा 1 धूर भूमि स्थित मौजा उस्मानपुर, तहसील चुनार, परगना चुनार हवेली, जिला मिर्जापुर जोकि श्री नन्द किशोर आदि के नाम थी और जिसे उद्योग विभाग के लिए वर्ष 1978 में भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया था, उसका कब्जा लेने के बावजूद अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया और न तो कोई एवार्ड घोषित किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? जबकि उस इलाके में अन्य अधिग्रहीत भूमियों के 1980 तक के मामले एवं मुआवजे दिए जा चुके हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हाँ। सन्दर्भित प्लाटों में इमारती लकड़ी के वृक्ष स्थित होने के कारण प्रतिकर का निर्धारण वन विभाग के परामर्श से किया जाना था। समस्त कार्यवाही के उपरान्त प्रतिकर निर्धारण का मामला आयुक्त वाराणसी को स्वीकृति हेतु भेजा गया था जिस पर आयुक्त द्वारा कुछ आपत्तियाँ उठाई गयी हैं। आपत्तियों का निराकरण कर सम्पूर्ण मामला पुनः आयुक्त, वाराणसी को भेजने की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

श्री भीखा लाल--

यह भूमि, जिसका सन्दर्भ है, 1978 में अधिग्रहीत की गयी थी, 6 साल होने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में तीन बातें जानना चाहता हूं :--

1--जमीन पर उद्योग विभाग ने कब कब्जा लिया ?

2--वन विभाग से परामर्श करने के बाद कमिश्नर को कागजात कब भेजे गए ?

3--कमिश्नर ने अपने एतराज के साथ जिलाधिकारी को कब वापस किया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है, 26-9-79 को कब्जा लया गया। इसमें जब निर्धारण किया गया कि क्या-क्या देना है तो देखा गया कि कुछ पेड़ हैं और जो मूल्यांकन किया था लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर ने, उसमें देखा गया कि जो पेड़ थे, उसका पूरा मूल्यांकन नहीं हुआ था, इसलिए वन विभाग को भेजा गया मूल्यांकन कर लें तब मूल्य तय किया जाय। जहाँ पहले मूल्यांकन 1,02,934 रु0 का था वहीं बाद में, यह 1,26,482.10 रु0 का हो गया। एक तो वन विभाग ने मूल्यांकन में देर लगाई, कमिश्नर के यहाँ देखने में देर लगी। मैं इससे सहमत हूं कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है। मैं आज ही विभाग के अधिकारियों से कह रहा था कि इस तरह से विलम्ब किया जाता है तो जिनकी जमीन ले लेते हैं उनके साथ अन्याय होता है। यह तय बात है कि 6 प्रतिशत सूद की बात इस पर कही गयी है, लेकिन इससे काम चलता नहीं है। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हुए सहमत हूं कि इसमें विलम्ब हुआ है। मैं जवाब तलब कर रहा हूं कि इतनी देर क्यों की गयी, इतनी ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, और इसमें शीघ्रता की जाय।

श्री भीखा लाल--

एक बात और जानना चाहता हूं कि मुआवजे की धनराशि लगभग निश्चित हो गयी है, क्या उसका एक अंश, एवार्ड फाइनल होने से पहले, एडवान्स के रूप में देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें 2/3 भाग तक कब्जा लेते समय देना चाहिए था, लेकिन जिन व्यक्तियों का नाम इसमें लिया गया है, कहा गया है कि वे ले नहीं रहे हैं, जब चाहेंगे उनके पास भिजवा दिया जायगा।

श्री ऊदल

मुआवजे की रकम पर 6 प्रतिशत सूद की बात माननीय मन्त्री जी ने कही। मैं जानना चाहता हूं कि जिस दर पर भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण देती है, क्या उस दर पर 1979 से किसानों को सूद दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भिन्न-भिन्न ऋण किसानों को भिन्न-भिन्न दरों पर दिए जाते हैं जैसे आई0आर0डी0 स्कीम के अन्तर्गत 4 प्रतिशत पर देते हैं। इसी प्रकार सबका अलग-अलग होता है।

ऊदल--

मैं जानना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक जिस सूद पर किसानों को ऋण देती है, क्या उसी दर से आप उनको देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, भूमि विकास बैंक का पैसा बैंक का होता है उसके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिक्यासैण, जनपद अलमोड़ा में 30 शैय्याओं वाले चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा

*1—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी, द्वारा भिक्यासैण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में सन् 76–77 में 30 शैय्याओं के चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा की गयी थी ? क्या यह सही है कि अब केवल आठ शैय्याओं का ही चिकित्सालय भिक्यासैण में बनाया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

कथित घोषणा की शासन को जानकारी नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिक्यासैण का वर्तमान भवन आठ शैय्याओं का नहीं चार शैय्याओं का बना है। वर्ष 1974–75 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिक्यासैण को उच्चीकृत करके उसे 30 शैय्याओं वाला चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव था किन्तु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उच्चीकृत केन्द्र के भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्षजी, मेरे पर्वतीय क्षेत्र में माननीय नारायण दत्त तिवारी, उद्योग मंत्री, भारत सरकार जो हैं, जो शिलान्यास और उद्घाटन मंत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम उस समय ब्लाक प्रमुख थे और श्री रावत जो भी उस समय ब्लाक प्रमुख थे, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि इस स्थान में 30 शैय्याओं वाला हास्पिटल की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि इसकी जानकारी हमें नहीं है। मैं देखता हूं कि मंत्री लोग जहाँ-जहाँ जाते है, ग्रामीण जनता को बरगला देते हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि पाँच विकास खंडों स्यालदे, चौखटिया, शल्ट, ताड़ीखेत तथा भिक्यासैण का यह क्षेत्र है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में ये विकास खण्ड है? माननीय मंत्री जी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में भूमि का बड़ा अभाव है, पहले भवन बे नाम भूमि में उठाये जाते थे।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी को अगर श्री नारायण दत्त तिवारी की घोषणा की जानकारी नहीं है या शासन को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके भिक्यासैण में एक अच्छा हास्पिटल पर्वतीय जनता के लिये, वहाँ की जनता को सुविधा देने के लिये बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मैंने अभी बतलाया कि इसकी 1974–75 में उच्चीकरण की बात हो गयी थी परन्तु उस समय इसके लिये भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी थी। 1983–84 में जिला समिति ने भी अनुमोदित किया है। साइट सेलेक्शन हो गया है, जैसे ही आगणन आ जायेंगे, स्वीकृति दे दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय समाज कल्याण मंत्री, आप यह देखें कि आपके यहाँ जो टाइप मशीन है उसके द्वारा जरा अच्छा और साफ टाइप आगे किया जा सके।

हरिजन समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

बहुत अच्छा मान्यवर।

ग्राम सभा पयाकोटी, जनपद टिहरी गढ़वाल के बाल विकास योजना का आरम्भ तथा व्यय

*2—डा0 शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पयाकोटी विकास खंड कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में बाल विकास योजना कब से आरम्भ की गयी ? उसके लिये वहाँ पर क्या क्या सामान भेजा गया तथा इस योजना पर आरम्भ से 30–10–83 तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

ग्राम सभा पयाकोटी के कोटी गाँव में जो अब एक अलग ग्राम सभा हो गयी है

बाल विकास परियोजना वर्ष 1979 से प्रारम्भ की गयी। इस केन्द्र को जो सामान अब तक उपलब्ध कराया गया है उसकी सूची संलग्न है।

इस परियोजना के समी मदों पर परियोजना के प्रारम्भ से 30-10-83 तक कुल रुपया 19579.30 व्यय हुआ है जिसमें रुपया 10575 स्टाफ के वेतन पर व्यय किया गया है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 106 पर।)

बुधवार, 28 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

जनपद चमोली में औली (जोशीमठ) में शीतकालीन खेलों के लिये व्यापक योजना

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में औली (जोशीमठ) में शीतकालीन खेलों के लिए व्यापक योजना बनाई गयी है? यदि हाँ, तो इसका प्रारूप क्या है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हाँ।

गढ़वाल मंडल में चमोली जनपद में औली (जोशीमठ) में पर्यटकों को शीतकालीन क्रीड़ा की सुविधा सुलभ कराने हेतु शीत कालीन क्रीड़ा के लिये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई गयी है। इस प्रस्तावित योजना की कुल अनुमानित लागत रु0 534.68 लाख है। उक्त योजना के अन्तर्गत औली में एक रोपवे का निर्माण, स्थल विकास, गोरसों में 40 शैय्या वाले एक पर्यटक आवास गृह का निर्माण, औली में 100 शैया युक्त एक पर्यटक आवास गृह का निर्माण, स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण, हेली पैड का निर्माण तथा ट्रैकिंग उपकरणों के क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना पर रु0 315.23 लाख प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा शेष रु0 219.45 लाख भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभी तक भारत सरकार द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तैयार की गयी और वहाँ पर जो रोप वे बन रही है उसके निर्माण के लिये क्या यह सही है कि इलाहाबाद की त्रिवेणी स्ट्रक्चर कम्पनी को काफी वर्ष पूर्व एक करोड़ रुपए की धनराशि एडवान्स के रूप में दे दी गयी थी? तो मैं जानना चाहता हूं कि रोप वे पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है और उसका कितना निर्माण हो गया है और तीसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि वहाँ पर पर्यटक आवास गृह बनाये जा रहे हैं, उसके लिए क्या आपने जमीन की व्यवस्था कर दी है या नहीं?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, इस रोप वे को बनाने के संबंध में 16 जुलाई, 1976 को कैबिनेट की सब-कमेटी में तय हुआ था, उसके बाद इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी गयी, लेकिन वास्तविक रूप से पब्लिक इनवेस्टमेन्ट बोर्ड द्वारा अनुमति के बाद 30 जुलाई, 1981 को 2 करोड़ 48 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गयी और इस पर इस समय काम चालू है और करीब-करीब इसका जो लोवर टरमिनल प्वाइन्ट है उसके लिये जमीन अध्याप्ति की जा चुकी है और जो आस्ट्रिया से उपकरण खरीदे जाने थे, वह खरीद लिए गए हैं और बम्बई पोर्ट पर आ गये हैं। मुझे आशा है इसको 1985 तक पूरा कर लिया जायेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, जो जनपद चमोली में ओली (जोशीमठ) में शीत कालीन खेलों के लिए व्यापक योजना बनायी जा रही है, जो विशेष हैं उनके अनुसार यही स्थान इसके लिए सब से उपयुक्त स्थान है, और यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके निर्माण में विलम्ब हो रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कितनी जल्दी इसको पूरा करा दिया जायेगा?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, इस संबंध में मैं 5-6 बार केन्द्रीय मंत्री से मिला, उनके सचिव से भी बातचीत की और जो इसके स्पेशलिस्ट हैं श्री घाटे वह भी वहाँ पर गये और उन्होंने उस

स्थान को देखा। मैं कहना चाहता हूं कि सारे उपकरण खरीद लिए गए हैं और इस पर प्राथमिकता दी जा रही है जिससे यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाये। इसकी पूरी चेष्टा की जा रही है, कि यह योजना शीघ्र पूरी हो जाये।

भर जाति के विद्यार्थियों को स्वीकृत की गयी धनराशि

*2—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि वर्ष 74–75 से 76–77 के मध्य 19,000 रुपये भर जाति के विद्यार्थियों को स्वीकृत किया गया जबकि इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा भर जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया गया था ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियों अनर्ह लोगों को दी जा रही है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने इसको 19–11–83 को दिया था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि इसको अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दें जिससे हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाये।

श्री अध्यक्ष—

19–11–83 का सवाल है, अगले सप्ताह ले लिया जाये, आपको क्या कहना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

19–11–83 का सवाल है, अगले सप्ताह मान्यवर, जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। अगले हफ्ते लिया जायेगा।

जेलों मे सुधार करने हेतु आयोग का गठन करने पर विचार

*3—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जेलों में सुधार करने के लिए क्या सरकार कोई आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ? जेलों में कैदियों को इस समय क्या मजदूरी दी जाती है ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

जी नहीं।

जेलों में कैदियों को मजदूरी नहीं दी जाती, अलबत्ता सम्पूर्णानन्द खुले शिविर सिंटार गंज और घुर्मा के बन्दी जो संयुक्त उद्यम के कृषि फार्म या उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम की खदानों में काम करते हैं, को क्रमशः रु0 8.00 तथा रु0 8.50 प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो यह कि कोई आयोग गठित करने की आप बात सोच रहे हैं उसका जबाव नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो मुल्ला कमेटी बनी थी उसकी जो सिफारिशें हैं उनको आप लागू करेंगे या नहीं ? यदि हाँ, तो कब तक ? दूसरे जेलों में जैसे सम्पूर्णानन्द आदि जेलों में जो काम के बदले कैदियों को पैसा दिया जाता है उसी तरह से हर जेल में कैदी कुछ न कुछ काम करते हैं। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको भी कुछ पारिश्रमिक दिया जाय जिससे कि उनका चाल चलन अच्छा रहे और कुछ पैसा कमा कर वे अपने घरों को भेज सकें ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मान्यवर, जहाँ तक जस्टिस आनन्द नारायण मुल्ला कमेटी का सवाल है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। मैंने कल भी कहा था कि उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे प्रदेश के लिये उन्होंने जो सिफारिशें की थीं उनको देखने के लिये हमारे विभाग द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई है। जो हमारे प्रदेश के लिये उन्होंने चीजें सजेस्ट की थीं उनको जल्द से जल्द लागू किया जायेगा जिससे जेलों में सुधार हो सके।

दूसरा सवाल जो आपने घुर्मा और दूसरी जेलों में जो टास्क मुकर्रर है और उसके अन्तर्गत जो काम कैदी करते हैं उसके हिसाब से उनका ज्यादा उत्साह बढ़ाने के लिये और ज्यादा काम करने के लिये व्यवस्था की गई है

उसके लिये हमने पहले के मुकाबले में ज्यादा पारिश्रमिक तय कर दिया है। उसे हम बढ़ा रहे हैं। जो मार्डनाइजेशन हो रहा है उससे उन लोगों की आमदनी पहले के मुकाबले में अधिक बढ़ रही है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपने स्वयं बताया कि धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो कैदी जितना भी काम कर रहे हैं चाहे दरी उद्योग में लगे हों, खेत में लगे हों या पत्थर का काम कर रहे हों उन लोगों के लिये क्या आप निश्चित रूप से घोषणा करेंगे कि उनको लाजिमी तौर पर मजदूरी देंगे जिससे यह प्रक्रिया समाप्त हो और जो भी कैदी जितना भी काम कर रहा है उन सब को उसी के अनुरूप आप पारिश्रमिक देंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मान्यवर, जो जस्टिस आनन्द नारायण मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट है इस प्रदेश के लिये उन्होंने उसमें कहा है कि 2 रुपये से 6 रुपये तक उनको दिया जाय। तीन भाग उन्होंने बनाये हैं—स्किल्ड और अनस्किल्ड कैदियों के, उसके अनुसार उन्होंने सिफारिश की है, उसको हम लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जेलों में सुधार और समानता की दृष्टि से जेलों में जो कैदियों का श्रेणी विभाजन है, क्या माननीय मंत्री जी उसको समाप्त करके समान दफाओं में कैदियों को समान श्रेणी में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, जब तक मुल्ला कमेटी की सिफारिशें विचाराधीन हैं उन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है और यह बात सही है कि बहुत सी जेलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ढंग की लेट्रीन नहीं है और भी बहुत सी असुविधायें हैं उनको दूर करने के लिये सरकार तुरन्त कोई सक्रिय कदम उठायेगी ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मान्यवर, माननीय ऊदल जी कल शायद मौजूद नहीं थे जब मैंने बताया था कि यह कार्य जल निगम के द्वारा किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की 66 जेलों में औद्योगीकरण विद्युतीकरण, स्वच्छ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था कर दी गयी है। कहीं पर यह काम हो चुका है और कहीं पर किया जा रहा है।

टेहरी बांध परियोजना हेतु कृषकों की ली गई भूमि तथा देय मुआवजा

*4—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेहरी बाँध परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या इस परियोजना में प्रयुक्त होने वाले किसानों की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। बाँध क्षेत्र के जिन काश्तकारों की भूमि बाँध कार्यों हेतु प्रयुक्त की गयी है उनकी भूमि के बदले पुनर्वास भूमि देकर बसाया गया है। जिन्होंने नकद प्रतिकर चाहा उन्हें नकद भुगतान किया गया है। अब तक ली गयी भूमि हेतु 4 करोड़ रु0 प्रतिकर भुगतान किया गया है। भुगतान के लिए केवल 5 लाख 81 हजार रुपए शेष हैं जो राजस्व परिषद की स्वीकृति उपरान्त शीघ्र भुगतान किया जायगा।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो 5 लाख 81 हजार रुपया शेष है इसकी स्वीकृति राजस्व परिषद् के पास कब से विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बताया गया है कि 4 करोड़ रुपया दे दिया गया है शेष भूमि का केवल 5 लाख 81 हजार रुपया जो है वह भेजा गया है। इसकी डेट मेरे पास नहीं है लेकिन कहा गया है कि जल्दी दे दिया जाय।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि इसका भुगतान कब तक कर देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका भुगतान हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी यह हो रहा है कि आप जमीन ले लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं और उसके बाद उस पर काम नहीं करते हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है। उससे लगान भी ली जाती है तो क्या इस प्रकार का निर्णय लेंगे या ऐसी परिपाटी बनायेंगे जिससे ऐसे मामलों में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें तो ऐसा नहीं है। जो भूमि हमने ली है उसका पैसा दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--

जनरल बताइए। और जगह भी आप जमीन लेते हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिसका पैसा अभी तक दिया नहीं गया है उसमें ऐसा है, बिना पैसा लिए हम जमीन पर काम नहीं करेंगे।

(प्रश्न संख्या 7 पुकारने पर)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, इसमें एक प्रश्न और कर लें बहुत महत्व का है।

श्री अध्यक्ष--

अब आगे बढ़ गए हैं। आप चाहते हैं तो नियम 49 में लिख कर दे दें।

*5--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[दिनांक 7-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 141 द्वारा उत्तरित]

*6--श्री रेवती रमण सिंह--

[13वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम बोझिया मंझाव विकास खंड महीपुरवा, जिला बहराइच के परिवारों को पुनर्वासित करने के संबंध में पत्र

*7-श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनाँक 21-11-83 को श्री बिशुन दयाल भू0 पू0 विधायक, इकौना, बहराइच का कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम बोझिया, मंझाव, विकास खंड महीपुरवा, जिला बहराइच में 100 परिवारों को पुनर्वासित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उस पर जाँच कराई गयी तथा जिन अधिकारियों द्वारा गलत रिपोर्ट लगा कर गलत लोगों को पट्टे कर दिए गये, उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपाल राम दास--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, चार महीने से यह पड़ा हुआ है और अभी तक सूचना एकत्रित नहीं की गयी है। कृपया एक हफ्ते में इसका उत्तर दिलवा दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, सूचना एकत्रित की जा रही है, शीघ्र ही सूचना एकत्रित करा दी जायगी माननीय विधायक को।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जरा प्रश्न को देखने का कष्ट करें जिसमें पूछा गया है कि क्या भूतपूर्व विधायक का कोई पत्र उनको मिला है, यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी। आजकल अमूमन यह देखने को मिल रहा है कि माननीय विधायकों के पत्र जो जाते हैं और उनमें जो सूचना माँगी जाती है उसका जवाब आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है या फिर पत्र ही खो जाते हैं तो इसमें क्या पत्र मिल गया या वह खो गया है, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरा एक निवेदन है कि इस पत्र की अगर प्रतिलिपि दे दें तो शीघ्र काम करने में आपका सहयोग हमें मिलेगा और उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो मेरी आशंका थी वह बिल्कुल सही साबित हो गयी। आज की इस सरकार का ढांचा बिल्कुल चरमरा गया है। भूतपूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के पत्र मिलते ही नहीं हैं जिसे मन्त्री जी से स्वीकार कर लिया है कि वह पत्र गायब हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को प्रश्न समिति के सुपुर्द कर दें।

वह देखना चाहेगी कि सरकार की ओर से यह जो निष्क्रियता या लापरवाही और निकम्मापन बरता जा रहा है यह कब समाप्त होगा ?

माननीय विधायकों और भूतपूर्व विधायकों के पत्र क्यों खो जाते हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर इसमें लापरवाही की बात नहीं है। लेकिन कार्य में सुविधा होगी यदि प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाय। वरना प्रयास तो कर ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

सचना एकत्रित की जा रही है लेकिन भूतपूर्व विधायक का पत्र मिला नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि पत्र की प्रतिलिपि हम को भेज दी जाय, तो फिर उत्तर कैसे आयेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मैंने निवेदन किया कि इसका प्रयास किया जायगा और पत्र उपलब्ध हो जायगा लेकिन पत्र की एक प्रतिलिपि भेज दें तो सुविधा हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं ।

*8---श्री रियासत हुसैन---

[34वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

9---श्री दूधनाथ राजभर---

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, हरिजन बित्त निगम (मथुरा) की जीप से दुर्घटना

10---श्री कन्हैया लाल---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, हरिजन वित्त निगम (मथुरा) की कोई जीप दिनाँक 12-4-83 को हरियाणा प्रान्त के पलवल के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ? यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ? क्या दुर्घटना में घायल व्यक्तियों एवं मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को मुआवजा देने का सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपाल राम दास---

जी हां। अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) मथुरा की जीप दिनाँक 12-4-1983 को हरियाणा प्रान्त के पलवल के निकट सीकरी ग्राम से आगे दुर्घटना ग्रस्त हुई थी। मृतक व घायल परिवारों को अनुदान प्रदान करने हेतु वित्त निगम के अन्तर्गत कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल---

अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी अधिकारी किस तरह से गुलछर्रे उड़ाते हैं जनता के धन पर और जानें चली जाती हैं । यह जीप हरियाणा भेजी गयी और वहाँ दुर्घटना-ग्रस्त हो गयी, उसमें दो आदमी मारे गये। यह 12 तारीख को जो जीप गयी थी मैं जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी के आदेश से गयी, किस कार्य से गयी और उसमें कौन-कौन लोग बैठे थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, इसमें जो विवरण पूछा है तो इसकी जानकारी की जा रही है और जानकारी आने पर आपके पास पूरा विवरण भेज दिया जायगा ।

श्री कन्हैया लाल---

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। कोई प्रश्न किया जाय जिसमें लाखों रुपए का घोटाला हो और मन्त्री उसका ठीक से जवाब न दे, तो आप संरक्षण दें और उचित उत्तर दिलवा दें। मान्यवर, जो ड्राइवर था, उसकी मृत्यु हो गयी ड्यूटी पर और ड्यूटी पर वह मारा गया, दूसरे प्रदेश में मारा गया, तो उसके वारिसों को कम्पेंसेशन न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि वित्त निगम के अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को कम्पेंसेशन या क्षतिपूर्ति दी जाय ।

श्री कन्हैया लाल---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेश में जीप किसके आदेश से गयी, किस काम से गयी, इसका जवाब दे दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैंने निवेदन किया और इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसके आदेश से, क्यों और किस कारण से गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि श्री कन्हैया लाल ने एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया कि अति0 जिला विकास अधिकारी, हरिजन वित्त निगम (मथुरा) की जीप अवैधानिक तरीके से प्रदेश के बाहर ले जायी गयी और वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई और निर्बल वर्ग का कर्मचारी ड्यूटी पर मारा गया, यदि हमारे प्रदेश में ड्यूटी पर मारा जाता तो उसके वारिसों को सुविधाएं प्राप्त होतीं। दुर्घटना हुई प्रदेश के बाहर। मैं साफ-साफ जानना चाहूंगा कि इसमें जो जाँच की बात है और 3–2–84 का यह उत्तर है इसे आप जरा देख लें, इस बात का उत्तर मन्त्री जी के पास न आने का क्या कारण है कि प्रदेश के बाहर वह जीप कैसे गयी, क्यों गयी और किसके आर्डर से गयी। गाड़ी की लाग-बुक होती है, उसमें कोई बात लिखी थी या अन्यथा कोई बात लिखी थी। यदि नहीं लिखी थी तो उसका दोष प्रथम द्रष्टया सिद्ध हो जाता है, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? वित्त विभाग में भले ही कोई व्यवस्था न हो, लेकिन मुख्य मन्त्री के विवेकाधीन कोष से या अन्य तरह से उसे सहायता न देने का क्या कारण है ? जबकि इस दुर्घटना में मरने वाले कर्मचारी का अपना कोई दोष नहीं था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जो जिले में सूचना प्राप्त है उसके अनुसार ऐसा हुआ कि मंडलीय स्तर पर हरिजनों के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और नेताओं ने कहा कि हमें विकास योजनाओं का दूर-दूर प्रचार करने और बाहर के हरिजन भाइयों को भी विकास योजनाओं और हरिजनोत्थान कार्यों से अवगत कराने के लिए जीप उपलब्ध करा दी जाय। इसलिए श्री प्रेम सिंह जो उनके प्रमुख सामाजिक नेता है, उनकी जीप उपलब्ध कराई गयी थी। बाकी सूचना के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया है, सूचना आते ही वह आपको उपलब्ध करा दी जायगी। यह दुर्घटना हुई और हो गयी जैसे होती है और इस दुर्घटना का हमें भी दुख है ।

श्री अध्यक्ष––

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं। आप जाँच करके पुनः उत्तर दें।

मथुरा के रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट्स से चलने वाले उद्योगों को लगाने हेतु शासन की नीति

*11––श्री सरदार सिंह––

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि आगरा शहर से 90 कि0मी0 की परिधि में उद्योग लगाना वर्जित कर दिया है ? यदि हाँ, तो मथुरा जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने तथा मथुरा रिफायनरी से प्राप्त बाई-प्रोडक्ट्स से चलने वाले उद्योगों को लगाने के लिए शासन की क्या नीति है। क्या शासन मथुरा रिफायनरी से प्राप्त बाई-प्रोडक्ट्स के उपयोग के लिए उक्त प्रतिबन्ध को हटान की कृपा करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हाँ। वायु प्रदूषण से ताजमहल की सुरक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार ताजमहल के चारों ओर एक टैपी जियम के आकार के क्षेत्र में केवल ऐसे उद्योग लगाना वर्जित किया गया है जो वायु प्रदूषण करते हों। एसे प्रतिबन्ध सामान्य रूप से सभी उद्योगों पर नहीं है।

शासन की नीति के अन्तर्गत रिफाइनरी के बाई-प्रोडक्ट्स पर आधारित ऐसे उद्योग लगाए जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है जो वायु प्रदूषण न करते हों। जिन वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगा है उसे हटाने के लिए शासन का विचार नहीं है क्योंकि वायु प्रदूषण रोकने के ध्येय से ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनसे वायु प्रदूषण न हो अथवा वे उद्योग नई तकनीक का उपयोग करे।

श्री सरदार सिंह––

मथुरा और आसपास जितने भी व्यवसायी हैं, उनको इनका विभाग किसी प्रकार का लाइसेन्स नहीं दे रहा है उद्योगों के लिए

और उनसे यह कहते हैं कि 90 किलोमीटर तक कोई भी उद्योग नहीं लगाया जायेगा, तो क्या मंत्री जी इसकी जानकारी कि कौन उद्योग लगेगा और कौन नहीं लगेगा अखबारों के माध्यम से उद्योग व्यवसाइयों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है आगरा का ताजमहल, हमारा विश्व विख्यात ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ पर ताजमहल को प्रदूषण से काफी नुकसान हो रहा था और यह आवश्यकता समझी गयी कि इसको कैसे प्रदूषण से बचाया जाय। इसलिए यह किया गया कि जो प्रदूषण वाले उद्योग हैं उनको न लगाया जाय। जिनसे प्रदूषण नहीं होता है, उन्हें लगाया जाय अर्थात बिजली से चलने वाले या अन्य छोटे-छोटे उद्योग लगाए जायें। तो जिनसे प्रदूषण न हो वह तो लग सकते हैं। जिनसे प्रदूषण हो उनको रोका गया है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि कौन-कौन से उद्योग लग सकते हैं उसकी सूचना वहाँ पर भेजी जाय। यह जानकारी अपने यहाँ बनी हुई है और यह भेज दी जायगी और अखबारों में भी इसको दे दिया जायगा।

श्री कन्हैयालाल—

वायु प्रदूषण की बात कही गयी, लेकिन जो ईंट भट्ठे होते हैं उनमें से 24 घंटे धुआँ निकला करता है, उससे जो वायु प्रदूषण होता है वह इन छोटे-छोटे काम धंधों के मुकाबले में बहुत अधिक है तो क्या इस बात को देखते हुए कि अगर प्रदूषण का ही मामला है तो उस क्षेत्र के भट्टों को भी बन्द कर दिया जाय, और अगर भट्टे बन्द नहीं किए जा सकते हैं तो अन्य उद्योगों को भी लगाने की अनुमति दी जाय, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

ड्रेनेज मंडल आजमगढ़ में सरकारी अधिकारियों द्वारा स्थायी चालकों से गाड़ी न चलवा कर दैनिक मजदूरी चालकों से गाड़ी चलवाने के विरुद्ध जांच

*12—श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ड्रेनेज मण्डल आजमगढ़ के अन्तर्गत बलिया स्थित प्रखंडों में सरकारी अधिकारियों द्वारा तीन स्थायी वाहन चालकों को कई वर्षों से बिना सरकारी वाहन चलाए अनवरत वेतन का भुगतान किया जा रहा है एवं इनके स्थान पर दैनिक मजदूरी चालकों से वाहनों को चलवाकर सरकारी धन का अपव्यय एवं दुरुपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, मैंने यह सवाल 4-2-84 को किया था और 23-2-84 को यह शासन के पास भेज दिया गया, अभी तक सरकार सूचना नहीं मंगा सकी है। मेरी जानकारी यह है कि वहाँ का इंजीनियर 5-5 हजार या लेकर स्थायी चालकों से गाड़ी न चलवाकर डेली वेजेज के लोगों से गाड़ी चलवा रहा है। तो क्या मन्त्री जी ऐसे आदेश भेजेंगे कि स्थायी लोगों से ही काम लिया जाये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं इसका भी जवाब मंगवा लूंगा, जब सूचना आ जायेगी तो इसका उत्तर भी दे दूंगा।

श्री गौरीशंकर भैय्या—

इसे मान्यवर, अगले हफ्ते रख दें।

श्री अध्यक्ष—

क्या मन्त्री जी इसका जवाब एक हफ्ते में मंगा लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मंगा लिया जायगा।

श्री के० बी० मेनन् सीनियर फोरमन, वर्कशाप सिटी बस लखनऊ को हटाने की मांग को लेकर टूल डाउन हड़ताल

*13—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सीनियर फोरमैन, वर्कशाप सिटी बस, लखनऊ (श्री के0बी0 मेनन) को लखनऊ से हटाने की माँग को लेकर विगत 18-7-83 से 19-7-83 तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की लखनऊ कार्यशाला में दो दिन की टूल-डाउन हड़ताल हुई थी ? यदि हाँ, तो उक्त माँग के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा) (क) जी हाँ, दिनाँक 18–7–83 व 19–7–83 को लखनऊ के सिटी बस डिपो कार्मशाला में टूल-डाउन हड़ताल अधिकाँश कर्मचारियों द्वारा की गयी थी।

(ख) प्रशासनिक आधार पर श्री मेनन का स्थानान्तरण क्षेत्रीय कार्यशाला को कर दिया गया।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, सरकार ने अपने पास तीन जबरदस्त हथियार रख लिए हैं जिनका वह मनमाने तरीके से प्रयोग करती है–एक यह कि 'इसे प्रशासनिक आधार पर किया है', दूसरा यह कि––'इसकी सूचना एकत्र की जा रही है, और तीसरा यह कि 'इसका उत्तर देना जनहित में नहीं है।' कल भी इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था यह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है।

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हड़ताली कर्मचारियों ने श्री के0 बी0 मेनन के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाए थे?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

मान्यवर, जो कर्मचारी हैं उन्होंने श्री मेनन जो सीनियर फोरमैन हैं उनके खिलाफ चार्जेज लगाए थे। काफी लम्बी फेहरिस्त है। आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष––

खास-खास बातें बता दें।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

मान्यवर, एक तो यह था कि यह केरल के रहने वाले हैं हिन्दी भाषा साफ नहीं बोल पाते हैं गलत अर्थ निकालते हैं।

श्री मोहन सिंह––

यह तो कोई आरोप नहीं हुआ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

मान्यवर, दूसरा आरोप यह था कि यह कार्य की उपेक्षा करते हैं और उसके लिए प्रयत्नशील नहीं रहते हैं। यही खास चार्जेज थे।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, जो सही आरोप थे, माननीय मन्त्री जी ने उसको पढ़ा नहीं। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर मन्त्री जी ने दिया है जिसम यह कहा है कि जो आरोप कर्मचारियों ने लगाए थ उसकी जाँच करायी गयी और आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन आरोपों की जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और मुख्य आरोप क्या लगाये गये थे?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

मैंने मान्यवर, जो आरोप थे उनको बताया है। इनके खिलाफ एक चार्ज यह भी था कि कुछ सामान यह अपने घर उठाकर ले गये हैं, इत्यादि इत्यादि। इसकी जाँच सेवा प्रबन्धक द्वारा की गयी।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, इनको नगर बस से हटाकर लखनऊ में कार्यशाला में कर दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि जब कर्मचारियों ने हड़ताल किया तो कोई समझौता हुआ या नहीं? उस समझौते में क्या तय हुआ था? दूसरी बात यह कि यदि श्री मेनन के खिलाफ चोरी वगैरह के गम्भीर आरोप हैं कि यह सामान घर ले जाते हैं तो इन को लखनऊ में क्यों रखा गया है, लखनऊ से बाहर ट्रांसफर न करने के क्या कारण हैं?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

मान्यवर, प्रशासनिक कारणों से यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इनको लखनऊ से बाहर भेजा जाय।

*141–श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के स्थान बहेडाखाल में आयोजित आत्म निर्भरता सप्ताह में क्षेत्रीय समस्याओं पर प्रस्तुत ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

*15––श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी––

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में बहेड़ाखाल क्षेत्र विकास समिति गढ़वाल द्वारा 22 से 28 नवम्बर, 82 तक आत्म निर्भरता सप्ताह आयोजित किया गया था? यदि हाँ, तो इस आत्म निर्भरता सप्ताह में क्षेत्रीय समस्याओं पर प्रस्तुत ज्ञापन सरकार को कब प्राप्त हुआ और उसमें उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु शासन स्तर से अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी––

बहेड़ाखाल क्षेत्र विकास समिति गढ़वाल द्वारा दिनाँक 22 से 28 नवम्बर, 1982 तक

बहेड़ाखाल में आत्म निर्भरता सप्ताह मनाए जाने की सूचना मानदीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य के पत्र दिनाँक 13 फरवरी, 1983 में प्राप्त हुई थी। उक्त पत्र के साथ बहेड़ाखाल क्षेत्र विकास समिति गढ़वाल का दिनाँक रहित पत्र भी प्राप्त हुआ था। जिसमें चिकित्सा से सम्बन्धित 4, शिक्षा से सम्बन्धित 7, यातायात से सम्बन्धित 8, पेयजल से सम्बन्धित 7, विद्युतीकरण से संबंधित 2, व पैदल मार्गो से सम्बन्धित 3 समस्याओं का उल्लेख है। इन सभी माँगों के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही हेतु मार्च, 1983 को सम्बन्धित विभागों का ध्यान आकर्षित कर दिया गया था।

पर्वतीय क्षेत्र की विकास नीति, संसाधनों की उपलब्धता, विकास मदों की प्राथमिकताएं व विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत निहित दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए ही बहेड़ाखाल क्षेत्र विकास समिति की विकास सम्बन्धी माँगों पर कार्यवाही सम्भव हो सकती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

मान्यवर, बहेड़ाखाल क्षेत्र के लोगों ने माननीय मन्त्री जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने अपनी छोटी-छोटी समस्याओं की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। माननीय मन्त्री जी ने इतिश्री इतने में ही कर दी कि सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर दिया। मान्यवर, एक साल हो गया है और इन छोटी-छोटी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि एक निश्चित अवधि तक इनका निराकरण किया जाय ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

यह प्रश्न देखने से ही प्रतीत होता है कि काफी विस्तृत है। इसमें आयोजनेत्तर मद की बातें भी हैं, जो पर्वतीय विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं। नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न विभिन्न प्रशासनिक विभागों से सम्बन्धित हैं। हमने 52 प्रतिशत धनराशि जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित किया है, जबकि मैदानों में 30 प्रतिशत ही है। तो तमाम जितने जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, चिकित्सालय बनाने के मामले जनपदीय योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं और उसमें हमारे माननीय विधायक उपस्थित रहते हैं, वह उसमें कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं, जो कार्यवाही की गयी है, उसका सन्दर्भ देकर, यदि वह चाहें तो मैं उनको सन्तुष्ट करना चाहता हूं कि सभी नामित विभागाध्यक्ष जो जिस-जिस विषय से सम्बन्धित हैं, जो हमारे पास सूचना इस सन्दर्भ में है, वह मैं आपको बता देता हूं, डाक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 344 डाक्टरों की नियुक्ति की गयी, जिनमें से 135 ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है, शेष कार्यवाही भी चिकित्सा विभाग को करनी है। अस्पतालों के भवन आदि बनाने का कार्य भी जनपदीय योजना के अन्तर्गत आता है। नाहसैण में डिग्री कालेज की स्थापना हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत अर्ह नहीं पाया गया है। बसन्तपुर, बहेड़ाखाल और बड़ियू जूनियर हाई स्कूलों का शीघ्र उच्चीकरण कर उन्हें राजकीय हाई स्कूल बनाया जाय तथा जनता जूनियर हाई स्कूल मुण्डनेश्वर को राजकीय हाई स्कूल बनाया जाय। यह जनपदीय योजना है और इस वित्तीय वर्ष में गढ़वाल में केवल एक स्कूल के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के अनुरूप जूनियर हाई स्कूल मुन्डनेश्वर का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण का आदेश निर्गत किया जा चुका है। इसकी संस्तुति पत्र लिखने वाले तथा माननीय विधायक ने भी की, तो विधायक जी की आज्ञा का पालन भी हो गया है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने उच्च अधिकारियों को निर्देश तो दे दिए, लेकिन आपने क्या कभी यह भी कष्ट किया कि आपने जो उच्च अधिकारियों को भेजा, उन्होंने यात्रा भत्ता तो बना लिया, और रिपोर्ट उन्होंने भेज दिया, लेकिन उन पर कार्यवाही क्या हुई ? छोटी-छोटी योजनाएं जैसे पेय जल योजना, छोटे-छोटे मार्गों का निर्माण प्राइमरी स्कूल, चिकित्सालय वगैरह हैं, तो आप यह बता दें कि उनमें से कितनी योजनाओं को पूरा कर दिया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, इसको व्यक्तिगत रूप से मैं

भी मानीटरिंग मंडलीय स्तर पर करूंगा और हमारे सचिव भी करेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन छोटी-छोटी समस्याओं के लिए हम लोग बार-बार लिखे हैं, उच्च अधिकारियों या माननीय मन्त्री जी को, क्या कभी माननीय मन्त्री जी ने उन छोटी-छोटी समस्याओं को भी देखने की कोशिश की कि वह काम हुआ या नहीं हुआ या उन्हीं पर ही विश्वास कर लिए ? मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जहाँ-वहाँ के अधिकारियों ने माननीय मन्त्री जी को रिपोर्ट दे दिया कि काम हो गया, लेकिन वास्तव में वह काम नहीं हुआ, क्या माननीय मन्त्री जी उन योजनाओं को देखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

हम तो देखते हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, इस क्षेत्र में अधिकतर जो ज्ञापन में समस्याएं थीं, उनमें अधिकतर पेयजल की समस्याएं थीं, और शासन ने एक निर्णय पर्वतीय क्षेत्र के लिए लिया था कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण कर दिया जायगा, इसकी घोषणा हुई थी और मेरी जानकारी में कैबिनेट डिसीशन भी हो गया था, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया, जिसके कारण जितनी भी योजनायें जल निगम बना रहा है, वह जब जल संस्थान को हैन्ड-ओवर करता है, तो उनका रख-रखाव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, तो क्या मन्त्री जी पर्वतीय क्षेत्र के हित में दोनों विभागों का एकीकरण करने की कृपा करेंगे, ताकि जो पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की मुख्य समस्याएं हैं, उनका निराकरण किया जा सके ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

फिलहाल एक काम हमने किया है । जल संस्थान दोनों को कुछ रुपया मरम्मत के लिए बढ़ाकर दे रहे हैं। ताकि उनकी मरम्मत की जा सके, कुछ की कर दिया है । माननीय विधायक चाहेंगे तो मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा, वह देखें और सन्तुष्ट होकर रिपोर्ट कर दें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या मन्त्री जी इस सत्र के बाद बहेड़ाखाल में आवे दिन के लिए दर्शन देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता ।

नलकू सं० पी० जी०—47 से सिंचाई करने वाले काश्तकारों पर लगायी गयी अनमन्य दर

*16—श्री प्रियदर्शी जेतली (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83 में नलकूप खण्ड द्वितीय, गोरखपुर ने सरकारी नलकूप संख्या पी0 जी0—47 से सिंचाई करने वाले काश्तकारी पर औसत रेट लगाया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह सही है कि रेट सरकारी नियमों के विरुद्ध लगाए गये हैं ? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा सरकारी नलकूप से सिंचाई का क्या रेट लगाने का प्राविधान है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। नलकूप संख्या पी0जी0 47 से सिंचाई शुल्क अनुमन्य आयतनात्मक दर पर लगाया गया है ।

कोई शुल्क सरकारी नियमों के विरुद्ध नहीं लगाया गया है ।

अतः प्रश्न हीं नही उठता है ।

सरकारी नलकूप से सिंचाई की दर दि0 1—7—83 से 16 अक्तूबर से 15 अप्रैल तक रु0 01—20 पै0 प्रति 5000 गैलन तथा 16 अप्रैल से 15 अक्तूबर तक रु0 01.20 पै0 प्रति 10,000 गैलन है ।

समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को वेतन भृगतान

17—श्री पूरन चन्द्र (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सितम्बर, 1983 से नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? फाइनेंशियल हैन्डबुक खण्ड—5 के भाग—1 के पैरा 126 (बी) की अपेक्षा के अनुसार इस दिशा म अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है और कार्यवाहीं कब तक पूर्ण कराकर उपरोक्त कर्म-

चारियों के वेतन का नियमित रूप से भुगतान कराया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ जनपद के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

जनपद जौनपुर में समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यान्वित किये जाने की मांग

*18—श्री जंग बहादुर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर में सम्बन्धित बाल विकास योजना के अन्तर्गत पर्यवेक्षक मुख्य एवं ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य चलाया जा रहा है, जबकि यहाँ से प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा रायबरेली, वाराणसी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर आदि में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है और जनपद जौनपुर इस योजना से वंचित रखा गया है ? क्या शासन शीघ्र जनपद जौनपुर में समन्वित बाल विकास योजना कार्यान्वित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक योजना लागू कर दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

जी हाँ, उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र राजकालोनी, जौनपुर में संचालित है। इस केन्द्र में आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जनपद जौनपुर में समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यान्वित करना अभी सम्भव नहीं है।

निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण लखनऊ में अन्वेषकों की सेवा नियमावली तथा पदोन्नति

*19—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत गठित मानीटरिंग शोध, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र में कार्यरत क्षेत्रीय अन्वेषकों की प्रोन्नति किन-किन पदों पर किए जाने का प्राविधान है ? यदि क्षेत्रीय अन्वेषकों की प्रोन्नति शोध अधिकारी के पद पर किये जाने का प्राविधान है तो क्या शोध अधिकारी के पद पर किसी अन्य वर्ग से प्रोन्नति दी गयी है ?

श्री गोपाल राम दास—

अन्वेषकों की सेवा नियमावली अभी नहीं बनी है। अतः उनकी प्रोन्नति के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती है। मानीटरिंग शोध सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र पर किसी अन्य संवर्ग के अधिकारी को नियुक्ति शोध अधिकारी के रूप में नहीं की गयी है परन्तु शोध अधिकारी के एक अन्य पद पर कार्यकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित अर्हताओं एवं अनुभव के आधार पर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग से एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मानीटरिंग शोध सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना किस सन् में हुई थी, नियमावली अब तक न बनने का क्या कारण है और कब तक नियमावली बना दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नियमावली अभी नहीं बनी है। शीघ्र बनाने का प्रयास किया जायगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मेरा सवाल यह है कि यह मानीटरिंग केन्द्र किस सन में बना, नियमावली न बनने का क्या कारण है और कब तक बन जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सही तिथि कब प्रारम्भ हुआ, इसकी सूचना माननीय सदस्य को आपके माध्यम से भेज दूंगी। नियमावली न बनने का जो प्रश्न है, उसको जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास किया जायगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब हरिजन कल्याण अधिकारी को शोध अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया, जो उस संवर्ग के नहीं हैं। यह देखते हुए कि शोध अन्वेषक को प्रोन्नति होती वह रुक गयी और हरिजन कल्याण अधिकारी को जो दूसरे वर्ग का है कर दिया, क्या उसको हटाकर शोध केन्द्र, से नियुक्त करेगी या प्रोन्नति देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मानीटरिंग सर्वेक्षण केन्द्र में 4 शोध के पद थे, सारे भर दिए गये हैं

इसमें 2 प्रोमोशन से भरा गया था शेष जो लोक सेवा आयोग से नाम आये उससे पूर्ति की गयी। एक जो नियुक्ति की गयी है, वह हरिजन समाज कल्याण विभाग में एक शोध की जगह थी। जिसमें उन्होंने वहाँ विभाग के सेलेक्शन के पश्चात चयन के पश्चात नियुक्ति की है और मेरिट के आधार पर की गयी है। उसमें जो न्यूतन योग्यताएं हैं वह हैं मनोविज्ञान में, समाजशास्त्र में या सामाजिक कार्य में जो एम0ए0 पास हो और 50 प्रतिशत से अधिक जिसके नम्बर हों एवं उसके पास अपराध शास्त्र पर डिप्लोमा हो, ऐसे अफसर को शोध अफसर के रूप में नियुक्त कर सकते थे। तो इसमें चयन समिति द्वारा नियुक्ति कर दी गयी।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इनका उत्तर है कि अनुभव के आधार पर हो जायगा। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शोध-संस्थान की तरफ से उन लोगों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं? जबकि इनकी प्रोन्नति इस पर होनी है और कहीं प्रोन्नति नहीं हो सकती है तो हरिजन अधिकारियों को इसमें कैसे कर लिया गया जबकि वह दूसरे संवर्ग के थे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह तो चयन समिति ने योग्यता के आधार पर नियुक्ति की है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि चयन समिति ने की है तो चयन समिति को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब उनके अवसर कम हैं और उनकी जब सिर्फ एक ही प्रोन्नति है तो दूसरे विभाग से न लें। इसमें अन्याय हो रहा है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह जो पोस्ट है इस पद को पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफर कर दिया गया वहाँ से जो वह चयन करेगी वही नियुक्तियाँ की जायेंगी।

(श्री बिहारी लाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है आप बैठें।

(श्री बिहारी लाल के बैठने पर)

बिहारी लाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि चयन समिति में अनुसूचित जाति का परसेंटेज क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है इसका उत्तर आपके माध्यम से भिजवा दिया जायगा।

जनपद गोण्डा में राप्ती नदी के पार क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपाय

*20—श्री अकबाल हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोन्डा में राप्ती नदी के पार क्षेत्र (तुलसीपुर) हरैया, गैसड़ी, एवं (पचपेड़वा ब्लाक) में जहाँ भूमि के नीचे पानी तो काफी मात्रा में उपलब्ध है किन्तु है काफी गहराई में जिससे कृषक नलकूप लगाने में अक्षम है? क्षेत्र में नहरों का कोई साधन नहीं है? यदि हाँ, तो राज्य सरकार इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए विश्व बैंक की किसी योजना से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयत्न कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आपको अरबों रुपयों का बजट लाना था तो सब सूचनाएं आपको मिल गई थीं अब आपको केवल इतनी सूचना नहीं है कि हिमालय और राप्ती नदी के बीच में जो 40 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में है लेकिन बहुत गहराई में है। लेकिन जो योजना राप्ती की बन रही है उसमें सीपेज होने की बात कह रहे हैं लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि जल सर्वेक्षण के अनुसार पानी नदियों में है आप नहर नहीं बनने

देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक की कोई योजना है जिससे धन प्राप्त करके सिंचाई की योजना लागू करवायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसका उत्तर अभी दिया ही नहीं है। इसका उत्तर मंगाकर दे देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त।

अतारांकित प्रश्न

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को पिछड़ी जाति के आधार पर रिजर्वेशन तथा प्रोमोशन में वरीयता

1--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को पिछड़ी जाति के आधार पर 15 फीसदी रिजर्वेशन तथा प्रोमोशन में वरीयत दी जा रही है? यदि हाँ, तो पिछले सन् 77 से 82 तक कितने रिजर्वेशन एवं प्रोमोशन दिए गये?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश दिनाँक 13-1-78 द्वारा लागू की गयी तथा दिनाँक 30-9-81 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गयी। इस अवधि में उक्त आरक्षण के आधार पर सहायक अभियन्ताओं सहित कुल 28 (2) प्रभारी सहायक अभियन्ता तथा 7 अधिशासी अभियन्ता अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।

श्री रमापति त्रिपाठी, सीनियर एंकाउन्टेन्ट राजकीय परिवहन निगम फैजाबाद की मृत्यु तथा बकाया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

2--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रमापति त्रिपाठी-सीनियर एकान्टेन्ट राज्य परिवहन निगम, फैजाबाद की मृत्यु 7-11-82 को हो गयी थी? यदि हाँ, तो क्या उनका प्राविडेंट फण्ड इन्श्योरेन्स तथा बकाया भुगतान एवं फैमिली पेंशन का निपटारा कर दिया गया या नहीं? इस सम्बन्ध में एक पत्र परिवहन मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता ने 9 फरवरी, 83 को दिया था? उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

परिवहन मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जरखा ड्रेन, तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की खुदाई तथा निर्माण

3--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जरखा ड्रेन तह0 फतेहपुर, जिला बाराबंकी की खुदाई हेतु महादेव, प्रधान एवं गाँव बेलवाप का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ सिंचाई मन्त्री को 22-2-83 को दिया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि उक्त ड्रेन की खुदाई के लिए मन्जूरी मिल गयी थी और उसे रोक दिया गया? क्या यह भी सही है कि इस ड्रेन की खूदाई न कराने से पचासों गाँव में बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाता है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हाँ।

जरखा ड्रेन का निर्माण प्रगति में है।

टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित इस कार्य को रोका नहीं गया है।

जी हाँ। वर्षाकाल में लगभग 35 ग्रामों की 1372 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती है।

4--श्री ऊदल--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

5--श्री ऊदल--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नलकूप मानापुर, पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को ठीक कराने की मांग

6—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मानापुर, पिंडरा, पिंडराई शाहपुर, तेलारी ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी महीनों से खराब है? यदि हाँ, तो इन नलकूपों को न ठीक कराने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप गांडर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को चालू कराने की मांग

7—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप गाँडर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी को बोरिंग हुए करीब दो वर्ष हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसमें मोटर पम्प आदि लगाकर चालू न करने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप तृतीय, गांव गड़खड़ा जिला वाराणसी की नाली को पक्का बनवाने की मांग

8—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप तृतीय गाँव गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की नालो एवं हैंड को अब तक पक्का न बनाने का कारण क्या है? क्या यह सही है कि अब तक एक मीटर भी नाली पक्की नहीं बनाई गयी है जबकि ट्यवेल को गड़े दो वर्ष एवं चालू हुए एक वर्ष हो गया है? क्या सरकार इसकी नाली पक्की बनवाने पर विचार करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाल विकास परियोजना गाजीपुर के अन्तर्गत कच्चा दाना मूंगफली के घोटाले की जांच

9—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 61/2 लाख रुपए का कच्चा दाना मंगफली का घोटाला जिला गाजीपुर में किया गया है? क्या यह सही है कि कोषाधिकारी ने इस पर, आपत्ति की थी और पुनः 30 मार्च, 81 को इन संदिग्ध बिलों को पास करना पड़ा? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिलाधिकारी गाजीपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार अनियमितता का सन्देह होने पर कोषाधिकारी ने बिलों पर आपत्ति की थी किन्तु भुगतान नहीं किया गया केवल बिल की धनराशि का ड्राफ्ट बनवा लिया गया है।

जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जाँच कराकर शासन को स्थिति से अवगत करायें तथा दोषी पाए गये कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करायें और विभागीय कार्यवाही करायें।

राजकीय पर्यवेक्षण गृह, अवसानगंज वाराणसी में पलायित बालकों की मैजिस्टीरियल जांच

10—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28/29 जून, 83 को अवसानगज जैतपुरा वाराणसी के बाल सुधार गृह से दो बच्चे गायब हो गये हैं? क्या इसकी रिपोर्ट भी जैतपुरा थाने में की गयी है? यदि हाँ, तो बाल सुधार गृह के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनाँक 28/29 जून, 1983 को बाल-सुधार गृह (पर्यवेक्षण गृह) अवसानगंज, वाराणसी से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ? दिनाँक 27-6-1983 को तीन बालक तथा 30-8-1983 को दो बालक राजकीय पर्यवेक्षण गृह, अवसानगंज, वाराणसी से पलायित हुए थे, जिनमें से दो बालक बाद में पकड़ कर वापस आ गए हैं।

जी हाँ। जिलाधिकारी, वाराणसी से मैजिस्टीरियल जाँच करके रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायगी।

मुसहरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का पता लगाने हेतु कार्यवाही

11--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एव समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहरों की आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जाँच कराने का इला सन् 82 में किया था? यदि हाँ, सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही स6

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ट्रक नं० यू० टी०सी० 9963 के रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि न देने के संबंध में पत्र

12--श्री सन्त बख्श रावत--

प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के अता 0प्र0 सं0 156 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 12692 रुपए 90 पैसे की वसूली हेतु जो प्रमाण-पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया था उसका परिणाम क्या रहा? क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ को कोई स्मरण-पत्र भेजे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

13--श्री ऊदल--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित।]

14--श्री ऊदल--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

15-17--श्री ऊदल--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित।]

ग्राम रसुलपुर जिला सुलतानपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना एंव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को सहायता

18--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर वि0 खं0 शुकुल बाजार जिला, सुलतानपुर में स्पेशल कम्पोनेंट योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किन व्यक्तियों को कितनी सहायता अब तक और कब दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

"श्री संकठा देवी जी मन्दिर" की सम्पत्ति के तथा कथित दुरुपयोग के संबंध में आवश्यक कार्यवाही

19--श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री राम करन--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुध के अता 0प्र0 सं0 39 दिनाँक 15-2-84 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी द्वारा कब कार्यवाही की गई तथा आयुक्त लखनऊ मण्डल कब तक कार्यवाही पूरी करेंगे तथा मंदिर की सम्पत्ति को रुकवाने में अविलम्ब कौन सी व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

मन्दिर के सम्पत्ति के तथा कथित दुरुपयोग के रोकथाम के संबंध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1982 के अधीन आयुक्त लखनऊ मण्डल को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं जिसके संबंध में अग्रेतर कार्यवाही उनके द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी से भी कृत कार्यवाही की सूचना माँगी गयी है।

20--श्री दूधनाथ राजभर--

[दिनाँक 14-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 119 द्वारा उत्तरित।]

21--श्री दूधनाथ राजभर--

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखीमपुर खीरी की कतिपय कालोनी में विमुक्त जाति के परिवारों का जमीन पर स्वामित्व तथा सरकारी अनुदान एवं ऋणों की सुविधा दिलाने की मांग

22—श्री राम स्वरुप निम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 54–55 में लखीमपुर खीरी में विमुक्त जाति के परिवारों की भटपुरा कालोनी में 71 परिवार को 562 एकड़ कुसुमी कालोनी में 31 परिवार को 262 एकड़ सुआमीज कालोनी में 40 परिवार को 280 एकड़ नकहा कालोनी में 50 परिवार को 341 एकड़ देवकली कालोनी, 60 परिवार 375 एकड़ तथा साहबगंज कालोनी में 150 परिवार 800 एकड़ जमीन हरिजन समाज कल्याण द्वारा दी गयी थी ? यदि हाँ, तो जिन परिवारों का जमीन पर स्वामित्व है उन्हीं परिवारों के नाम खसरा खतौनी में करा-कर सरकारी अनुदान एवं ऋणों की सुविधा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ से जनपद बरेली को दी गयी बजट की धनराशि तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में वितरण

23—श्री नन्दराम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ से वर्ष 82–83 के बजट की धनराशि बरेली जनपद की जो थी वह भेज दी गई ? क्या उसका 80 प्रतिशत शहरी एरिया में तथा 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया गया ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

जी नहीं । कुल धनराशि का 40.25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में तथा 59.75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में वितरित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24–25—श्री नन्दराम—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

इटावा प्रखंड निचली गंगा नहर इटावा की जमाबंदियों को अनधिकृत रूप से रोकने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

26—श्री नन्द राम— —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर इटावा की जमा बंदिय दिनाँक 28–1–83 तक रुकी रहीं ? यदि हाँ, तो अधिशासी अभि-यन्ता के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा की खरीफ 1390 फ0 की रुपये 18,76,843.41 पैसे की जमाबन्दिया समय से दाखिल करा दी गयी थी ? शेष रुपये 26,88,033.62 पैसे की जमाबंदियाँ जो राजस्व कर्मचारियों ने अनधिकृत ढंग से अपने पास रोक रखी थीं, दिनाँक 31–1–83 व 1–2–83 को तहसील में जमा करा दी गयी थी । जमाबंदियों को अनधिकृत रूप से रोकने वाले संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच चल रही है । जाँच पुर्ण होने पर ही दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधि-कारियों के विरुद्ध कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद के गोण्डा स्थित उप खंड कार्यालय में क्लीनर की मृत्यु तथो श्रीमती मज्जो बेगम को नियुक्ति

27—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड द्वितीय फैजाबाद के गोंडा स्थित उपखण्ड कार्यालय में एक क्लीनर की मृत्यु कार्यरत रहते हुए तारीख 11 जनवरी, 83 को हो गयी ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उसकी आश्रित स्त्री मज्जी बेगम ने नौकरी के लिए अधीक्षण अभियन्ता नलकूप खण्ड फैजाबाद एवं अधिशासी अभियन्ता एवं जिलाधीश को प्रार्थना पत्र दे रखा है ? यदि हाँ, तो उसको शासनादेश संख्या 6–12–73 नियुक्ति 4 दिनाँक 7–10–74 के मुताबिक कब तक नौकरी दे दी जायेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हाँ । श्रीमती मज्जी बेगम की नियुक्ति समूह "घ" के पद पर दिनाँक 1–3–84 को कर दी गयी है ।

बाराबंकी कताई मिल में डीजल का क्रय तथा खर्च

28–श्री उदयवीर सिंह, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह तथा श्री शेर बहादुर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी कताई मिल में कितना डीजल वर्ष 79–80 को मंगाया गया था और कितना खर्च हुआ था ? क्या यह सही है कि प्रबन्धक ने कुछ डीजल, बह जाने अथवा गिर जाने की रिपोर्ट हेड आफिस कानपुर को भेजी थी ? यदि हाँ, तो उक्त रिपोर्ट क्या है ?

श्री धीर बहादुर सिंह---

वर्ष 79–80 में 3,34,705 लीटर डीजल क्रय किया गया था तथा 3,34,668 लीटर डीजल खर्च हुआ ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच, बाराबंकी तथा नैनीताल, कानपुर, झांसी में सर्वेक्षण कार्य

29––श्री रियासत हुसैन––

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, बाराबंकी. नैनीताल, कानपुर, झांसी के सर्वे का काम अक्तूबर, 83 से पहले समाप्त हो गया है ? यदि हाँ, तो उनका गजट नोटिफिकेशन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर––

अवकाफ सर्वेक्षण कार्य केवल जनपद नैनीताल में अक्तूबर, 1983 के पूर्व समाप्त हुआ है । सर्वेक्षण के उपरान्त निश्चित किये गये अवकाफ को उ0 प्र0 मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 6 (4) के प्राविधानों के अनुसार यथासमय अधिसूचित किया जायेगा ।

30––श्री घनीराम वर्मा––

[8वें बुधवार के लिए स्थगित।]

जनपद जालौन के गाँव पुरा और माटौली ग्रामों की भूमि की सिंचाई की व्यवस्था

31––श्री घनीराम वर्मा––

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के ब्लाक रामपुर के गाँव पुरा और माटौली ग्रामों की भूमि की सिंचाई हेतु एक लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई है जिसकी नालियाँ आदि बन कर तैयार हैं ? क्या यह योजना कार्यरत है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्रामों की भूमि की सिंचाई होती है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार अतिशीघ्र उक्त ग्रामों की भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर के अन्तर्गत फतेहपुर निचली गंगा प्रखण्ड व राम गंगा प्रखंड इलाहाबाद व राम गंगा प्रखण्ड फतेहपुर में सींचपाल व सींच पर्यवेक्षक के रिक्त पद तथा चयन हेतु समिति का गठन

32––श्री इन्द्रजीत––

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल 52 कैन्ट कानपुर के अन्तर्गत फतेहपुर निचली गंगा प्रखण्ड व राम गंगा प्रखण्ड इलाहाबाद व राम गंगा प्रखण्ड फतेहपुर में सींचपाल व सींच पर्यवेक्षक के कितने पद रिक्त हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर के अन्तर्गत फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर, राम गंगा प्रखंड इलाहाबाद व रामगंगा खंड फतेहपुर (वर्तमान में सिंचाई खंड–2 इलाहाबाद व सिंचाई खंड फतेहपुर) में सींचपालों के 30 एवं सींच पर्यवेक्षकों के 8 पद रिक्त हैं ।

33––श्री इन्द्रजीत––

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राम गंगा प्रखण्ड इलाहाबाद रामगंगा प्रखण्ड फतेहपुर व निचली गंगा नहर फतेहपुर प्रखण्ड में नियुक्ति करने हेतु कमेटी कितनी बार अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर द्वारा गठित की गई है और किन-किन दिनांकों में की गई है, जिनकी वजह से चयन नहीं हो सका है क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता प्रखंडों के बाहर के उम्मीदवारों को रखना चाहते थे, जबकि शासनादेश के तहत स्थानीय प्रखंडों को रखना चाहिए ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सिंचाई कार्य मंडल, कानपुर में मण्डलीय स्तर पर वर्ष 1983–84 में दिनांक

30-7-83 को सींचपालों के चयन हेतु समिति का गठन किया गया। अधिशासी अभियन्ता, रामगंगा प्रखंड, इलाहाबाद का स्थानान्तरण हो जाने के कारण समिति के गठन में आंशिक संशोधन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनाँक 5-8-83 को किया गया।

सींच पर्यवेक्षकों के चयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनाँक 12-8-83 को समिति का गठन किया गया।

चयन न हो सकने का कारण ज्ञात किया जा रहा है।

34--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[9वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 1 पर स्थानान्तरित।]

35--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

मऊरानीपुर झांसी में सूखे की स्थिति से निपटने हेतु नलकूपों की व्यवस्था

36--श्री भागीरथ--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनाँक 17-9-81 का पत्र जो मऊरानीपुर झांसी में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए नलकूपों की व्यवस्था कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो कुल कितने नलकूप किन-किन स्थानों पर लगाये गये, कितने प्रस्तावित हैं? तथा शासन का अभी तक कुल नलकूप लगाने पर कितना व्यय हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है?

37--श्री भागीरथ--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद झांसी में नलकूपों की बोरिंग हेतु रिंग मशीनों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में पत्र

38--श्री भागीरथ--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता विधायक का पत्र दिनाँक 7 नवम्बर, 81 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, जिसमें जनपद झांसी में नलकूपों की बोरिंग हेतु रिंग मशीनों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध मे है, प्राप्त हुआ है? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

39--श्री भागीरथ--

[8वें वुधवार के लिए स्थगित]

जनपद देवरिया में राजकीय नलकूप

40--श्री विश्वनाथ--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 82-83 तक किन किन क्षेत्रों में कितने राजकीय नलकूप लगाये गये कितने ऐसे नलकूप हैं जो बन कर तैयार हो गये हैं किन्तु अब तक नलकूपों से सिंचाई का काम नहीं हो रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जनपद में वर्ष 1982-83 तक 765 राजकीय नलकूप लगाये गये जिनका क्षेत्रवार (ब्लाकवार) विवरण संलग्न है।

16 नलकूप ऐसे हैं जो बन कर तैयार हैं परन्तु उनमें से 9 नलकूप पर विद्युतीकरण न होने से तथा 7 नलकूपों पर नाली के अभाव के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 107 पर।)

रवहन आयुक्त कार्यालय में सफाईकार के पद पर कथित नियुक्तियां

41--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1-1-82 से 31-12-83 तक की अवधि में परिवहन आयुक्त कार्यालय में कितने सफाईकारों के पद पर कितनी नियुक्ति की गई है, उनमें से कितने आरक्षण कोटे के आधार पर कितने हरिजन, कितने सवर्ण की नियुक्ति की गई? क्या यह भी सही है कि आरक्षण कोटा पूरा न होने के बावजूद सवर्णों की नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

परिवहन आयुक्त कार्यालय में दिनाँक 1-1-82 से 31-12-83 तक किसी भी सफाईकार की नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री हरिकेश बहादुर, संसद सदस्य, का सुझाव एवं शिकायती पत्र

42--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिकेश बहादुर सिंह, संसद सदस्य, ने वर्ष 1983 में कोई सुझाव एवं शिकायती पत्र परिवहन विभाग, उ0 प्र0 को लिखित रूप में भेजा था? यदि हाँ, तो उनके सुझाव एवं शिकायतों पर विचार किया गया? क्या सुझाव एवं शिकायत सही पायी गयी और उसमें से कितने पर सरकार ने अब तक कार्यवाही की है, कितना अभी शेष है?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हाँ, श्री हरिकेश बहादुर, संसद सदस्य (लोक सभा) गोरखपुर का पत्र वर्ष 1983 में परिवहन विभाग में प्राप्त हुआ जिस पर समुचित विचारोपरान्त उनके सुझावों को कार्यान्वित करने का औचित्य नहीं पाया गया एवं उक्त पत्र में की गयी शिकायत सही नहीं पायी गयी इस संबंध में उन्हें मेरे अर्धशासकीय पत्र संख्या 249/30-3-84-38 जी ई/86, दिनाँक 23-3-84 के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है?

नलकूप मंडल, आजमगढ़ में श्री धर्मदेव प्रसाद की सेवा समाप्ति का औचित्य

43--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुध के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 166 के उत्तर में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब नलकूप मण्डल, आजमगढ़ में हरिजन आरक्षण पूर्ण नहीं है, तो धर्मदेव प्रसाद को सेवा से अलग करना क्या शासन की नीति के विरुद्ध नहीं है? यदि हाँ, तो उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री धर्मदेव प्रसाद की सेवा समाप्ति चूंकि नियमानुसार नियुक्ति हेतु अनुमोदित न होने के कारण की गयी थी, अतएव वह शासन की नीति के विरुद्ध नहीं है?

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ में विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों मे आरक्षण कोटा

44--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुध के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 267 नियुक्तियों में कितने हरिजनों की नियुक्तियाँ की गई थीं? क्या हरिजन नियुक्तियों के लिए सेवायोजन कार्यालय से कोई माँग की गई? यदि नहीं, तो उचित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अधिकारियों द्वारा किन आधारों पर समाधान कर लिया गया?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

45--श्री पंचानन राय--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित।]

बाराबंकी जेल के जेलर द्वारा कर्मचारियों के एरियर दिखाकर रुपये हड़पने की जांच

46--श्री ऊदल--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जेल के जेलर ने दिनाँक 31-3-83 को कर्मचारी एरियर दिखाकर 1185 रुपये हड़प कर लिया है जबकि उस दिन एरियर का रु0 किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार कैशबुक के पेज नं0 67 तथा वेतनावली 70 नं0 के पेज 88 की जाँच करायेगी?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

सम्पूर्ण प्रकरण की विशेष विभागीय सम्परीक्षा द्वारा जाँच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में कूड़ा-घोघी नदी तथा जमुआर कूड़ा नदियों के दोनों द्वाबों में सिंचाई की व्यवस्था की मांग

47--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ में कूड़ा-घोघी नदी तथा जमुआर-कूड़ा नदियों के दोनों द्वाबे में कोई

सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ के किसानों को अपने खेत की सिंचाई करने के लिये पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन नदियों के दोनों द्वाबे में नलकूप लगाकर सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में कूड़ा घोघी द्वाबे में राजकीय सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ? इसमें सिंचाई सरजू परियोजना से प्रस्तावित है।

जमुआर कूड़ा नदियों के दावे में 6 (छ) राजकीय नलकूपों तथा जमींदारी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र गोरखपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां एवं उनका निर्धारित माप दण्ड

48---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र गोरखपुर में 1-1-82 से अब तक विभिन्न पदों पर कुल कितनी नियुक्तियाँ हुई ? उनमें से कितनी नियमित की गयी है तथा कितनी तदर्थ आधार पर की गयी हैं ? इन नियुक्तियों के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या स्वतंत्रता सेनानियों का आरक्षण इन नियुक्तियों में पूरा है ?

श्री गुलाब सेहरा---

सूचना एकत्र की जा रही है ?

ग्राम खिटौली, ब्लाक साहनी जिला अलीगढ़ में जल प्लावन के कारण बगैर बोई हुई फसल तथा पानी की निकासी

49---डा0 धर्मपाल सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खिटौली, ब्लाक सासनी, जिला अलीगढ़ में जल प्लावन से अभी तक बिना बोई हुई किसानों की हजारों बीघा भूमि पड़ी हुई है ? क्या ग्राम खिटौली से ड्रेन ग्राम थामई, ब्लाक अकराबाद, तहसील सिकन्दराराऊ में सरसा नदी में नाला बनाना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो यह नाला न बनने का क्या कारण है ? कब तक नाला बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

ग्राम खिटौली, ब्लाक सासनी, जिला अलीगढ़ में कोई भी भूमि वर्तमान जल-प्लावन के कारण बगैर बोई हुई नहीं है।

इस क्षेत्र के पानी की निकासी शहवाजपुर एवं खिटौली नाले द्वारा सिरसा नदी में होती है। ग्राम खिटौली से थिरामई तक नाला बनाकर सिरसा नदी में मिलाना विचाराधीन नहीं है।

सिंचाई विभाग के सिविल सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

50---श्री नरेन्द्र सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सहायक अभियन्ताओं (सिंचाई विभाग) की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय हाल ही में हो चुके हैं ? यदि हाँ, तो अब तक उक्त सूची को प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सर्वोच्च न्यायालय ने ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्तों से संबंधित वाद के दौरान 2-9-83 को सिंचाई विभाग के सिविल सहायक अभियन्ताओं की 1964 से 1972 की ज्येष्ठता सूचियाँ प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। चूंकि ज्येष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित मामला अन्तिम निर्णय हेतु सर्वोच्य न्यायालय में लम्बित है अतः सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय से अक्तूबर, 1983 में प्रार्थना की गई है कि न्यायालय के अन्तिम निर्णय के बाद ही सूचियों का प्रकाशन करने की अनुमति दी जाय।

श्री एस० पी० मिश्र, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग रिंग्स, वाराणसी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

51---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुध के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 141 के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सहायक अभियन्ता

के विरुद्ध 1976 में दो सतर्कता जाँच के आदेश किये गए तथा उसमें पहली जाँच में यह सिद्ध पाया गया श्री मिश्र ने 4 बिटों के मरम्मत में नियमों का पालन नहीं किया जिसके लिए इनकी भर्त्सना प्रविष्टि की गई दूसरी जाँच अभी चल ही रही थी, इसी बीच श्री मिश्र को पदोन्नति कर अधिशासी अभियन्ता बना दिया गया ? यदि हाँ, तो उस पदोन्नति देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता (याँत्रिक) के पद पर चयन हेतु चयन समिति की बैठक अप्रैल 2, 1980 को हुई थी। उस समय कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 28 जून, 1980 द्वारा दी गई भर्त्सनात्मक प्रविष्टि श्री मिश्रा की चरित्र पंजिका में अंकित नहीं थी। चयन के समय सतर्कता अधिष्ठान द्वारा दूसरे मामले में खुली जाँच की जा रही थी, जो प्रोन्नति में बाधक नहीं थी।

52--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

(8वें बुधवार के लिए स्थगित)

जनपद हमीरपुर में सर्वोदय विकास आश्रम द्वारा संचालित निराश्रित महिला तथा बाल सदन मौदहा, हमीरपुर में गबन तथा जांच रिपोर्ट

53--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा 1984 के प्रथम सत्र के प्रथम बुध के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 111 के संबंध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जाँच अधिकारी कौन और किस तिथि को नियुक्त किये गये तथा उनकी जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री एन० के० धुसिया को निलम्बित किये जाने के आदेश

54--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा 84 के प्रथम सत्र के 1ले बुध के लिए निर्धारित ता० प्र० सं० 1 के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन० के० धुसिया पर आरोप सिद्ध पाए गए हैं ? यदि हाँ, तो उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया तथा इसमें बिलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंग ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

विभागीय प्रारम्भिक जाँच के परिणाम स्वरूप आरोपों के समर्थन में जो साक्ष्य एकत्र हुए हैं उसे लिपिबद्ध करके आरोप पत्र पर श्री एन० के० धुसिया के विरुद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही की जा रही है।

श्री एन० के० धुसिया को दिनाँक 25-2-84 के आदेश द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। यह निर्णय निदेशक प्रारम्भिक जाँच आख्या दिनाँक 13-2-1984 के, जो शासन को दिनाँक 18-2-1984 को प्राप्त हुई, पर विचारोपरान्त लिया गया है। विलम्ब से कार्यवाही होने का प्रश्न नहीं उठता।

55--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

(8वें बुधवार के लिए स्थगित।)

बस्ती जिले के विकास खंडों में आंगन बाड़ी स्कीम चालू कराने की मांग

56--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के उसका बाजार व नौगढ़ तथा वर्डपुर बाकड़े में जो कि जिले व प्रदेश के सबसे पिछड़े ब्लाक हैं आँगनबाड़ी स्कीम चालू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बस्ती जिले के चार विकास खण्डों में समन्वित बाल विकास योजना चल रही है। प्रश्न में उल्लिखित इस जिले के विकास खण्डों में अभी यह योजना लागू करना संभव नहीं है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़ में बाल विकास परियोजना

57--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़ से संबंधित ब्लाकों में बाल विकास परियोजना कहाँ-कहाँ लागू है ? उसमें अब तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़ में अभी बाल विकास परियोजना लागू करना सम्भव सम्भव नहीं है ।

तहसील नौगढ़ के औद्योगीकरण हेतु योजनायें

58—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के औद्योगीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन है ? उसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के डांडा नागराजा को पर्यटक स्थल के रुप में विकसित किये जाने की मांग

59—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के डाँडा नागराजा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु क्या प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा का दिनाँक 16-6-83 का पत्र सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और डाँडा नागराजा को कब तक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की सम्भावना है ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हाँ ।

विभाग द्वारा प्रश्नगत स्थल का सर्वेक्षण कराया गया । सवक्षण के अनुसार डाँडा नागराजा समुद्र तल से लगभग 2000 मी0 की ऊंचाई पर स्थित है तथा पौड़ी से 39 किलोमीटर तथा देव प्रयाग से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है । पानी को छोड कर यहाँ अन्य कोई मूलभूत सुविधायें, जो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में सहायक होती है, उपलब्ध नहीं है । अतः डाँडा नागराजा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किय जाने की सम्भावना नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में बेरोजगार शिक्षित युवकों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा

60—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, 1983 तक जनपद आजमगढ़ में बेरोजगार शिक्षित युवकों को स्वतः रोजगार के अन्तर्गत कितने युवकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा उक्त ऋण की स्वीकृति के आधार क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में माह दिसम्बर, 1983 तक तीन युवकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । उक्त ऋण की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित कार्यकारी दल के चयन के आधार पर की गयी है ।

स्व-रोजगार योजना का क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य

61—श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री राम गोविन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में स्वतः रोजगार योजना लागू की गयी है ? यदि हाँ, तो वर्ष 83 में कितने लोगों को इसके अन्तर्गत पैसा दिया गया है तथा कितना लक्ष्य रखा गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ । शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्व-रोजगार योजना प्रदेश में लागू की गयी है । वित्तीय वर्ष 1983-84 में प्रदेश ने 37,000 युवकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 83 में 31 दिसम्बर, 1983 तक 290 युवकों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खंड जैतीपुर व तिलहर एवं खुदागंज में औद्योगिक प्रगति

62—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर की तहसील तिलहर के विकास खण्ड जैतीपुर व तिलहर एवं खुदागंज में विगत दो वर्षों में वार्षिक औद्योगिक प्रगति क्या रही है ? क्या यह सच है कि तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर उद्योग के स्थाना-

न्तरण के फलस्वरूप औद्योगिक प्रगति में गिरावट आई हैं। यदि हाँ, तो क्या शासन किसी योग्य असिस्टेंट इंडस्ट्री आफिसर अथवा भू0 पू0 अ0 इ0 आफिसर की पुनः नियुक्ति तिलहर में करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है। चूंकि अपेक्षित सूचना उद्योग निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से एकत्रित की जा रही है अतः इसमें समय लग रहा है।

देव प्रयाग टेहरी गढ़वाल से दिडील खाल होते हुए टिहरी नगर के लिये प्राइवेट गाडियों की समय सारिणी में परिवर्तन तथा नोटिफिकेशन

63—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल से दिडील खाल होते हुए टिहरी नगर के लिये 4 बजे संध्या को प्रस्थान करने वाली प्राइवेट गाड़ियों को अब देवप्रयाग से दिन के 1 बजे प्रस्थान करना होता है ? यदि हाँ, तो समय सारिणी में क्या परिवर्तन किया गया और उसे गजट में कब प्रकाशित किया गया ? क्या इस सेवा के समय को बदले जाने का अलग से नोटीफिकेशन किया गया था ? यदि नहीं, तो यात्री वाहनों की सेवाओं के समय को राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों के स्थान पर प्राइवेट बस कम्पनियों के मालिकान संचालित करने हेतु सक्षम हैं ? क्या ऐसी कोई राजकीय घोषणा जारी की गयी है ? यदि हाँ, तो कब ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

बाराबंकी, फैजाबाद में मडहा नदी की जलोत्सारण क्षमता बढ़ाने की परियोजना पर विचार

64—श्री माधव प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी-फैजाबाद में बहने वाली मडही नदी जिससे लाखों एकड़ जमीन बाढ़ से डूब जाती है, की नहरीकरण योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो इसकी खोदाई कब तक की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मडहा नदी की जलोत्सारण क्षमता बढ़ाने की एक परियोजना विचाराधीन है।

योजना की संरचना पूर्ण होने और उसके गुणकारी पाये जाने पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन व धन की उपलब्धता के उपरान्त खुदाई का कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

परिवहन निगम, गोण्डा में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में बिना टिकट यात्री ले जाने के पकड़े गये मामले

65—श्री भीखालाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 परिवहन निगम गोंडा डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में उनके उप क्षेत्र में बिना टिकट यात्री ले जाने के लिये कितने मामले पकड़े गये है और इन मामलों से संबंधित कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध पृथक-पृथक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गाजीपर में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं उपभोग की जांच।

66—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत दिनाँक 1-1-79 से 31-12-83 तक कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गयी थी तथा किन-किन विकास खण्डों में इस योजना पर कितना खर्च किन-किन मदों में किया गया है ? क्या यह सत्य है कि दी गयी धनराशि का उपयोग एवं उपभोग पात्र व्यक्तियों के हित में न करके सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा फर्जी बिल वाउचर बना कर हड़प लिया गया है ? क्या मंत्री जी कोई आडिट दल भेज कर इन आरोपों एवं तथ्यों की जाँच करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जनपद आजमगढ़ अहरौला से माहुल–फूलपुर होते हुए आजमगढ़ हेतु बस सेवा पुनः चलाने की मांग

67––श्री अबुल कलाम––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ अहरौला से माहुल–फूलपुर होते हुए आजमगढ़ के लिए जो एक बस चलती थी उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है और पुनःउक्त बस कब चलायी जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा––

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गाजीपुर में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां

68––श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंग कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1982 एवं 1983 में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कुल कितनी नियुक्तियाँ की गयीं ? संबंधित नियुक्त व्यक्तियों के नाम, पता, जाति एवं शिक्षा क्या है ? क्या यह सत्य है कि उक्त नियुक्तियों में पात्र व्यक्तियों को नियुक्त न करके पैसे के आधार पर सकूनत एवं गलत शिक्षा का प्रमाण पत्र जमा करके नियुक्तियाँ की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इन आरोपों की जाँच मुख्यालय सी0 आई0 डी0 व अपराध विभाग से करायेंगे ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी––

जिलाधिकारी गाजीपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद स्तर से गाजीपुर जनपद में वर्ष 1982 व 83 में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत केवल चतुर्थ श्रेणी में निम्नलिखित नियमित नियुक्तियाँ की गयीं––

नाम	पता	जाति	शिक्षा
1––श्री भिखारी राम पुत्र रामानन्द	ग्राम पो0 सेवरायी, गाजीपुर	पासी	बी0ए0
2––श्री गौरी शंकर पुत्र केशवराम	ग्रा0 सरैया, छावनी लाईन, पो0 परिनगर गाजीपुर।	गड़ेरी	कक्षा 7
3––श्रीमती चन्द्रावती देवी पत्नी स्व0 श्री राम नरेश।	ग्राम पो0 बवेड़ी, गाजीपुर।	गड़ेरी	मृत कर्मचारी की पत्नी होने के कारण नियुक्ति की गयी।

उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति चयन समिति के आधार पर किया गया तथा पात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है। एसी दशा में अपराध विभाग से जाँच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में खोले गये कल कारखाने तथा विद्युत उपलब्धि

69––श्री रेवती रमण सिंह––

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में सन् 80 से 83 के बीच में कितने नए कल कारखाने एक करोड़ से अधिक के खोले गये। क्या सभी को विद्युत उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है।

आश्रम पद्धति विद्यालय तालबेहट, ललितपुर में कमरों का आच्छादित क्षेत्रफल

70––श्री पंचानन राय––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विद्यालय तालबेहट, ललितपुर में सम्प्रेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 88 विद्यार्थियों को दो कमरों में वर्ष 81–82 में रखा गया, जिनका आच्छादित क्षेत्रफल केवल 378 वर्गफीट था, वह कैसे सम्भव पाया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

वर्ष 81–82 में विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 88 थी परन्तु पूरे संख्या

में विद्यार्थी विद्यालय में कभी नहीं आये। वर्ष 81–82 में केवल 45 विद्यार्थियों की ही औसत दैनिक उपस्थित रही है।

विद्यालय भवन में 9 कमरे तथा एक कवर्ड बरामदा है जिसमें से 3 कमरे में विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध था जिनका क्षेत्रफल 578 वर्ग फीट है। इस प्रकार लगभग 15 विद्यार्थी एक कमरे में रहने का औसत आता है जो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार सम्भव था।

नवगवां पम्प नहर का ऊर्जीकरण तथा व्यय

71—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 23–11–83 के साथ जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड भवई के गाँव हंसराजपुर आदि के किसानों का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र नवगवाँ कैनाल नामक पम्प नहर द्वारा पानी न मिलने के कारण काफी नुकसान होने के संबंध में मिला है ? यदि हाँ, तो उक्त नहर का निर्माण कब हुआ था और उसके निर्माण में शासन का कितना रुपया खर्च किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रतिवर्ष कितनी जमीन अब तक सींची जाती रही है और अब तक सरकार को राजस्व के रूप में कितना रुपया मिल चुका है और क्या यह सही है कि उक्त पम्प नहर मौके पर अधूरी है और कागजात सरकारी में पूर्ण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

नवगवाँ पम्प नहर (क्षमता 5 क्यूसेक) का उर्जीकरण दिनाँक 20–10–76 को हुआ था ? इसके निर्माण पर अब तक रुपया 4.15 लाख व्यय किया गया है।

उर्जीकरण की तिथि से अब तक नहर का सिंचाई आँकड़ा व अर्जित राजस्व निम्नानुसार रहा है:—

वर्ष	सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)	राजस्व आय (रुपयों में)
1876–77	39	730.00
1977–78	63	1369.00
1978–79	73	1414.00
1979–80	129	2358.00
1980–81	71	1601.00
1981–82	68	1922.00
1982–83	156	4198.00
1983–84 (10–3–84 तक)	193	सिंचाई चल रही है अभी जमा बन्दी नहीं बनी है।

जी नहीं।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यालयों से बिना बिल प्राप्त हुए धनराशि का आहरण

72—श्री सरदार सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा ने वित्तीय वर्ष 82–83 की समाप्ति पर विद्यालयों से छात्रवृत्ति के बिल बिना प्राप्त किए हुए ही तीन लाख रुपए का आहरण (ड्रा) किया था ? यदि हाँ, तो उस धन को किस खाते में डाला गया और उसका ब्याज किस खाते में जमा किया गया था ? इस संबंध में दोषी अधिकारी के खिलाफ शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 82–83 की समाप्ति पर विद्यालयों से बिना बिल प्राप्त किये हुए तीन लाख रुपये की कोई धनराशि आहरित नहीं की गयी।

केवल रु0 3,50,000 दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का बैंक ड्राफ्ट द्वारा मण्डलीय उप निदेशक के यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिसे करेन्ट एकाउन्ट्स में जमा कर दिया

गया। करेन्ट एकाउन्ट में कोई ब्याज दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रूहियांव विकास खंड मया, जिला फैजाबाद के अनुसूचित लोगों के नाम पर आई०आर०डी० का पैसा लिये जाने के संबंध में जांच

73—श्री रामस्वरुप वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित दिनाँक 7-1-84 का शिकायती पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम रूहियाँव, वि0 खं0 मया, जिला फैजाबाद के अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर किसी अन्य ने आई0 आर0 डी0 का पैसा ले लिया है? यदि हाँ, तो उसकी जाँच किससे करवायी गयी और जाँच का निष्कर्ष क्या निकला? क्या इस मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

माननीय सदस्य का पत्र दिनाँक 20-9-83 तथा दिनाँक 7-10-83 और अध्यक्ष छात्रसंघ मूल भारतीय छात्रावास सिविल लाइन रायबरेली का पत्र दिनाँक 5-10-1983 एक ही विषय से संबंधित है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी रायबरेली द्वारा जाँच की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग

74—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कौन-कौन से मोटर मार्ग निर्माणाधीन हैं और इनकी स्वीकृति शासन द्वारा कब-कब दी गई और प्रत्येक की निर्माणाधीन लम्बाई क्या है तथा स्वीकृत स्थान तक की प्रत्येक मार्ग की अवशेष लम्बाई क्या है तथा इस अवशेष भाग का निर्माण कब तक होने की सम्भावना है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

सूचना संलग्न विवरणानुसार है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 108-111 पर।)

राज्य सड़क परिवहन निगम के मेरठ क्षेत्र में अनुबंधित बसें एवं उनके निर्धारित कार्य

75—श्री मंजूर अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पास इस समय मेरठ रीजन में कितनी ठेके की बसें हैं जो चल रही है? बसों की पंजीकृत संख्या नम्बर, व उनका माडल क्या है?

श्री गुलाब सेहरा—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मेरठ क्षेत्र में 112 अनुबन्धित बसें हैं जो चल रही है और जिनकी पंजीकृत संख्या व माडल आदि का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 112-115 पर।)

76—श्री मंजूर अहमद—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम के पास मेरठ रीजन में कितनी बसें चलने योग्य हैं और किन-किन मार्गों पर चल रही हैं? अनुबन्धित बसें कितनी हैं और किन किन मार्गो पर कितनी बसें चल रही हैं?

श्री गुलाब सेहरा—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मेरठ क्षेत्र में 270 बसें संचालन योग्य हैं तथा 112 अनुबंधित बसें संचालित है। जिन-जिन मार्गो पर निगम व अनुबंधित बसें संचालित है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 116-121 पर।)

गोरखपुर जनपद में आमी नदी की बाढ़ से बचाव हेतु तटबन्धों को बांधने हेतु योजना

77—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में आमी नदी की बाढ़ से बचाव के लिए आमी नदी के दोनों तटबन्धों को बाँधने के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस योजना की स्वीकृति होने तथा कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

जनपद गोरखपुर में आमी नदी के दोनों ओर तटबन्धों की एक परियोजना दिनाँक 3–3–84 की राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कुछ संशोधनों के साथ अनुमोदित की गई है।

संशोधित योजना पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्वीकृति तथा धन उपलब्धि के उपरान्त ही कार्यान्वयन संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

ट्यूबवेल नं० 63, हरिचन्दनपुर तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के नलकूप चालक के खिलाफ आरोपों की जांच

78—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल नं0 63, हरिचन्दनपुर, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के नलकूप चालक के खिलाफ 7–12–83 को प्रधान तथा नागरिकों ने एक प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता नलकूप भदोही वाराणसी को दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गाँव हरिचन्दनपुर अमवाँ कलाँ के किसानों से कोई जाँच की गयी ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, कूप चालक के खिलाफ आरोपों की जाँच की गयी तथा गाँव हरिचन्दनपुर अमवाँ कलाँ के किसानों से भी जाँच की गयी। कूप चालक के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। शेष प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मूक बधिर विद्यालय, आगरा के प्रधानाचार्य श्री महेश्वरी नारायण श्रीवास्तव के विरुद्ध गबन के आरोप की जांच

79—श्री भीखालाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मूक बधिर विद्यालय; आगरा के प्रधानाचार्य श्री महेश्वरी नारायण श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 1975 में लगभग सोलह हजार रुपये के गबन व घोटाला करने का मामला प्रकाश में आया था जिसकी जाँच बरेली रेन्ज की सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई गई थी ? यदि हाँ, तो क्या गबन का आरोप सिद्ध हुआ अथवा नहीं ? यदि सिद्ध हुआ तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

इस मामले की जाँच आगरा की पुलिस द्वारा की गयी थी। इस जाँच में गबन का आरोप सिद्ध पाया गया था। न्यायालय मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट (प्रथम) आगरा द्वारा श्री महेश्वरी नारायण श्रीवास्तव को संदेह का लाभ देकर दिनाँक 30–10–81 को दोष मुक्त कर दिया गया था, इसलिये श्री श्रीवास्तव को दिनाँक 10–5–84 को निलम्बन अवधि का वेतन न देते हुये बहाल कर दिया गया है।

ग्राम सखनपुर में नलकूप का कथित छिद्रण

80—श्री राम गोविन्द—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री द्रोणाचार्य चौबे, ग्राम प्रधान सुरहीं, ब्लाक सोहाँव ने जिलाधिकारी बलिया को जून, 83 में एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें मौजा सरवनपुर में बोरिंग किये गये सरकारी ट्यूबवेल पर पम्प हाउस एवं विद्युतीकरण की बात कही गयी है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री महोदय इस नलकूप को चालू करने हेतु विभाग को आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सरवन पुर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कोई नलकूप छिद्रित नहीं किया गया है।

सिटी बस लखनऊ के सीनियर फोरमैन श्री के० बी० मेनन का कार्यकाल तथा लिखित शिकायत पर कृत कार्यवाही

81—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिटी बस लखनऊ के सीनियर फोरमैन (श्री के0 बी0 मैनन) कब से कार्यरत है और

क्या जुलाई, 1983 में नगर बस में कार्यरत कर्मचारियों में से लगभग 170 कर्मचारियों ने श्री मैनन के विरुद्ध एक लिखित शिकायत श्री कमल टावरी, प्रबन्ध निदेशक से की थी ? यदि हाँ, तो उस लिखित शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्री के0 बी0 मैनन, सीनियर फोरमैन नगर बस लखनऊ क्षेत्र में 8-2-81 से कार्यरत है ।

जी हाँ ।

श्री मेनन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को जाँचोपरान्त सही नहीं पाया गया । बल्कि श्री मैनन के कार्य की सराहना की गयी है ।

फिर भी श्री मैनन को जनहित में नगर बस सेवा से क्षेत्रीय कर्मशाला, लखनऊ में स्थानान्तरित कर दिया गया, जहाँ श्री मेनन ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

आजमगढ़ क्षेत्र के कार्यवाहक डिपो प्रबन्धक श्री टी० एन० सिंह के विरुद्ध रोडवेज मजदूर सभा, आजमगढ़ द्वारा अनशन

82--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ क्षेत्र के कार्यवाहक डिपो प्रबन्धक (श्री टी0 एन0 सिंह) के भ्रष्टाचार, उत्पीड़न तथा मनमानी के विरुद्ध रोडवेज मजदूर सभा, आजमगढ़ द्वारा विगत 27 फरवरी, 83 से प्रश्न भेजने की तिथि तक आमरण अनशन जारी है ? क्या यह भी जानकारी हुई है कि अनशनकारी श्री शफीक अहमद पर अनशन कैम्प में प्राणघातक हमला कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आजमगढ़ के थाना कोतवाली में दिनाँक 1-3-83 को ही दर्ज हुई ? यदि हाँ, तो इस पर श्री टी0 एन0 सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम रसूलपर का पानी निकालने हेत मुख्य सड़क में नाला खोदकर खुदाई की मिट्टी नाले के किनारे आगमन हेतु डालने का प्रस्ताव

83--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुलतानपुर में बरसात के दिनों में जल भराव के कारण ग्रामवासियों के आवागमन का कोई साधन नहीं रह जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार गाँव के पानी निकासी हेतु ग्राम की मुख्य सड़क को गन्दा नाला के रूप में परिवर्तित करके ग्राम दौलतपुर निसरा के नाले में मिलाने तथा नाले के किनारे-किनारे बाँध बनाकर लोगों के आवागमन के लिये व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हाँ ।

ग्राम रसूलपुर का पानी निकालने के लिए ग्राम की मुख्य सड़क में नाला खोदकर खुदाई की मिट्टी नाले के किनारे आवागमन हेतु डालने का प्रस्ताव है । यह नाला दौलतापुर निसरा के पास विभागीय नाले (सरैयाँ ड्रेन) में मिल जायगा ।

नाले पर मिट्टी का कार्य वर्ष 1984 की वर्षा के पूर्व पूर्ण हो जाने की आशा है ।

जनपद गाजीपुर में बस एवं मोटर दुर्घटनाओं मृतक परिवारों को प्रदान की गयी आर्थिक सहायता

84--श्री राम नारायण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में 1-1-79 से 1-1-84 तक कुल कितने बस एवं मोटर दुर्घटनाएं हुई हैं तथा कुल कितने लोग मरे तथा कितने घायल एवं मृतक परिवारों को सरकार द्वारा कौन सी आर्थिक राहत प्रदान की गयी है तथा दोषी जनों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 1-1-79 से 1-1-84 तक गाजीपुर जनपद में कुल 338 मोटर एवं बस दुर्घटनायें

हुई हैं, जिनमें 160 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 178 घायल हुए । अज्ञात वाहनों से हुई दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता देने की तोषण-निधि योजना के अन्तर्गत 4 मृतकों के आश्रितों को 20,000 रुपये (प्रत्येक को 5000 रुपये की दर से) तथा यात्री बस दुर्घटनाओं में शासनादेश संख्या 2791 प/30–3–13 डब्लू/81, दिनाँक 25–7–81 द्वारा लागू योजना के अन्तर्गत 4 मृतकों के आश्रितों को 65,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । जिसमें तोषण निधि से 5,000 रुपये तथा यात्री बस दुर्घटनाओं में 20,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न स्थानों पर 338 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी तथा पुलिस द्वारा 160 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है । शेष मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

शारदा सहायक नहर की नालियों के कम जोर होने से संबंधित कथित पत्र

85––श्री पंचानन राय––

क्या सिंचाई मंत्री बतांने की कृपा करेंगे कि श्री राम लच्छन सिंह, ग्राम प्रधान, चकलाल चन्द्र, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र शारदा सहायक नहर की नालियों के कमजोर होने से सम्बन्धित दिनाँक 29–8–83 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 24–9–83 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी नहीं । प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में ग्राम गठमोहन तथा ग्राम ऊंचाडीह, सलेमपुर के निवासियों का जल निकास की व्यवस्था करने से संबंधित पत्र

86––श्री पंचानन राय––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में ग्राम गठमोहन तथा ग्राम ऊंचाडीह सलेमपुर के निवासियों का जल निकास की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 29–10–83 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुष्टाहार योजना तथा व्यय

87––प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुष्टाचार योजना कब से लागू की गयी ? वर्ष 80–81, 81–82, 82–83 तथा 83–84 में अब तक किन-किन ग्रामों को इस योजना में लिया गया तथा कितना कितना धन व्यय हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुसहर जाति के परिवार को फिर से बसाने की योजना

88––श्री पंचानन राय––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहर जनजाति के परिवारों को फिर से बसाने की कोई योजना वर्ष 78–79 में प्रारम्भ की गयी ? यदि हाँ, तो यह योजना किन-किन जनपदों में प्रारम्भ की गयी है ? आजमगढ़ जनपद में इस योजना के प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? इस योजना पर 78–79 से 82–83 की अवधि में प्रति वर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उसमें से कितनी प्रयुक्त हुई ? पूरे धन के प्रयुक्त न होने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मुसहर जो कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति है के परिवारों को फिर से बसाने की योजना वर्ष 1978–79 से प्रारम्भ की गयी है । यह योजना गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, वाराणसी तथा सुल्तानपुर जनपदों में संचालित है । आजमगढ़ जनपद सवक्षण के अनुसार मुसहर बाहुल्य क्षेत्र

नहीं था। अतः यह योजना वहाँ संचालित नहीं की गयी। इस योजना पर वर्ष 1978–79 से 1982–83 तक की अवधि में आवंटित तथा व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न है––

वर्ष	आवंटन	व्यय
1978–79	4,99,954	3,66,779
1979–80	3,16,000	3,32,618
1980–81	4,48,000	2,80,456
1981–82	4,64,000	4,35,623
1982–83	5,44,000	3,92,857

पूरी धनराशि इस कारण व्यय न की जा सकी, क्योंकि लाभार्थियों हेतु उपयुक्त स्थल का चयन नहीं हो सका।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को प्रदान की गयी कथित नवीन छात्रवृत्ति

89––श्री पंचानन राय––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विभागीय आदेशानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों (आय के आधार पर) के दूसरे/तीसरे वर्ष आदि के लिये कोई नई छात्रवृत्ति स्वीकृति नहीं करनी थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि आगरा जिले में वर्ष 80–81 तथा 81–82 की अवधि में 63 ऐसे विद्यार्थियों को 22,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हाँ।

जी नहीं। दूसरे एवं तीसरे वर्ष की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोई नवीन छात्र वृत्ति प्रदान नहीं की गई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर जिले में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को भुगतान

90––श्री पंचानन राय––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में 1980–81 तथा 81–82 की अवधि में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 14 विद्यार्थियों को 45,000 रुपये का भुगतान सामान्य शैक्षिक सत्र से लम्बी अवधि के लिये किया गया है ? यदि हाँ, तो उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर कानपुर में दशमोत्तर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण के कारण

91––श्री पंचानन राय––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर-कानपुर जनपद में 36,000 रुपये की दशमोत्तर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विद्यार्थियों की पढ़ाई पूर्ण हो जाने के बाद 80–81 तथा 81–82 की अवधि में किया गया ? इसके प्रमुख कारण क्या है और इसके लिये उत्तर दायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ को बालिका तथा लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु दी गयी धनराशि तथा निर्माण कार्य

92––श्री पंचानन राय––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ को 1982 तक बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा लड़कों के छात्रावास हेतु निगम द्वारा कुल कितना ऋण एकत्रित किया गया ? इस धनराशि से नवम्बर, 83 तक कितनी निर्माण कार्य हुआ है तथा इस प्रकार निर्मित छात्रावासों का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0, लखनऊ को 1982 तक बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु कुल रु0 50.180 लाख की धनराशि प्रदान की गयी तथा लड़कों के छात्रावास के निर्माण हेतु उक्त निगम द्वारा बैंकों से कुल रु0 33.197 लाख का ऋण लिया गया। इन धनराशियों से नवम्बर

1983 तक 6 छात्राओं के तथा 24 छात्रों के छात्रावासों का निर्माण किया जा चुका है एवं 5 छात्राओं के तथा 7 छात्रों के छात्रावास निर्माणाधीन है । इस प्रकार निर्मित छात्रावासों में से कुछ छात्रावासों का उपयोग छात्र/छात्राओं के रहने के लिये किया जा रहा है तथा शेष के उपयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 एवं 80 का उत्तर ठीक प्रकार से न दिये जाने के संबैध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, आज के एजेंडे के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 को कृपया देखें । एजेंडे में छपे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, कृपया उसे भी देखे, दोनों में कोई तारतम्य नहीं है । एजेंडे में फैजाबाद के बारे में पूछा गया था और उत्तर में रायबरेली के बारे में सूचना दी गयी है ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं अगले हफ्ते के लिये लेता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । आप देखें कि जो अतारांकित प्रश्न संख्या–80 का उत्तर माननीय सिंचाई मंत्री जी ने दिया है । मान्यवर, इसका सन्दर्भ मैंने पिछली बार भी उठाया था और उसका यही उत्तर आया था । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस में सवाल है कि क्या ग्राम प्रधान सुरही, ब्लाक सोहाँव ने जिलाधिकारी बलिया को एक आवेदन-पत्र दिया है ? श्रीमन्, उस पत्र की कापी मेरे पास है, कलेक्टर ने रिसीव किया है, और इन्होंने जबाव दिया है कि आवेदन पत्र दिया ही नहीं । दूसरी बात यह कि मान्यवर, भारत सरकार ने वहाँ एक महा नलकूप की स्कीम चलायी थी । मान्यवर, नदी के किनारे-किनारे पानी उठाने के लिये यह स्कीम बनी । बलिया जनपद में सूरही ब्लाक सोहाँव में यह बहुत बड़ा ट्यूबवेल है, उसकी सफाई हो गयी है । अब सूचना है कि भारत सरकार न उसकी बोरिंग करायी थी । और अब उसको सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर कर दिया है हेड बनाने और विद्युतीकरण के लिये इसके लिये कई बार लिखा गया, ग्राम प्रधान ने भी लिखा है, लेकिन ये बार-बार जबाव दे देते हैं कि सरकार ने वहाँ ट्यूबवेल नहीं लगाया है । तो वहाँ ट्यूबवेल के लिये बोरिंग करायी है भारत सरकार ने और अब सिंचाई विभाग को ट्रांसफर कर दिया है । तो क्या माननीय मंत्री जी वहाँ पर हेड लगाने व ऊर्जीकरण करने के आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इस बात को देख लें ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 को पुनः स्थगित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमन्, कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या 63 को देखने की कृपा करें । मेरे प्रश्न से स्पष्ट था कि इस पर इतने समय की जरूरत इतनी अधिक नहीं थी, जितनी माननीय मंत्री जी ने लिखा है । प्रश्न बहुत संक्षेप में पूछा गया था कि देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल से दिडील खाल होते हुए टिहरी नगर के लिये 4 बजे संध्या को प्रस्थान करने वाली प्राइवेट गाड़ियों को अब देव प्रयाग से दिन के 1 बजे प्रस्थान करना होता है, यदि हाँ, तो समय सारिणी में कब परिवर्तन किया गया और उसे गजट में कब प्रकाशित किया गया ....

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें ।

प्रश्नों का समय समाप्त होने पर बहुत से माननीय सदस्य प्रश्नों क सम्बन्ध में आपत्तियाँ करत है अत: मंत्री लोग भविष्य में इस बात का ध्यान रखें । कि प्रश्नों का समय समाप्त होने के बाद जब तक प्रश्नों क संबंध में आपत्तियाँ आती हैं या अतारांकित प्रश्नों के बारे में सूचनाएं माँगी जाती हैं, माननीय मंत्री जी तब तक कम से कम बैठ जाया करें ।

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या इस सेवा के समय को बदले जाने का अलग से नोटिफिकेशन किया गया था ? यदि नहीं, तो यात्री वाहनों की सेवाओं के समय को राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों के स्थान पर प्राइवेट बस कम्पनियों के मालिकान संचालित करने हेतु सक्षम हैं ? क्या ऐसी कोई राजकीय घोषणा जारी की गयी है ? यदि हाँ, तो कब । मान्यवर, जो बस 4 बजे चलती थी वह एक बजे चलने लगी । प्राइवेट मालिकान ने उसे अपने हाथ में ले लिया । मैंने परिवहन सचिव को भी लिखकर दिया, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । आज यह दूसरी बार स्थगित हो गया है । आज भी जो उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । आज पूरे प्रदेश में हजारों गाड़याँ है, मैंने सिर्फ एक गाड़ी के बारे में पूछा था । जब इस एक गाड़ी की सूचना माननीय मंत्री जी एकत्र नहीं कर पा रहे है तो इन हजारों गाड़ियों की सूचना माननीय मंत्री जी कैसे कर पायेंगे ? मैं तो समझता हूं कि ऐसी हालत में इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर एक हफ्ते में दिलवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री विद्यासागर नौटियाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है अपने प्रश्न 63 के संबंध में और जिसके बारे में कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है, मैं इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री कृष्ण कान्त अवस्थी तथा श्री भगौती प्रसाद शुक्ल के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े दुख की बात है कि हम अपने दो भूतपूर्व सम्मानित सदस्यों के निधन की सूचना इस आदरणीय सदन में दे रहे हैं । श्री कृष्णकान्त अवस्थी, मेरे ही जिले सीतापुर के रहने वाले थे । इन का जन्म 1 दिसम्बर, 1926 को सीतापुर के ग्राम इटौवा में हुआ था । 7 मार्च, 1984 को इनका एक लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया है । इटौवा में ही इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की । 1969 में मध्यावधि चुनाव में आप काँग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए और 1974 तक इस आदरणीय सदन के एक सम्मानित सदस्य रहे । आप कई बार ब्लाक प्रमुख तथा ग्राम प्रधान भी रहे । आपने सीतापुर तथा प्रदेश के राजनैतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लिया और आप एक अच्छे समाज सेवी भी थे । पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आप हमेशा उनके संघर्षों में शरीक रहे । राजनैतिक जीवन को देखते हुए उनकी उम्र बहुत कम रही । मैं महसूस करता हूं कि क्योंकि वह मेरे मित्रों में भी रहे, कि उनके मरने से एक बड़ी कमी महसूस हो रही है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से आप ये शोक संवेदनाओं के भाव उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा दुख का समाचार भूतपूर्व सम्मानित सदस्य श्री भगौती प्रसाद शुक्ल जी के स्वर्गवास का है । 18 मार्च, 1984 को श्री शुक्ल जी का निधन प्रातः 9–30 बजे हुआ । श्री शुक्ल जी का जन्म 5 सितम्बर, 1907 को फैजाबाद के ग्राम शुकुल पट्टी में हुआ था, जो वर्तमान सदस्य श्री जियाराम शुक्ल जी के पिता भी थे । वह काफी बड़े समाज सेवी भी थे । वर्ष 1940 के आसपास श्री शुक्ल, डा0 गणेश कृष्ण जेटली के सम्पर्क में आये और तभी से उनका राजनैतिक जीवन प्रारम्भ हुआ । वह केवल फैजाबाद के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे । उन्होंने क्रांतिकारी का काम उस समय किया जब ब्रिटिश का यहाँ पर साम्राज्य था । पुलिस को उनकी बराबर तलाश थी, इसके बावजूद भी वे नहीं पकड़े जा सके । 1969 में आप फैजाबाद के कटेहरी के निर्वाचन क्षेत्र से काँग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए और 1974 में आप पुनः निर्वाचित हुए । समाज में और राजनीति में उनका एक आदर्श था, एक स्टेटस था । उनके निधन से एक कमी को महसूस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया जा रहा है और एक वर्तमान सदस्य पिता होने के नाते दुख का अहसास ज्यादा हो रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से आप ये शोक संवेदनाओं के भाव माननीय श्री जियाराम शुक्ल तक पहुंचाने की कृपा करें। हम उनके शोक सन्तप्त परिवार के दर्द और दुखों में हर समय शरीक है ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने इस सम्मानित सदन के दो भूतपूर्व सदस्यों--स्वर्गीय श्री कृष्ण कान्त अवस्थी एवं श्री भगौती प्रसाद शुक्ल जी के निधन पर संवेदना के जो भाव व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता है ।

मान्यवर, जैसा कि डा0 रिजवी ने कहा- अवस्थी साहब 1969 में इस सम्मानित सदन के सदस्य चुनकर आये थे और वे सीतापुर जनपद के निवासी थे और वहाँ से चुनकर के इस सदन में आये थे। उनके निधन से, जनपद सीतापुर ने ही नहीं, प्रदेश ने एक अच्छा कर्मठ समाज सेवी और एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता खोया है। मान्यवर. दूसरे स्वर्गीय श्री शुक्ला जी के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा और काफी उचित भी होगा उनके लिए मान्यवर, कि वह स्वतन्त्रता संग्राम की वह पीढ़ी, जिसने इस देश को आजाद कराया, वह धीरे-धीरे हमारे बीच से उठती चली जा रही है। जिन आदर्शों के लिए, देश में जिन मूल्याँकन की स्थापना के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थीं, वह भी उनके साथ धीरे-धीरे , मैं ऐसा अनुभव करता हूं, हटती चली जा रही हैं ।

मान्यवर, उनके निधन से हम सभी को निश्चित तौर से दुख है, उनके सुपुत्र हमारे इस सम्मानित सदन के साथी हैं, सदस्य हैं, और उनके दुख में हम भी शरीक हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी संवेदनाओं की भावनाएं दोनों स्वर्गीय माननीय सदस्यों के परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैं अपने को और अपने दल को स्वर्गीय श्री कृष्ण कान्त अवस्थी और स्वर्गीय भगौती प्रसाद शुक्ल जी के सम्बन्ध में, जो माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने और नेता, विरोधी दल ने विचार प्रकट किए हैं, उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन, इन दोनों ही लोगों के साथ इस सम्मानित सदन में मुझे काम करने का मौका मिला। विशेष रूप से शुक्ला जी के साथ बैठकर, उनसे आजादी के सिलसिले में बहुत दिलचस्प वाकियात सुनने का मौका मिला था और प्रेरणा भी मिली थी। श्रीमन, मैं अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदनाएं आप उनके परिवारों तक भिजवाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल---

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण कान्त अवस्थी और स्वर्गीय श्री भगौती प्रसाद शुक्ल के सम्बन्ध में जो विचार नेता, सदन की ओर से माननीय शिक्षा मन्त्री जी, नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी की तरफ से व्यक्त किए गये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और इन दिवंगत आत्माओं के परिवार जनों को जो दुख है, उससे अपने को और अपने दल को शरीक करता हूं और उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके दुखी परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, हमारे इस सम्मानित सदन के दो भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री कृष्ण कान्त अवस्थी व स्वर्गीय श्री भगौती प्रसाद शुक्ल के निधन से हमें गहरा दुख है और हमारे नेतागण ने जो शोकद्गार उनके प्रति व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को इससे सम्बद्ध करता हूं और मान्यवर, आप से अनुरोध करता हूं कि आप हमारी और हमारे दल की ओर से संवेदनाएं उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन की ओर से शिक्षा मन्त्री, नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने, स्वर्गीय कृष्ण कान्त अवस्थी व स्वर्गीय भगौती प्रसाद शुक्ल के निधन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं।

जहाँ तक, स्वर्गीय कृष्ण कान्त अवस्थी जी का सम्बद्ध है, 7 मार्च, 1984 को एक लम्बी बीमारी के कारण उनका 58 वर्ष की अवस्था में, देहान्त हो गया। 1926 में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी।

1969 में इस आदरणीय सदन में वे पहली बार चुनकर आए थे और 1974 तक इस सदन के सदस्य रहे। पढ़ाई छोड़ने के बाद स्वर्गीय अवस्थी जी ने कांग्रस पार्टी में काम किया और वह प्रमुख भी रहे थे, गन्ना यूनियन इत्यादि के संचालक भी थे। अवस्थी जी अपने जीवन काल में आम जनता और खासतौर पर पिछड़े क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे। शिक्षा में भी उन्होंने योगदान दिया। उनके निधन से सीतापुर जनपद ने एक जन-सेवक एवं सक्रिय नेता खो दिया है।

जहाँ तक स्वर्गीय भगौती प्रसाद शुक्ल जी का सम्बन्ध है, 18 मार्च, 1984 को प्रातः 9-30 बजे उनका निधन हो गया। उनकी आयु 77 वर्ष की थी। वे 1969 से लेकर 1974 तक विधान सभा के सदस्य रहे। जहाँ तक उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सम्बन्ध है, 1940 के आसपास वे डा0 गणेश कृष्ण जेतली के सम्पर्क में आए और तभी से उनका राजनैतिक जीवन प्रारम्भ हुआ। 1942 के स्वतन्त्रता आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। उसी वक्त डाक लूटने तथा तार काटने आदि की समस्याओं के सम्बन्ध में उनके नाम गिरफ्तारी के वारन्ट निकले, परन्तु वे भूमिगत हो गये और गिरफ्तार न हो सके। इसके बाद शुक्ल जी श्री जयराम वर्मा के सहयोगी रहे। जहाँ तक शुक्ल जी का सम्बन्ध है, वे अच्छे लोगों में से थे जिन्होंने स्वतन्त्रता सेनानी होने के नाते अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। शुक्ल जी बहुत प्रेमी व्यक्ति थे। 1940 में राजनीति में प्रवेश करने के बाद से लेकर वे बराबर संघर्ष करते रहे। हमने अपने प्रदेश मे एक उच्च समाज सेवी तथा स्वतन्त्रता सेनानी को खो दिया है।

इन शब्दों के साथ ही माननीय नेताओं ने जो भाव प्रकट किए हैं, वह उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भेज दूंगा। इसके साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति दे। अब सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए।)

(मौन के दौरान लाबी से हंसने और बात करने की आवाजें आने पर)

श्री अध्यक्ष---

जब इस प्रकार से शोक प्रस्ताव चल रहा हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि लाबी में लोग हंसे नहीं। उनको भी ऐसे ही शान्त रहना चाहिए। जब सदन में लोग खड़े हैं, उसके बाद भी वहाँ से आवाज आती है, इस बात का ध्यान रखा जाय।

श्री अम्मार रिजवी---

हमें इस बात का दुख है कि इस तरह की घटना घटी। मेरा सुझाव है कि जिस समय यहाँ पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हो और हम लोग खड़े हों, तो अक्सर लाबी में पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में मा0 अध्यक्ष कार्यालय के स्टाफ का कोई व्यक्ति. . .वहाँ भेज दिया जाय ताकि वह लोग भी खड़े हों जायं जैसे और लोग खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्य सामग्री के अभाव से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैंने श्री कुंवर सिंह नेगी एवं श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नन्द राम, श्री शंकर सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी और श्री बलबीर सिंह की सूचना को स्वीकार किया है और शेष को अस्व

*श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय क्षेत्र में दोनों मण्डलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में खाद्य सामग्री का भारी अभाव है, उपभोक्ताओं को राशन कार्डों पर मात्र दो किलो चावल, दो किलो गेहूं व एक किलो चीनी प्रति यूनिट के हिसाब से प्रति माह वितरित की जा रही है। चावल और गेहूं बहुत ही घटिया किस्म के सड़े-गले जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वितरित किए जा रहे हैं। मिट्टी के तेल की भी नियमित एवं पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। आम बाजार में यह वस्तुएं बहुत मंहगी हैं जोकि यहाँ के सामान्य गरीब उपभोक्ता की क्रय शक्ति से बाहर हैं। उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से इन वस्तुओं की आपूर्ति हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस भयंकर अन्न संकट से लोगों में भयंकर आक्रोश, असन्तोष एवं घोर निराशा व्याप्त है।

अतएव इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय खाद्य मन्त्री से माँग करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में ठीक किस्म का खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा मिट्टी के तेल की भी नियमित एवं पर्याप्त आपूर्ति की जाय।

लोनी कटरा (बाराबंकी) की पुलिस द्वारा जिला किसान संघ के अध्यक्ष श्री गुरु बख्श को पीटने व जेल भेजने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पुलिस जुल्म की क्रूरतापूर्ण घटना मैं आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। 16 मार्च, 1984 की रात को जिला बाराबंकी, थाना लोनी-कटरा की पुलिस अकारण विद्वेशवश मुरुफूपुर निवासी श्री गुरुबख्श सिंह को थाने पकड़ ले गयी। श्री सिंह के सम्भ्रान्त नागरिक तथा जिला किसान संघ के अध्यक्ष हैं। यह खबर सुनकर जवार के लगभग 20 लोग थाने गिरफ्तारी का कारण जानने पहुंचे। होली की रात्रि होने के कारण जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना की। मान्यवर, आदरणीय सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभी 20 व्यक्तियों को बुरी तरह थाने के भीतर लातों, घूसों, बेतों से मारा गया तथा हवालात की कोठरी में भूसे की तरह ठूंस दिया गया। जिस समय सम्पूर्ण देश होली का उल्लास मना रहा था, यह ग्रामीण हवालात में थे। वहाँ पर 20 व्यक्तियों के बैठने तक की जगह नहीं थी। पानी तक नहीं दिया गया। दूसरे दिन सायंकाल उन्हें छोड़ दिया गया। मात्र श्री गुरु बिख्श सिंह जेल भेजे गये। प्रश्न यह है कि पुलिस ने अकारण हवालात में क्यों बन्द रखा। यदि कोई अपराध था तो मुकदमा क्यों नहीं कायम किया। इस घटना से जनता में भीषण उत्तेजना है। अभी तक दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मेरी माँग है कि दोषी पुलिस दरोगा, श्री काजी को तत्काल निलम्बित करके मजिस्ट्रेट से जाँच कराई जाय।

बरेली विकास एव गृह स्थान योजना ७ द्वारा पीलीभीत बाई पास के निकट बसे गांवों की जमीनको अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द राम—

माननीय अध्यक्ष जी, बरेली में पीलीभीत बाई पास भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना नं0 7 के लिए बड़े पैमाने पर शेरपुर, तुलापुर, जगतपुर, नेवादा, शेखान आदि ग्यारह गाँवों में कृषि भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, जिससे लगभग 10 हजार किसान रोजी-रोटी से मोहताज हो जायेंगे। मान्यवर, यह बहुत छोटे काश्तकार हैं तथा शहर के किनारे की जमीन होने के कारण सब्जी आदि उपजाने का कार्य करते हैं। शायद ही किसी के पास एक एकड़ से ज्यादा भूमि हो। दूसरी बात यह भी है कि इससे मिला हुआ सैनिक हवाई अड्डा है। प्रशासनिक दृष्टि से भी यह ठीक नहीं होगा। बरेली महानगर के बाहर भूमि मिल सकती है परन्तु उसे नहीं लिया जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि किसानों को उजाड़ने व बेरोजगार होने से बचाया जाय तथा इस भूमि के बजाय कोई दूसरी भूमि शहर के बाहर अधिग्रहीत की जाय।

(श्री हरदेव के सदन में घूमने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरदेव जी, क्या यह हजरतगंज, है, जो आप यहाँ घूमते रहते हैं ?

लोहई (जालौन) में हरिजनों को दिये गये भूमि के पट्टों पर कब्जा न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं अत्यन्त लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जालौन जनपद के ग्राम सभा लोहई तहसील जालौन में सन् 1975 में 19 हरिजन एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को 20.47 एकड़ कृषि योग्य भूमि के पट्टे किए गये थे, किन्तु आज तक किसी भी पट्टेदार को कब्जा नहीं दिया गया है। 21 जुलाई, 83 को पुनः 50 पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार 51.3 एकड़ भूमि के पट्टे उक्त ग्राम में किए गये परगनाधिकारी द्वारा स्वीकृति भी दे दी गयी किन्तु उनके भी कब्जे पट्टेदारों को नहीं दिये जा सके हैं। पट्टेदारों ने जिला प्रशासन एवं शासन को कोई प्रार्थना पत्र देकर भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की माँग की है परन्तु अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं शासन से लोहई ग्राम के पट्टेदारों को अविलम्ब कब्जा दिलाए जाने की माँग करता हूं।

जरगो जलाशय (मिर्जापुर) से निकली भूमि की फसल को सीताराम जायसवाल पुलिस कर्मी रामनगर (वाराणसी) द्वारा जबरन काटने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है। जरगो जलाशय जनपद मिर्जापुर में तीन हजार एकड़ भूमि पर चना, गेहूं, सरसों की फसल तैयार है। इधर 25-3-84 से सीताराम जायसवाल पुलिस कर्मी रामनगर, थाना जनपद वाराणसी एक नाजायज गैंग बनाकर बन्दूकों और लाठियों के बल पर वहाँ के गरीब काश्तकारों में दहशत पैदा करके सामूहिक कटाई करके ले जा रहा है। आश्चर्य है कि अहरवरा थाना एवं जिला प्रशासन मिर्जापुर मूकदर्शक बना हुआ है। कल ही सैकड़ों लोग मेरे क्षेत्र में आकर अपनी दयनीय स्थिति से अवगत कराए और इन लोगों ने बताया कि राम स्वरूप पाल पुत्र बेचन पाल का 28 बीघा चना एवं गेहूं कटाई करके ट्रैक्टर पर लाद करके लूट ले गए और किसानों की भी लगातार कटाई करके लूट रहे हैं। इस शासन में एक पुलिस कर्मचारी इस तरीके से नाजायज काम कर रहा है इससे बड़ी शर्म और क्या हो सकती है। अतः शासन से अपेक्षा है कि पुलिस कर्मी सीताराम जायसवाल, सिंचाई अमीन एवं जिलेदार आदि के खिलाफ धारा 382 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर और फसलों की कटाई को सुनिश्चित करने के लिए 15 दिन के लिए रिजर्व पी0ए0सी0 फोर्स लगाई जाय।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की ताड़ी की दूकानों का विक्रय हेतु लाइसेंस पासी जाति के व्यक्तियों को दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जिनमें वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, उनके देहाती क्षेत्रों में ट्री टैक्स के अन्तर्गत ताड़ी की दूकानों का सेटलमेंट होता है। बलिया व गाजीपुर में पचासों हजार हरिजन पासी जाति के रहते हैं जिनके जीवनयापन का एक मात्र सहारा ताड़ी उतारना, बेचना है। इन्हें रोजगार देने के लिए ही ट्री टैक्स के अन्तर्गत दूकानों को लाइसेन्स देने का प्राविधान बनाया गया था, परन्तु खेद है कि करोड़पतियों एवं स्थानीय अधिकारियों के साजिश से पचासों हजार उक्त जाति का हरिजन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसका एक मात्र यही पेशा है असहाय अवस्था में तड़प-तड़प कर रो रहा है ।

यह कि बलिया और गाजीपुर के देहाती इलाकों में ही नीलामी किया जाना संविधान की धारा 14 के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाते हुए आग्रह करता हूं कि उक्त दूकानों का लाइसेन्स प्रभावित पासी जाति के हरिजनों को देने की व्यवस्था की जाय।

बेहटा, गोकुल जिला हरदोई निवासी एक लड़के की बिजली के तार से मृत्य के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलबीर सिंह--

महोदय जिला हरदोई के ग्राम बेहटा गोकुल में गत सप्ताह में एक बारह वर्षीय लड़के की एक जीवित बिजली के तार से जोकि गिरा हुआ था, छू जाने से मृत्य हो गयी जिससे वहाँ की जनता में इस मृत्यु के प्रति जन आक्रोश एवं उत्तेजना व्याप्त है अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त लड़के के परिवार को 25000 रुपए का मुआवजा दिए जाने और इसके लिए दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित किए जाने की माँग करता हूं ।

औचित्य के प्रश्नों के संबंध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास तीन औचित्य के प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनको मैं एक-एक करके लूंगा। जहाँ तक माननीय मसरूर जाफरी की सूचना का सम्बन्ध है मैंने अपने कक्ष में देखा है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर उसको स्वीकार किया जाय। इसलिए मैंने उसको अस्वीकार किया है। जहाँ तक भीखा लाल जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे अभी एक पत्र स्वास्थ्य मन्त्री जी से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रश्न आपने उठाया है उसके सम्बन्ध में उन्होंने प्रार्थना की है कि वह आपकी उपस्थिति में भीखा लाल जी से बात करना चाहते हैं। निवेदन है कि इसके लिए कोई समय दें और आज प्रश्नोत्तर काल के बाद इस औचित्य के प्रश्न को मुल्तवी रखने की इजाजत दे दें ताकि आगे की कार्यवाही सम्भव हो सके। इसलिए उनसे बात करने के बाद कोई इस तरह का प्रश्न जो माननीय भीखा लाल जी ने दिया है और स्वास्थ्य मन्त्री जी ने प्रार्थना की है उसके आधार पर माननीय भीखा लाल जी को और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को सुनने के बाद कोई निर्णय कर सकूंगा। वे मेरे कक्ष में आयें उनको सुनने के बाद जो भी कार्यवाही होगी, की जायगी। उसके बाद भी समस्या का हल नहीं होगा तो मैं आपके प्रश्न को ले सकूंगा। इस वक्त मैं इसका उनकी मीटिंग तक के लिए मुल्तवी करता हूं ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं आपके निर्णय से सतुष्ट हू।

बोर्ड की हो रही परीक्षा में उर्दू प्रश्न पत्र के ठीक छपे न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, यह हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। जो फर्स्ट और सेकेन्ड पेपर उर्दू का छपा है और जिस टाइप से उसकी छपाई हुई है, वह ठीक नहीं है। कृपया उसको लिथो में छपवा दें। मान्यवर, उर्दू माध्यम से उनका डिवीजन बनता है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो प्रक्रिया पर्चों के छापने में पिछले साल अपनाई गयी थी, वही प्रक्रिया इस साल भी हुई है। यदि कहीं पर इस तरह से हुआ है तो उसको दिखवा लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

दिनांक 7 मार्च, 1984 को वित्त मंत्री की घोषणा के बाद भी मण्डी शुल्क की छूट न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक ऐसा औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस सदन के

*वक्ता ने भाव्रण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संज्ञान में है और मान्यवर, आपकी जानकारी में भी है कि पिछली 7 मार्च को इस आदरणीय सदन में जब बजट पर सामान्य चर्चा का उत्तर माननीय वित्त मन्त्री दे रहे थे तब उन्होंने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। एक तो यह थी कि जब प्रदेश भर में गरीब काश्तकारों के ऊपर अतिरिक्त मंडी शुल्क को समाप्त करने के बारे में आन्दोलन हुआ तो आपने घोषणा की थी। यह मेरे पास उस दिन की कार्यवाही का अंश है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। मुझे सन्तोष है कि सरकार ने अपने वचन का पालन किया और जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको समाप्त हो जाने दिया। उसके बाद एक गम्भीर समस्या पैदा हो गयी उसका समाधान सरकार को करना चाहिए था। सरकार ने अपने उस वायदे को पूरा नहीं किया। मान्यवर, 4 अक्तूबर से यह मंडी शुल्क लागू किया गया था। 6 महीने हो गये। इस बीच में काश्तकारों से 6 आर और 9 आर के माध्यम से बड़े पैमाने पर अतिरिक्त मंडी शुल्क ले लिया गया। सरकार द्वारा यह घोषणा की जानी चाहिए थी कि जिन काश्तकारों से यह अतिरिक्त मण्डी शुल्क ले लिया गया है उसको वापस किया जायगा। तब हम इसे सन्तोषजनक मानते। लेकिन मान्यवर, इसका ऐलान नहीं किया गया। 7 मार्च की कार्यवाही मेरे पास है। इसके पृष्ठ 125 की चौथी लाईन में लिखा है—"जो विधेयक है उसमें संशोधन किया जायगा। जो 5 सौ रुपए की जमानत 10 लाख से 20 लाख की बिक्री के लिए लिया जाता था उसे नहीं लिया जायगा और 20 लाख से ऊपर की बिक्री पर जो जमानत लेंगे वह एन0एस0सी0 के रूप में ली जायगी।"

मान्यवर, उस अध्यादेश को देखने की कृपा करें उसके उद्देश्य और कारण पर मैं आता हूं इसके नम्बर 5 में लिखा है "10 लाख रूपया अधिक विक्रय धन वाले व्यापारियों से एक हजार रुपए नकद या बिक्रीकर कमिश्नर के पक्ष में गिरवी रखे गये राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में प्रतिभूति जमा कराए जाने की व्यवस्था करना।" घोषणा थी मान्यवर, 20 लाख तक के व्यापारियों को छोड़ दिया जायगा और 20 लाख से ऊपर वाले व्यापारियों को बचत-पत्र के रूप में जमा करना होगा लेकिन इस अध्यादेश में 10 लाख रुपए से नीचे के व्यापारियों को यह सुविधा दी गयी है। इस तरह से घोषणा करने से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जो व्यापारियों का आन्दोलन चल रहा था उसे उन्होंने वापस ले लिया। इसी तरह से मण्डी शुल्क के सम्बन्ध में है, जो मण्डी शुल्क वसूल हो गया है, उसकी वापसी कैसे होगी? इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर घोषणा करने से उनको धोखा दिया गया और यहाँ इस आदरणीय सदन को गुमराह करने की चेष्टा की और उसका प्राविधान इस अध्यादेश में नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी ने जो सूचना दी और जो कार्यवाही में लिखा हुआ है जो मेरे पास है जिसको मैंने भी पढ़ा। अध्यादेश की जो बात इन्होंने कही है उसकी एक कापी मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को भेज देता हूं और उनका जो जवाब आयेगा उसको मैं देखूंगा और उनको सुनने के बाद मैं इसपर निर्णय ले सकूंगा।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेशों के संबंध में याचिका

*श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो याचिका है इसे यह रख नहीं सकते हैं आपका ध्यान मैं नियम 236 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि किन-किन विषयों पर याचिका ली जा सकती है हमारे नियमों में इसकी व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 226 में तो समय का बंटवारा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं 236 की बात कह रहा हूं। उसमें लिखा है—

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"याचिका अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत की जायेगी, ऐसा विधेयक जो नियम 114 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सदन में पुरः स्थापित हो चुका हो" मान्यवर, यह विधेयक नियम 123 के अन्तर्गत प्रस्तावित हुआ है। इसी नियम 236 के (3) को देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है कि सामान्य लोक हित का कोई विषय, परन्तु वह ऐसा न हो—जो भारत सरकार के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जाँच न्यायालय या किसी संविहित न्यायाधिकरण या प्राधिकारग या किसी अर्द्ध न्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो, तो यह मामला हाईकोर्ट में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसका दो भी पढ़ दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप अपने मतलब का पढ़िये और मैं अपने मतलब का पढ़ रहा हूं। तो यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है। तो जो विषय न्यायालय के विचाराधीन हो जिसका उपचार विधि के अन्तर्गत प्राप्त हो उसको याचिका के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिये इसको यहाँ पर पेश न होने दिया जाय। किसी भी हालत में याचिका के रूप में यह नहीं आ सकता है। नियम 114 भी आप पढ़ लें। जिसमें विधेयकों को पुरः स्थापित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष को शक्ति दी हुई है। यह 123 के अन्तर्गत पुरःस्थापित हुआ है। इसलिये इस याचिका को पेश करने की अनुमति न दें। यह नियमों के प्रतिकूल होगा। बहुत से विधेयक सरकार ले आती है। उनको पब्लिक ओपीनियन जानने तक गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता है।

तो आप, अध्यक्ष, कर सकते हैं और आपमें शक्ति निहित है कि विधेयक प्रकाशित हो चुका हो या जो सदन में पुरःस्थापित हो जाय तो उस सम्बन्ध में याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हमारी नियमावली की धारा 123 में प्रस्तुत हुआ है, दूसरे यह हाई कोर्ट में है और तीसरे कानून में जिसकी दवा उपलब्ध है वह याचिका का विषय नहीं बन सकता है। इसलिए इसकी आप अनुज्ञा न दें और याचिका समिति में न जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मा0 काशी नाथ मिश्र ने पहले ही इशारा कर दिया था कि आप अपना पढ़ें और हम अपना पढ़ें। उन्होंने जो नियम 236 का उल्लेख किया उसमें 1 और 3 को तो पढ़ा लेकिन 2 को नहीं पढ़ा और चालाकी से उसे छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष—

आपने पेश कर दिया है कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं।

श्री अध्यक्ष—

याचिका पेश करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मा0 काशी नाथ मिश्र नियमावली भूल गए हैं। मैं याचिका प्रस्तुत करूंगा और आप निर्देशित करेंगे याचिका समिति के लिए और वहाँ चर्चा होगी, यहाँ सदन में नहीं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 राजभाषा (संशोधन) अध्यादेशों के संबंध में सर्वश्री अजय कुमार गुप्ता तथा राम नरेश द्विवेदी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय काशीनाथ मिश्र और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बात को सुना। जो नियमावली के नियम 236 और 123 का हवाला दिया गया है। तो नियम 236 याचिकाओं की व्याप्ति-अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर याचिकायें उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी—

(1) ऐसा विधेयक जो नियम 114 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है या जो सदन में पुरःस्थापित हो चुका हो,

(2) सदन के सामने लम्बित कार्य से संबंधित कोई विषय, और

(3) सामान्य लोक हित का कोई विषय, परन्तु वह ऐसा न हो—

(क) जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जाँच न्यायालय या किसी संविहित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण या किसी अर्द्ध न्यायायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो।

मैंने इसको देखा और अपने न्याय विभाग से जाँच करवाया है और उन्होंने सहमति दिया है, मैं उससे सहमत हूं। जो आपत्ति की गयी है और जो नियमों का हवाला दिया गया है मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। और याचिका समिति के सुपुर्द करता हूं।

रविवार पत्रिका के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में सूचना की मांग

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, 15-3-84 को मैंने विशेषाधिकार की नोटिस आपकी सेवा में दिया है, रविवार पत्रिका के विरुद्ध और उसमें आपका निर्णय नहीं मालूम हो पाया है। मान्यवर, आप उसे स्वीकार करके विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें क्योंकि मामला गंभीर है।

श्री मोहन सिंह—

मायवर, स्वीकार या अस्वीकार करने से पूर्व हम लोगों की राय जान लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसका परीक्षण कर रहा हूं और यदि आवश्यकता हुई तो माननीय सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाकर सुनूंगा तब कोई निर्णय लूंगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

रविवार पत्रिका ने सम्पूर्ण सदन पर आघात किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब आप बैठें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री किरनपाल सिंह जी की वाराणसी स्थित साहूपुरी विद्युत केन्द्र आग से भस्म होने तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति ठप होने के संबंध में है। माननीय कुंवर सिंह नेगी तथा नरेन्द्र सिंह भंडारी की, प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की कमी व मिट्टी का तेल न मिलने से उत्पन्न संकट के संबंध में है। माननीय कुबेर भंडारी की, गोरखपुर तथा देवरिया में ओला वृष्टि से फसल के खराब होने के संबंध में है। माननीय मसरूर जाफरी की, जनपद गोंडा में ओला वृष्टि से फसल के नुकसान होने के संबंध में है। उसके आगे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, श्री यदुनाथ सिंह श्री किरनपाल सिंह, श्री छत्तर सिंह, जी श्री सरदार सिंह जी, माननीय शंकर सिंह जी और श्री बलवीर सिंह जी की सूचनाएं है। सरदार सिंह जी की बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलआपूर्ति अव्यवस्थित होने से उत्पन्न संकट पर है। शंकर सिंह जी की, जालौन के करती थाना अन्तर्गत ग्राम ईगर्द के किसानों पर दस्यु दल के हमले से पाँच लोगों को गम्भीर चोटें आने के सम्बन्ध में है। श्री बलबीर सिंह की, स्वास्थ्य निदेशालय में बड़े-बड़े पदों पर जूनियर लोगों की नियुक्ति से उत्पन्न असंतोष के विषय पर है। मैंने इसको देखा है, जहाँ तक माननीय कुंवर सिंह नेगी व नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री कुबेर भंडारी और मसरूर जाफरी की सूचनाओं का संबंध है, मैं इन्हें शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये, जाँच आदि के लिए पूरे तरीके से शासन को भेज रहा हूं। जहाँ तक सरदार सिंह, शंकर सिंह व बलबीर सिंह की सूचनाओं का संबंध है इसको भी मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज रहा हूं। जो सूचना राजेन्द्र कुमार गुप्त, राजेन्द्र अग्निहोत्री और रेवती रमण सिंह जी तथा अन्य सदस्यों ने दिया है। दूसरी सूचना राजेन्द्र कुमार गुप्त और तीसरी सूचना श्री किरनपाल सिंह व छत्तर सिंह की है। उन पर मैं यह चाहूंगा कि जो नियम हमने बना रखा है कि केवल एक ही माननीय सदस्य उसमें बोले, तो केवल श्री रेवती रमण सिंह बोलेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार कहा गया है और दोनों तरफ के सदस्यों ने बार-बार कहा है कि इस समय विद्युत परिषद की जो हालत है, इतनी खस्ता हालत में चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज उसके जो चेयरमैन हैं, वह कभी इसके मेम्बर थे और उनको अयोग्यता के आधार पर उस पद से हटा दिया गया था, वही आज चेयरमैन बना दिये गये हैं। उसका नतीजा यह है कि इस तरह की आज यह पहली घटना नहीं है, ओबरा में, मुरादनगर में और परीक्षा में भीषण

अग्नि दुर्घटनाएं हुईं और अब साहूपुरी में आग लगी। इन सबका परिणाम क्या हो रहा है ? इसका परिणाम यह है कि पूरा प्रदेश इस समय विद्युत संकट से ग्रस्त है। ओवरा से अभी हम उबरे भी नहीं थे कि फिर यह संकट पैदा हो गया है। सदन में बार-बार कह दिया जाता है कि हम पर्याप्त रूप से बिजली सप्लाई कर रहे हैं कल की घटना के संबंध में मैं आपके सामने कुछ तथ्य लाना चाहता हूं, कल की जो घटना घटी है यह इस बात को साबित करती है कि यह वर्तमान विद्युत परिषद अक्षम है और यह अपना कार्य प्रदेश में सफलतापूर्वक नहीं चला सकती है। मान्यवर, कल रात में आग लगी और ट्रांसफारमर तथा कैबिल्स जल गये। लाखों का नुकसान हुआ है। अब तक इन विद्युत गृहों में लगी आग से कुल मिलाकर कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस सरकार की तत्परता देखिये कि कल आग लगने के बाद विद्युत बोर्ड के चेयरमैन स्वयं नहीं गये, बल्कि मुख्य अभियन्ता को भेज दिया। अगर वे चाहते तो हेलीकाप्टर से जा सकते थे ? रात भर पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश अन्धेरे में डूबा रहा। मिर्जापुर, इलाहाबाद, मुगलसराय आदि में सम्पूर्ण ट्रेनें रात भर रुकी रहीं और यात्रियों को जो परेशानी रात भर उठानी पड़ी उसको कहा नहीं जा सकता। उन बेचारों को न पानी मिला, न खाने को मिल सका।

मान्यवर, यह अपने तरह की पहली घटना नहीं है, कई घटनायें इसके पहले भी हो चुकी हैं। इनको रोकने के लिये वर्तमान विद्युत परिषद को बदलना पड़ेगा, जब तक यही विद्युत परिषद रहेगी, कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकेगा। इसलिये मेरी माँग है कि आप इस पर चर्चा करा दें।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आग लगने की अपने प्रदेश में यह छठी घटना है। इसकी वजह से सम्पूर्ण पर्वी उत्तर प्रदेश पिछले 3 दिनों से अंधेरे में हैं। उद्योग, कृषि, रेल तथा सारा कारोबार ठप्प हो गया है। विद्युत अभियन्ताओं की आपसी गुट बन्दी के कारण आज सम्पूर्ण जन जीवन खतरे में पड़ गया है। इस परिषद में जब तक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं बिठाये जायेंगे, यह चीज रुक नहीं पायेगी। वहाँ के चेयरमैन को रखने और न रखने को लेकर विद्युत परिषद में काफी समय से गुटबाजी चली आ रही है और उसके कारण पूरा उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पर खड़ा है। मेरी माँग है कि जो भी अभियन्ता वहाँ ड्यूटी पर थे, जिनकी लापरवाही के कारण यह आग लगी है, उनको रासुका के अन्दर तुरन्त बन्द कर देना चाहिये क्योंकि इससे बड़ी राष्ट्रद्रोही घटना कोई और नहीं हो सकती। यह जो आग लगने की घटनाए आये दिन हो रही हैं, यह सुनिश्चित ढंग से की जा रही हैं। विद्युत परिषद की आपस की गुटबन्दी के कारण यह सब हो रहा है। मेरी माँग है कि विद्युत परिषद का तत्काल पुनर्गठन किया जाना चाहिये। जो अधिकारी हैं, जिनकी देखरेख में यह आग लगी है, उनको तुरन्त रासुका में बन्द किया जाना चाहिये, अन्यथा यह सिलसिला चलता रहेगा और पूरा प्रदेश तबाह होता रहेगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह जो आग लगी है यह साहूपुरी वाराणसी में हमारे पड़ोस में लगी है, इस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासकर आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी आदि जिलों में, जहाँ पर की विद्युत सप्लाई यहीं से नियन्त्रित होती थी, इसका प्रभाव पड़ा और वहाँ अन्धकार छाया रहा। परसों शाम को उसमें आग लगी। जितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स थे, कैबिल्स थे, तमाम मशीनरी थी, वह सब जल कर राख हो गयी। करीब एक करोड़ से ज्यादा का इसमें नुकसान हुआ है। मान्यवर, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 6–6 दमकल घंटों तक आग बुझाने वाले लगे रहे तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, अगर मशीनें खराब थीं या पुरानी हो गयी थीं तो यह जिम्मेदारी किसकी है ? विद्युत परिषद में जो टेक्निशियन्स या अभियन्ता हैं यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी जिम्मेदारी थी वह इसको देखते कि कौन सा सामान पुराना हो गया है जिसको बदलना है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कलकत्ता तक तमाम गाड़ियाँ रुक गयीं क्योंकि यह रेलगाड़ियाँ बिजली से चलती हैं। रेलों में बिजली के इंजिन लगे हैं। इलाहाबाद से लेकर मुगल-सराय और उसके आगे रेल पटरी पर खड़ी हो गयीं लाखों यात्री परेशान हो गये और श्रीमन्, बिजली न होने से पेयजल का भी संकट उत्पन्न हो गया है।

गेहूं की मड़ाई और ईख की बुवाई होनी है। तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश अंधकार में डूब गया है। यह विद्युत परिषद की अक्षमता के कारण हुआ है। इसलिये इस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पर चर्चा करायें। विद्युत परिषद के पुनर्गठन के लिये आप निर्देश नहीं देंगे तो आये दिन हमारे प्रदेश के विद्युत गृहों में आग लगने से करोड़ों, अरबों रुपयों का नुकसान होता रहेगा और यह विद्युत गृह जलते रहेंगे। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह जो साहूपुरी, विद्युत केन्द्र में आग लगी है इसकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूं और चर्चा की माँग करता हूं। जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा और भूतपर्व विद्युत मंत्री रेवती रमण सिंह जी ने कहा परा पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ है। किसान की फसल की दवाई होने वाली है और सिंचाई के महत्वपूर्ण काम रुके हैं। अखबार में इन्होंने सूचना दी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर और अन्य जिलों में बिजली सप्लाई करने का काम कर रहे हैं तो यह बिल्कुल थोथी और झूठी बात है। किसी भी जिले में केवल अधिकारियों के यहाँ बिजली आती है, देहात में नहीं जाती है। इसके अलावा मान्यवर, यह जो विद्युत स्टेशन जलते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण यह है कि जो योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति थे उनको ऐसी जगहों पर नहीं रखा गया है और वह लोग जो अनावश्यक रूप से शासन को लाभ पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को वहाँ पर तैनात किया गया है।

पहले एक प्रस्ताव था कि तापीय विद्युत गृहों के लिये एक अलग कैडर बनाया जायगा और योग्यता वाले व्यक्तियों को रखा जायगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और जो फील्ड में ओवरसियर या इंजीनियर काम करते हैं उनसे नाराज होकर वहाँ भेज दिया गया है जिससे उनकी आमदनी नहीं होती है। ओवरसियर और इंजीनियरों की गुटबन्दी हो गयी है। बहुत दिनों से जो मशीनों के बदलने और उनके रखरखाव की जो व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं हुयी है। आप रिपोर्ट को मंगा कर देखें, जिन चीजों को वर्षों पहले बदल देना चाहिये था उनको नहीं बदला गया इस कारण से आग लग गयी। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं माँग करता हूं कि इसको केवल वक्तव्य के लिये न स्वीकार करें बल्कि इस पर चर्चा करा दें ताकि जनजीवन तक के लिये बिजली पहुंचाने की बात की जाय।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो नियम बनाया है उसका पालन करें।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको आज्ञा दी तो औरों को भी आज्ञा देनी पड़ेगी। इसलिये आप बैठें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह जो दुर्घटना हुई तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि यह दुख की बात है। 26-3-84 को 7 बजकर 54 मिनट पर आग लगी थी और साढ़े 10 बजे आग पर काबू पाया गया और आग बुझा दी गयी। तो अभी तक जाँच से जो पता चला है तो वह यह है कि 132 के 0 वी 0

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जो लाईन है उसमें कुछ त्रुटि थी, फाल्ट था। आयल सरकिट ब्रेकर, ओ0 सी0 बी0 जो था वह फट गया और उसका जलता तेल निकला और आग लग गयी। ग्राउण्ड फ्लोर पर बढ़ी आग को सीमित किया गया, उसके बाद वाराणसी से फायर ब्रिगेड आया। इस तरह से आग पर 10–30 पर काबू पाया गया। गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ इनमें साढ़े 11 बजे रात तक बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी। बाद में गोरखपुर से बिजली की सप्लाई की गयी। सबेरे साढ़े 7 बजे जौनपुर और वाराणसी को पूरी तौर से बिजली दी जा सकी। जो अनुमान लगाया जा रहा है नुकसान का वह साढ़े 7 लाख का है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये।)

श्री मोहन सिंह––

यह बिलकुल झठ है। असत्य सूचनाएं सदन को भेजी जाती हैं। यह बिल्कुल झूठ है।

श्री विद्यासागर नौटियाल––

मान्यवर, चार ट्रांसफार्मर जल गये। मान्यवर, एक करोड़ के लगभग नुकसान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी––

यह गम्भीर दुर्घटना है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच की जायगी। जो भी इसमें अगर किसी इंजीनियर या किसी अफसर की कोई लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना हुई है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठें। मैं निर्णय दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, आपने इससे पहले भी अच्छे निर्णय दिय हैं। मान्यवर, जो मामला, जो विषय जिस मंत्री से संबंधित होता है, उससे संबंधित मंत्री को उस समय सदन में होना चाहिये। हमारे साहूपुरी का स्टेशन जल गया, वहाँ के लोगों को आपसी पार्टी बन्दी और शिथिलता के कारण यह जला। मान्यवर, ऐसे समय पर माननीय विद्युत मंत्री का अनुपस्थित होना यह अच्छा नहीं है। मान्यवर, इससे आप सहमत होंगे?

श्री अध्यक्ष––

यह बात सही है कि माननीय वित्त मंत्री को यहाँ पर होना चाहिये था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, आप ऊर्जा मंत्री जी को बुला लें, चाहे सायंकाल 4 बजे बुला लें, हम उनके द्वारा बात जानना चाहेंगे। हम इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करना चाहेंगे, तब मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, यह बड़ा मौलिक प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है और उठता रहेगा, तो यह जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यह बिलकुल कार्य नहीं कर सकेगा। मान्यवर, यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर मंत्री, हर विभाग का मंत्री हर समय उपस्थित रहे, मान्यवर, हर मंत्री, हर विभाग का मंत्री है। आज माननीय विद्या भूषण की तबियत खराब हो गयी है, मैं उनका बजट प्रस्तुत करन जा रहा हूं। कोई भी मंत्री किसी भी विभाग का बजट प्रस्तुत कर सकता है अगर संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित न हों, तो मान्यवर, मंत्रि परिषद का कोई भी सदस्य उत्तर दे सकता है, ज्वाइंट रिस्पाँसिबिलिटी के तहत। मान्यवर, अगर कोई मंत्री उपस्थित न हो, तो उस मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह यहाँ पर बैठें। कोई भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हो, वह उत्तर देने के लिए सक्षम है और वह पार्लियामेंट्री परम्परायें जो हैं, वह उसके अनुकूल है।

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने बिजली बोर्ड की कुछ त्रुटियों के बारे में कहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको दूर करना चाहिए। मान्यवर, उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिये जो इनका उसूल है, जो इनका नजरिया है, जो इनकी नीति है, जब ये स्वयं बिजली मंत्री थे, तो उनको यह पहला कदम उठाना चाहिये था कि बिजली बोर्ड को ये समाप्त कर

देते । कार्य स्थगन की इसमें आवश्यकता नहीं है । माननीय मोहन सिंह या दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कहा है, चाहे आप वक्तव्य स्वीकार करें या चर्चा स्वीकार करें । मैं चाहता हूं जो बात है खुलकर आदरणीय सदन में आवे । हमारे और आपके जो सुझाव है वह आये । इसमें कार्य स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मोहन सिंह माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना । यह वास्तव में ठीक बात है, जो मसला है आदरणीय सदन में, वह बहुत महत्वपूर्ण है, यह देश के लिये अच्छा नहीं है । दिन प्रति दिन इस तरह की बात होना, अच्छी बात नहीं है । इसलिये मैं नियम 56 में स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन 31 मार्च शनिवार को प्रातः 11 से 12 तक एक घंटे की चर्चा की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है । विधान परिषद में विरोधी दल के नेता श्री मुलायम सिंह, जो हमारे दल के सदस्य हैं, के ऊपर जो प्राणघातक हमला किया गया और उसको शासन. . . .

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमला कहां हुआ था ? मुलायम सिंह पर कोई हमला नहीं हुआ ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी आप बैठें, आपको अधिकार है कि आप अपनी बात कहें, आपको मौका दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

उन्होंने स्वयं फायर किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय सदस्य श्री काशीनाथ मिश्र जी आदतन अनुशासनहीनता करने लगते हैं । माननीय मुलायम सिंह पर जो हमला हुआ उसको सरकार ने जिस प्रकार से. . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी एवं युवालोकदल के तत्वावधान में प्रदर्शन हो रहा है । शासन ने कितना घिनौना तरीका अपनाया, साजिश की उस प्रदर्शन को असफल करने की. . .

(घोर व्यवधान)

(श्री रुद्र प्रताप सिंह अपनी चेयर पर खड़े हो गये ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इनको आज्ञा नहीं दिया है क्या काशीनाथ मिश्र को आज्ञा दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री रुद्र प्रताप सिंह की ओर इशारा करके) 12 करोड़ के प्रतिनिधि की तरफ देखें । जनता देखें । काशीनाथ जी आप बैठें । कोई भी माननीय सदस्य बिना आज्ञा के न खड़े होंगे, न बोलेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

काशीनाथ मिश्र को आप अनुशासित करें, सब अनुशासित हो जायेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य जब छात्र थे, जब पढ़ते थे, सीट्स और कुर्सियों पर खड़े किये जाते थे. . . .

श्री अध्यक्ष—

तब न जाने क्या क्या काम करते थे ? अब उन आदतों को भुला दें, अब बहुत बड़े हो गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का इस लिये है, क्योंकि सरकार ने जो घिनौनी साजिश की है प्रदर्शन को दबाने के लिये, जो प्रदर्शन करने आ रहे थे, उनको डराया, धमकाया एवं प्रताड़ित किया गया । बनारस से लोग आ रहे थे ट्रेन से उतार कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महामंत्री श्री सूबे दार एवं लोक दल के अध्यक्ष श्री डी0 पी0 पाठक, सरदार सतनाम सिंह यह सब प्रतिष्ठित कार्यकर्त्ता हैं यहाँ की पुलिस ने इन्हें निर्ममतापूर्वक मारा-पीटा और कपड़े फाड़ डाले । गैर कानूनी तरीकों से इनको रोके रखा। यहीं नहीं यह भी जानकारी है कि मिर्जापुर से लोग चल रहे थे

वह श्री यादव के जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे उनको मान्यवर, प्रताड़ित किया उन पर लाठी चार्ज किया गया इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मान्यवर, प्रदर्शन हो रहा है, शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है इसी के तहत आज प्रदर्शन हो रहा था लेकिन मान्यवर, सरकार ने जो इसमें असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया यह गलत है। मैं चाहूंगा इस पर चर्चा करा दें।

मान्यवर, यह प्रातःकाल की घटना है साढ़े दस बजे तक की मेरी जानकारी है कुछ छात्रों को गैर काननी ढंग से रोका गया। कुछ छात्र मेरे कक्ष में भाग कर मेरे पास आए उनके कपड़े फटे हुए थे। मान्यवर, मैंने स्वयं देखा उनके चोटें लगी हुई थीं। यह देखकर मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा। इस तरह का रवैया अपनाया गया। मान्यवर, यह नीतिगत मामला है क्योंकि सरकार द्वारा जब जनहित विरोधी कार्य होते हैं जब उनके द्वारा जनहित में विरोध किया जाएगा तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन सब करते रहे हैं यह हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन उसको रोकने के लिये लाठी चार्ज किया जाए यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए।

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर।)

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

हम तो आपकी बात सुनते रहे आप हमारी बात नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष---

जैसे आपको अधिकार है उनको भी अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आपके द्वारा दी गयी पूर्व रूलिंग हैं उनके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कार्य स्थगन पर चर्चा हुई बड़ा महत्व पूर्ण मामला माननीय रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखा गया आपने उसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया कि दल के नेता को या दल का नेता नहीं है तो एक सदस्य को सुनेंगे। आपने मोहन सिंह जी को और श्री ऊदल जी को सुना, नेगी जी खड़े हुए तो आपने कह दिया कि उनके दल के लोग बोल चुके है। मान्यवर, मैं आपको व्यवस्था चाहूंगा कि काशीनाथ मिश्र जी को कहा है इसके पहले भी आपने व्यवस्था दी है अगर एक नोटिस में कई लोगों के हस्ताक्षर हैं तो विशेष परिस्थितियों में एक माननीय सदस्य के बोलने के बाद दो तीन माननीय सदस्यों को सुन सकेंगे। मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र जी न तो दल के नेता है, वह नेता हो जाएं संसदीय कार्यमंत्री हो जाएं हमें बड़ी खुशी होगी मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन जब तक वह नेता नहीं हैं संसदीय कार्य मंत्री नहीं है तब तक आपकी पूर्व व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बोलने का अधिकार है या नहीं? इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।?

श्री अध्यक्ष---

यह पद्धति सदन में रही है कि जो एक विषय आता है वह जिस माननीय सदस्य का विषय होता है उसको आज्ञा दी जाती है। यह प्रार्थना कर लेते है इसमें आप कुछ हद तक मानते हैं कुछ नहीं भी मानते हैं. . . .

(शोर)

आप मेरी बात सुनें। जहाँ तक कोई माननीय सदस्य चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, चाहे जिधर का भी वह माननीय सदस्य हो अगर बोलना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं क्या करूंगा यह बाद में निर्णय दूंगा। यह बाद में निर्णय दूंगा कि चर्चा करायी जाय, स्वीकार करूं, या अस्वीकार करूं, लेकिन किसी माननीय सदस्य को बोलने से मना नहीं कर सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो यह सवाल उठाया है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी पर हमला हुआ। इसके बारे में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

जी ने जो कुछ कहा है, वह काल्पनिक है और काल्पनिक बात को लेकर किसी प्रदर्शन की आज्ञा नहीं मिल सकती.....

(व्यवधान)

इसके बारे में मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में लिख कर दिया है।

(घोर व्यवधान)

(श्री कुबेर भण्डारी सदन के फ्लोर पर आए और फिर वापस अपने स्थान पर चले गये।)

श्री मुलायम सिंह यादव पर जिन लोगों ने हमला किया वह उनके अपने दल के लोग थे, लेकिन वे लोग पुलिस द्वारा पकड़ न लिये जायं, इसलिये ये षडयंत्र कर रहे हैं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह एक काल्पनिक सवाल उठाया है, और इसीलिये यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गए।)

श्री अध्यक्ष—

श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर जाइये।

(श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

(घोर व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

अराजक तत्वों का दमन होना ही चाहिये। यह जो साजिश कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, इनका दमन अवश्य किया जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने अपनी पीठ से यह व्यवस्था दी थी कि किसी भी माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोक सकते, जिसके कारण यह अव्यवस्था खड़ी हो गयी है।

("गुण्डागर्दी नहीं चलेगी" के नारे।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप लोग बैठिये। एक शब्द नहीं लिखा जायगा।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस माननीय सदन को संचालित करने का आपको अधिकार है, आपको उस की शक्ति है। लेकिन, आप किसी सदस्य को खड़े होने से नहीं रोक सकते, आप कहते हैं कि किसी माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोक सकते। यह अधिकार हमारा है कि अगर हम किसी बात को कहना चाहते हैं तो उसके लिये खड़े होकर, आपकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाय, और आप हमारा नाम पुकारें तो हम अपनी बात कहें। यह अधिकार हमारा है। लेकिन, श्री काशीनाथ मिश्र जी ने जिस तरह से भाषण शुरू कर दिया और आपने यह कह दिया कि बोलने से नहीं रोक सकते तो आपकी आज्ञा तो थी नहीं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ मिश्र जी खड़े थे।

श्री रियासत हुसैन—

इससे मान्यवर, सदन में उत्तेजना शुरू हो गयी। यह जरूर है कि आप हमको खड़े होने से नहीं रोक सकते, लेकिन बोलने के लिये आपको निश्चित रूप से आज्ञा देनी होगी कि कौन बोलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप सही कहते हैं। माननीय श्री काशी नाथ मिश्र जी खड़े हुये थे। जब वह खड़े हुए थे, तो उस समय वह इस विषय पर बोलना चाहते थे। मैंने उन्हें बोलने की आज्ञा दे दी और उसके बाद उन्होंने बोलना आरम्भ कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह—

हमारे माननीय नेता और विधान परिषद् के नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह जी पर प्राणघातक हमला दिनाँक 6 मार्च, 1984 को हुआ था और उसके साथ ही श्री छोटे लाल यादव की हत्या हुई थी। आज इस विषय पर पूरे प्रदेश के लोगों को दिक्कत हो रही है और आज हम सभी लोगों का जीवन असुरक्षित है। लोगों में बैचैनी हो रही है जब विधान परिषद् के नेता विरोधी दल पर गोलियों की बौछारें की जा रही हैं। वाराणसी और मिर्जापुर से जब लोग बरेली पैसेन्जर से आ रहे थे तो नगर अध्यक्ष श्री बी0 डी0 पाठक और छात्र संघ के महामंत्री सूबेदार सिंह, श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरदार सतनाम सिंह अपने साथियों के साथ चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो जी0 आर0 पी0 के लोगों ने उन्हें रोका और उन्हें मारा पीटा। जब कुछ लोग उनमें से हमारे पास आये तो उनके कपड़े फटे हुए थे तथा शरीर लहू-लुहान हो रहा था। अभी भी उन्होंने ढाई सौ लोगों को रोक रखा है और जी0आर0पी0 ने उन्हें नहीं छोड़ा है।

संविधान के तहत जब हम संसदीय प्रणाली को चाहते हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी को सदन में सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर में जब आशा राम और रवीन्द्र बहादुर सिंह श्री चौधरी चरण सिंह जी के नारे लगा रहे थे, तो जी0 आर0 पी0 लोक पति त्रिपाठी तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नारे लगा रहे थे, इस प्रकार वहाँ पर काउन्टर नारेबाजी हो रही थी। इस प्रकार का कृत्य करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 6 मार्च को माननीय श्री हुकम सिंह जो ने एक ऐसा ही विषय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर प्राण घातक हमले का इस माननीय सदन में रखा था। उस समय संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संवेदनाएं प्रकट की थी और कहा था कि हम इस मामले की जाँच सी0 बी0 आई0 से करवायेंगे। इस विषय पर युवा लोकदल और युवा मोर्चा दल द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में जान-बूझ कर जी0 आर0 पी0 के लोग अड़चन-बाजी कर रहे हैं। सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि कल वे लोग भी विपक्ष में हो सकते हैं और जी0 आर0 पी0 भी उनके साथ वही कर सकती है, जो आज वह हमारे लिये कर रहे हैं। मान्यवर, यह एक षडयंत्र है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज का शेष कार्य रोक कर, इस पर चर्चा करवायें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जितने भी राजनैतिक दल हैं, उनको शान्ति-पूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार, वहाँ जो वेटिंग रूम था तथा वहाँ पर जो यात्री पहले से थे, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई, जिससे पुलिस और वहाँ के लोगों में टकराव हो गया था। मैं अभी इस विषय की जाँच करवा रहा हू कि वस्तु-स्थिति क्या थी और किन कारणों से इसकी शुरुआत हुई। एक बात माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि वहाँ पर लोकापति त्रिपाठी जिन्दाबाद और श्रीमती इन्दिरा गाँधी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो यह भी एक संवैधानिक अधिकार उनको है।

(शोर, व्यवधान)

पुलिस से मेरा मतलब नहीं है। मान्यवर, मेरा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से यह अनुरोध है कि वह इस प्रक्रिया को बनाये रखें कि जब हम बोलें तो उधर के लोग खड़े होकर बोलना शुरू न करें। जिससे होता यह है कि हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं और कोई बात सुनाई नहीं देती है। हम उनकी बातों को सुनें और वह हमारी बातों को।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री व श्री कुबेर भंडारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें। मैंने श्री आजम खां को बुलाया है। उनका कोई व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि माननीय अम्मार रिजवी साहब ने जैसा अभी फरमाया कि लोकतंत्र में किसी को भी यह आजादी है कि वह नारा लगाये, हड़ताल करे, जुलूस निकाले। तो क्या इस बात का आज सरकार ऐलान करेगी और इसे सरकार की पालिसी माना जाये कि सी0 आर0 पी0, पी0 ए0 सी0, जी0 आर0 पी0 के जो लोग हैं, जो आन ड्यूटी हैं, वर्दी में हैं, दफतरों में क्लर्क हैं, अफसरान हैं, उनको नारे लगाने का हक है, वर्दी पहनकर हड़ताल कर सकते हैं, उन्हें जुलूस निकालने और एतराज करने का हक होगा?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि जो लोग वहाँ जमा थे, वहाँ नारे लगाये गये और

वहीं से यह सब स्थिति उत्पन्न हुई, वेटिंग रूम में कुछ लोग गये, और यह गड़बड़ी हुई ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इसकी जाँच करायेंगे कि किसी उच्च अधिकारी के द्वारा जाँच करवायेंगे । और यदि वहाँ पर कोई किसी प्रकार की ज्यादती की बात होगी, तो उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे । माननीय गुप्ता जी ने जैसा कि कहा कि यह संवैधानिक अधिकार है, हम लोग उसे समझते हैं और विश्वास करते हैं । एक बात और करूंगा, अगर उन्हें बुरी न लगे, कि संवैधानिक अधिकार यह किसी का नहीं है कि जो लोग आलरेडी वेटिंग रूम में मौजूद हैं, उनको पकड़ करके बाहर निकाला जाय । हम इसकी जाँच करायेंगे, किसी की भी ज्यादती ह चाहे वह पुलिस की ज्यादती हुई हो वहाँ पर या जो लोग वहाँ पर आये, जो भी स्थिति होगी, उस हिसाब से कार्यवाही करेंगे और उससे आपको सूचित करेंगे । मान्यवर, यह किसी तरह से कार्य स्थगन के रूप में नहीं बनता है । मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस सरकार की नीति के खिलाफ मैं अपने दल के साथ सदन का बहिगमन करता हूं । केवल श्री किरनपाल सिंह जी रुकें रहेंगे, क्योंकि उनका इसके बाद एक प्रस्ताव है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ, श्री किरन पाल सिंह को छोड़कर सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं अनुशासित हूं और आपके आदेश से रुका हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ।

(श्री खैरुल बशर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, [× × ×] माननीय अम्मार रिजवी के कथन के खिलाफ, इस सारी घटनाओं को लेकर, उसके परिप्रेक्ष्य में, सदन का त्याग करता हूं और मैं कांग्रस पार्टी की नीतियों की निन्दा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपको निर्णय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है । जो कुछ भी कहा गया है, वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैंने आपके लिये कुछ नहीं कहा । मैंने तो अम्मार रिजवी का जो कथन था, उसकी बाबत कहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको अध्यक्ष के निर्णय पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है ।

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, प्रदेश के नौकरशाही का शिकंजा किस तरह से इस सरकार के ऊपर है और यह सरकार नौकरशाही के सम्मुख एक कठपुतली की तरह से किस तरह से नाच रही है, इसका यह जीता जागता उदाहरण हैं ।

मान्यवर, नियोजन विभाग ने एक आदेश किया है कि जो बुलन्दशहर में सहकारी सूती मिल है, जिससे हजारों-हजारों परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पलते हैं, उसको 31 तारीख तक बंद कर दिया जायगा । मान्यवर, यह मिल सन् 1964 में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कानून के तहत स्थापित हुई थी और इस पर मान्यवर 9–10 करोड़ रुपया लगा हुआ है । मान्यवर, इसमें दो हजार कर्मचारी काम करते हैं और कम से कम डेढ़ दो सौ सुपरवाइजर और अधिकारी इसमें काम करते हैं । इसकी बाबत नियोजन विभाग ने यह बहाना लिया कि वहाँ पर बुलन्दशहर में एवं इसके आस पास के जनपदों में कपास की खेती बहुत कम हो गयी है, इस वजह से वहाँ इस सहकारी सूती मिल का चलना उचित नहीं है ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लेकिन, उसके एवज में, उनके विकल्प के रूप में, मान्यवर नियोजन विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की है कि उन 15 सौ कर्मचारियों, अधिकारियों का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा ? यही नहीं मान्यवर, इस सूती मिल के आधार पर पश्चिमी उत्तर में मेरठ में, अलीगढ़ में और हाथरस तक मान्यवर, तमाम कस्बों में और देहातों में खड़ियाँ लगी हुई हैं और इस मिल से जो सूत उपलब्ध होता है, इसके बंद हो जाने से, मान्यवर वह तमाम छोटे उद्योग जो इसके आधार पर स्थापित हो गये हैं, उनके सम्मुख एक विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, हजारों परिवार इससे जुड़े हुए हैं, उजड़ जायेंगे ।

इस कार्यवाही से समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आतंक छा गया है और जन-जीवन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है । मैं निवेदन करता हूं कि इस पर कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें । इस सरकार के आदेश हैं कि 31 तारीख से पहले मिल बन्द कर दी जायगी । अत: मेरा माँग है कि गरीग लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करा दें ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, इसमें आप जैसा आदेश देंगे, कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम 56 की सूचनाओं पर निर्णय दे रहा हूं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना का जहाँ तक सम्बन्ध है, 7 दिन के अन्दर इसकी रिपोर्ट मुझको, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को और यदुनाथ सिंह जी को भेज दें । अगर मैं यह महसूस करूंगा कि और जाँच की आवश्यकता है या कुछ और निर्णय लिया जाना है, तो निर्णय लूंगा ।

जहाँ तक माननीय किरन पाल सिंह जी का सम्बन्ध है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिमी जिलों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा । इसके बन्द हो जाने से सहकारिता विभाग की पूंजी पर असर पड़ेगा । इसलिये मैंने निर्णय लिया है कि एक कमेटी बना दी जाय, जिसमें माननीय सहकारिता मन्त्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय उद्योग मंत्री हों । इसके अलावा उनके विभाग से संबंधित लोग, जिनसे भी वह सलाह इत्यादि लेना चाहें, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के लोग हैं, उनको बुलाना स्वयं निर्धारित कर लें । जिस वक्त भी मीटिंग बुलायी जाय, परन्तु निर्णय 31 तारीख से पहले हो ।

नियम 56 की जो भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री छत्तर सिंह--

क्या मैं भी इस कमेटी में रहूंगा ?

श्री अध्यक्ष--

किरनपाल सिंह जी, छत्तर सिंह जी यदि आना चाहते हैं, तो इसमें आ सकेंगे ।

1984--85 के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,29,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,51,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,14,63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,11,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,56,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग केवल उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश के बहुत ही पुराने विभागों में से है। इसकी स्थापना 1844 में हुई, 1854 में इसने सही तरीके से काम करना शुरू किया। उसके बाद 1938 में सिंचाई विभाग इससे अलग हो गया। 1973 में यू0 पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन की स्थापना की गयी और 1975 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को बनाया गया। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विभागों में से एक है। जिस समय भारतवर्ष आजाद हुआ था उस समय यहाँ पर 1947 में 15,113 किलो मीटर सड़कें थीं जबकि आज इस समय तक 67,476 किलो मीटर सड़कें (पक्की सड़कें) हैं। लेकिन अगर हम जनसंख्या को देखते हुए सड़कों की आवश्यकता को नापें तो देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश का स्थान पीछे है। एक लाख आबादी के ऊपर हरियाणा में 175 कि0 मी0 सड़कें हैं, भारत वर्ष में प्रति लाख पर 114 कि0 मी0 सड़कें हैं जबकि उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी पर केवल 58 कि0 मी0 सड़कें हैं। इसका कारण है कि इतने बड़े क्षेत्रफल में प्रयास करने के बाद भी अभी तक हम उस स्टैण्डर्ड तक नहीं पहुंच पाये हैं, जहाँ तक हमें पहुंचना चाहिये या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में ये हैं।

हमने प्रयास किया था कि एक आउट-ले बनायें जिससे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जो सड़कें आती हैं और गाँव-गाँव को आपस में जोड़ती हैं, वह शीघ्रता से बनायी जा सकें। इस आउट-ले में 1335 करोड़ रु0 की धनराशि प्रस्तावित थी परन्तु कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस योजना में केवल 415 करोड़ की ही धनराशि मिल सकी जिसमें से पर्वतीय क्षेत्र के लिये 125 करोड़ और मैदानी क्षेत्र के लिये 290 करोड़ हैं। 1980 से आज तक 8073 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है और 3071 पुल बनाये गये हैं।

मान्यवर, आपको सुन कर हर्ष होगा कि इस साल डिस्ट्रिक्ट सेक्टर को पैसा नहीं दिया गया है, केवल 70 प्रतिशत ही डिस्ट्रिक्ट सेक्टर को बजट दिया गया है। यह 70 प्रतिशत पर नियंत्रण जन प्रतिनिधियों का है। जिला योजना कमेटी के द्वारा ही इसका व्यय किया जायेगा। 1983–84 में डिस्ट्रिक्ट सेक्टर को 50 करोड़ रु0 दिये गये थे और 1984–85 में 55 करोड़ का बजट जिला योजना कमेटी को दे रहे हैं ताकि जिले के रहने वाले अपनी समस्याओं के बारे में स्वयं जानते हैं, उनका नियंत्रण और वितरण कमेटी के द्वारा हो सकता है प्रभावी रूप से और प्रभावी रूप से निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

इस विभाग ने काफी काम किये हैं और जिलों में काफी सड़कों का भी निर्माण कार्य किया है। लखनऊ राजधानी में अक्सर लोगों को शिकायत रहती थी कि शहर में काफी कन्जक्शन है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है इसके लिये न तो देश तैयार था और न आपकी राजधानी लखनऊ ही तैयार थी ? आबादी का जब दबाव पड़ा तो अवरोध उत्पन्न हो गया और लोग शिकायत करने लगे कि राजधानी में बहुत कन्जक्शन है। इसीलिये लखनऊ के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का इस विभाग द्वारा काम कराने का फैसला किया गया। फैजाबाद रोड और गोमती बैराज पर रिंग रोड बनाने का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और इसका दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है।

आपने मान्यवर, देखा होगा कि कानपुर और लखनऊ मार्ग पर बहुत ही कन्जक्शन रहता था। यह मुख्य मार्ग है इसमें जगह-जगह पर चार लेन्स में सड़क बनायी जा रही हैं। शेष में 6 गलियों वालो सड़कें बनायी जायेगी। मान्यवर, आपने स्वयं देखा होगा कि इस दिशा में कार्य बहुत ही तेजी से हो रहा है। इस तरह से लखनऊ के चारों ओर रिंग रोड बन जाने से लोगों को काफी सुविधा रहेगी।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, लखनऊ से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क जहाँ पर इंड-स्ट्रियल काम्प्लेक्स आ गया है, को भी चौड़ा किया जा रहा है। अगर हम निशात-गंज की ओर जायें तो देखेंगे कि उस तरफ भी काफी ट्राफिक है, लोग जाते हैं। इंदिरा-नगर बन जाने के बाद, अलीगंज स्कीम, महानगर और दूसरी एक्सटेंशन स्कीमों के बनने के बाद आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस तरफ रहता है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि निशातगंज, पेपर मिल कालोनी के पास एक बड़ा पुल गोमती नदी पर बनाया जाय, इसी प्रकार से यमुना नदी पर एक बड़े पुल के बनाए जाने का प्रस्ताव है। मैं मान्यवर, बड़े-बड़े कामों को बता रहा हूं और दूसरे जो हमारे काम हैं वह चर्चा के समय आ जायेंगे। गोमती के पुल की बात मैंने बताई, इसी प्रकार से लखनऊ से वाराणसी मार्ग पर जौनपुर में जलालपुर में पुल बहुत तंग है, इसको भी चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है। जी0टी0 रोड को भी चौड़ा करने की योजना है। इसमें पहले फेज में 14 करोड़ रुपया खर्च किया जायगा और इसका आधुनिकीकरण किया जायगा और इसको चौड़ा किया जायगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो और रास्ते हैं जो दिल्ली से निकलते हैं उनको भी चौड़ा किया जायगा और उनका आधुनिकीकरण किया जायगा जिससे दिल्ली से जो लोग आते हैं और वहाँ जो लोग जाते हैं उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

मान्यवर, हमारा ध्यान खासकर गाँव की ओर है। हमारे गाँव में शहर की सहू-लियतें नहीं हैं, इस कारण गाँव के लोग शहर में आकर आबाद हो रहे हैं। अगर गाँवों में ही शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायें तो हमारे शहरों में जो आबादी का दबाव बढ़ रहा है वह कुछ हद तक समाप्त हो जायगा, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक सुविधाएं गावों में हो जायें। इसी कारण हमने निश्चय किया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क से रोज एक गाँव जुड़ जाय और वाकी 6 महीने में दो गाँव जोड़े जायें। हमारा यह लक्ष्य है कि 1990 तक 1500 से अधिक आबादी वाले गाँव सड़कों से जुड़ जायें। इसी कारण हम लोग बराबर गाँव की ओर ध्यान दे रहे हैं और हम धन का प्राविधान भी इसी काम के लिए कर रहे हैं। मान्यवर, सारे भारत में जो राष्ट्रीय मार्ग है उनकी लम्बाई 28610 है है और उनमें से 2455 किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि प्रदेश की 3375 किलोमीटर लम्बी सड़कें राष्ट्रीय मार्ग में ले ली जायें। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस सिलसिले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके स्वीकृति देगी। राष्ट्रीय मार्गों पर 21 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है और 58 किलोमीटर की सड़क को बढ़ाने की अपनी स्वीकृति दे दी है। मान्यवर, हमारे पास जो धन उपलब्ध है उसको देखते हुए हम पूरे प्रदेश की सड़कों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण

हमने इन लैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बना का निश्चय किया है ।

हमारे बड़े-बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं और पहले जमाने में उन नदियों से आवागमन होता था। इसी कारण हमने इन लैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाने का निश्चय किया है और हम कुछ मुख्य मार्ग लेंगे जो पुराने जमाने से इस्तेमाल होते आए हैं। जिन पर सामान ले जाने के लिए और कहीं-कहीं पर सवारियों के लिए भी हम स्टीमर्स और किश्तियाँ लगायेंगे। जो समय आ रहा जो पुलों और सड़कों का काम हो रहा है और आबादी का बढ़ता हुआ फैलाव हो रहा है उसके लिए हमें उन साधनों का उपयोग करना होगा जो हमारे पास उपलब्ध हैं। दूसरे देशों में इन्लैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी कारण हमने अपने यहाँ उसका एक सेल बनाया है और जो हमारे सर्वोच्च अधिकारी हैं, इंजीनियर इन-चीफ हैं, वे गोवा गए थे और उन्होंने वहाँ पर इसके सम्बन्ध में एक सेमिनार में शिरकत की थी। भारत सरकार से भी इसके बारे में कहा गया है कि इसके टेक्निकल नो-हाऊ के लिए वह हमारी मदद करे ।

मान्यवर, जिस वक्त यह इन्लैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन कार्य करने लगेगा उस वक्त से सड़कों के ऊपर जो दबाव हो रहा है वह कम होगा। पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग के सामने बहुत सी आपत्तियाँ भी सामने आयीं। इसका जो भवन निर्माण खण्ड है उसको सड़क से अलग कर दिया गया है। इसलिए शुरू में जो कार्य इसने किया उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आयीं। जिन लोगों को दोनों कार्य दिए जाते हैं वे भवन की तरफ ज्यादा तवज्जह नहीं देते। इसलिए हमने उसको अलग कर दिया है। इसका फायदा यह हुआ है कि अब हम प्रति दिन 10 यूनिट बना रहे हैं और यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है प्रतिदिन 10 बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कर रहा है और जो हमारा तजुर्बा था वह कामयाब रहा है और निर्माण कार्यों में काफी तेजी आई है। इसके साथ ही साथ हमारे जो दो निगम हैं राजकीय निर्माण निगम और सेतु निगम–इन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है। राजकीय निर्माण निगम 3.50 करोड़ रुपए से सन् 75 में शुरू हुआ था और 1983 में इसने 45 करोड़ रुपए का कार्य किया है। बड़े-बड़े ब्रिज प्रदेश के बाहर के भी इस निगम को मिले। जयपुर में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की इमारत बनी और उसकी वहाँ के मुख्य मन्त्री तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने सराहना की। इस निगम ने दिल्ली तक में कार्य किया और दिल्ली के बाहर भी काम किया है, उसकी सराहना की। राजकीय सेतु निगम ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में यह साबित कर दिया है कि जहाँ तक पुल बनाने का सवाल है भारत के जो इजीनियर हैं वे किसी से कम नहीं हैं। जहाँ-जहाँ हमारे सेतु निगम ने पुल बनाए हैं चाहे वह काबुल में हो या ईराक में हों, चाहे किसी देश में हो, वहाँ इसकी अच्छी साख बनी है। इसमें एक व्यवस्था यह कर दी है कि हम टेंडर के बजाय नेगोशिएशन से ठेका दे देते हैं और उससे हमारी गुडविल अच्छी हो रही है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

नारायण दत्त तिवारी के क्षेत्र में जो पुल बने वे सब गिर गए हैं ।

श्री अम्मार रिजवी––

वह आपकी नजर देखकर गिर गए हैं। ईश्वर से हम दुआ करते हैं कि वह आपकी नजर से उन्हें सुरक्षित रखे।

मान्यवर, कई बड़े-बड़े पुल इस साल मन्जूर हुए हैं–गंगा ब्रिज, फाफामऊ में यमुना ब्रिज, बागपत में कन्हर ब्रिज, मिर्जापुर में गंगा ब्रिज, फर्रुखाबाद में राप्ती ब्रिज, देवरिया में, बेतवा ब्रिज झांसी में यमुना ब्रिज इटावा में, गोमती ब्रिज निशातगंज लखनऊ में, सई ब्रिज लखनऊ वाराणसी रोड पर जौनपुर में तथा टोंस ब्रिज आजमगढ़ में बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। मान्यवर, काफी बड़े-बड़े पुल सेतु निगम बनाने जा रहा है। यह आपको जानकर खुशी होगी कि पूर्वांचल से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो लिंक है जो बहराइच जरवल रोड पर

पहले पैटून हुआ करता था वहाँ सेतु निगम ने दो साल में पुल बनाया है। वह एक रिकार्ड टाइम में पुल बना है जिसकी सारे लोग चाहे विधायक हों या जनता हों सब इसकी सराहना करते हैं। सबने इसकी तारीफ की है कि इतनी जल्दी और इतना अच्छा यह पुल कैसे बन गया। तो यह संक्षिप्त रूप में इसकी रूपरेखा मैंने बताई। इस पर मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें।

यातायात का अपना एक महत्व है। हमें इस बात का दुख है कि अभी तक यातायात में सड़कों को कोर सेक्टर में नहीं लाया गया, प्रायरिटी में नहीं लाया गया है, इसकी वजह से वह तमाम सुविधाएं हमें प्लानिंग कमीशन से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जो दूसरी जगहों को प्राप्त हो जाती हैं। यह जरूरी है कि यातायात में अधिक से अधिक धन दिया जाय। जब तक गाँवों को सड़कों से नहीं जोडेंगे तब तक सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता है चाहे वह कृषि हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सिंचाई हो उन सबके लिए सड़कों का होना जरूरी है। किसान जो पैदा करता है उसे वह मंडी तक नहीं ले जा सकता है, तो कैसे उसका विकास हो सकेगा। तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि अधिक से अधिक धन इस कार्य पर खर्च किया जाय। एक मर्तबा जितना धन खर्च कर दिया जाय उसके बाद फिर थोड़ा सा उसकी मेनटीनेंस के रूप में लगाना होता है जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगर विकसित देशों को देखा जाय तो सबसे पहले उन्होंने यातायात के साधनों को ठीक करने का प्रयास किया है। इसी वजह से इस विभाग को अधिक से अधिक धन देने की आवश्यकता है। जब तक हर गाँव को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा जाता है जब तक पिछड़े इलाकों को विकसित इलाकों तक नहीं जोड़ा जाता तब तक प्रदेश का पूरी तरह विकास सम्भव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें।

इस विभाग में त्रुटियाँ भी हो सकती है हर व्यक्ति और हर विभाग में ऐसा नहीं है कि कोई कमी न हो। इसी वजह से हमने इसके ऊपर सख्त नजर रखी है। पिछले साल 38 अधिकारियों को वार्निंग दी, 4 लोगों को सेन्सर किया, 73 लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दीं, 17 लोगों की वेतन वृद्धि रोकी गयीं, 20 आदमियों की इंटीग्रटी विथ-हेल्ड की, 24 आदमियों से रिकवरी की, 42 को मुअत्तल किया, दो आदमियों की पेंशन रोकी गयी और 8 का प्रोसीक्यूशन किया। इस तरह से 273 के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। बहुत से लोग अच्छा काम करने वाले भी हैं उनकी हम सराहना करते हैं, जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है उनको अच्छी इन्ट्री दी जाती है और जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें लगाते हैं ताकि हमारे प्रदेश का नाम हो। इसके साथ-साथ जो गलती करता है उसको सजा दी जाती है। मुझे पूरा बिश्वास कि इस बजट पर जो चर्चा होगी वह बहुत कंस्ट्रक्टिव होगी और जो सुझाव आयेंगे वह हम लोगों के लिए मार्ग दर्शन का काम करेंगे।

श्री विजयसिंह राना—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण

विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि जिन मन्त्री की योग्यता कार्य-कुशलता और ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जिनको पदच्युत किया था उनको फिर इस पी0डब्लू0डी0 का बजट पेश करने के लिये खड़ा कर दिया गया है। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो पहले आबकारी मन्त्री थे और ह्विस्की की बोतलों के साथ जिनका सीधा रिश्ता था। अब उनका रिश्ता कोलतार के ड्रमों के साथ जोड़ दिया गया है। उसका परिणाम है कि वह अस्पताल पहुंच गये। मान्यवर, यह विडम्बना समझें कि अंगूर की बेटी का राजकुमार जिसने मधुशाला के रंगीन प्रकाश में साकी मधुबाला की इठलाती हुई उंगलियों के बीच थिरकते जाम के साथ अपने जीवन की साँसें संजोई थीं वही आज तपते हुए खौलते हुए तारकोल के ड्रमों के बीच खड़ा हुआ है। यह मात्र एक विडम्बना है।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, यह किस बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलें।

श्री विजय सिंह राना—

मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट ही परबोल रहा हूं।

मान्यवर, आबकारी से सार्वजनिक निर्माण विभाग तक दुर्भाग्य से चले आने वाले बेचारे निरीह से मन्त्री के बारे में कहना चाहता हूं कि :—

एक समय छलका करती थी,
मेरे अधरों पर हाला,
एक समय झूमा करता था,
मेरे हाथों पर प्याला,
एक समय पीने वाली साकी,
आलिंगन करती थी,
आज बना हूं निर्जन मरघट,
कहाँ गयी वह मधुशाला।

मुझे डर है कि सड़कें कहीं लड़खड़ाने न लगें और पुल कहीं झूमने न लगें।

मान्यवर, मन्त्री जी ने बजट को रखते हुए कहा कि यह पुराना विभाग है और 1944 से काम कर रहा था और 1958 से इस विभाग से काट कर अनेक विभाग बना दिए जैसे राजकीय सेतु निगम, निर्माण निगम जो पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग में थे लेकिन अब यह अलग विभाग हैं। इसी तरह इसके समानान्तर एक अलग विभाग है—ग्रामीण अभियन्त्रण योजना विभाग। यह सारे विभाग अलग हुए और इनको अलग-अलग काम दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इनके बीच में कोई विभाजन रेखा होगी कि नहीं जिसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया। आपका प्रस्ताव था कि 5 लाख रुपये से कम के काम पी0 डब्लू0 डी0 नहीं करेगा, आर0 ई0 एस0 विभाग करेगा, दूसरा प्रस्ताव था कि 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के काम केवल पी0 डब्लू0 डी0 करेगा और 25 लाख रुपये के ऊपर के काम निर्माण निगम और सेतु निगम करेंगे। तो यह आपने प्रस्ताव रखा था लेकिन आज तक उस प्रस्ताव के ऊपर अमल नहीं हो पाया है और निश्चय नहीं हो पाया कि कौन काम कौन विभाग करेगा। इसलिये जब एक ही विभाग में समानान्तर काम करने की बात सोचें तो उनमें काम का बंटवारा करें कि कौन काम कौन विभाग करेगा, इसका निश्चय होना चाहिये।

मान्यवर, बजट में 5 मदें हैं जिनमें 1,89,62,80,000 रुपये का प्राविधान किया है। तो यह अरबों में बजट पहुंच गया है लेकिन सड़कों व पूलों पर केवल कुछ लाख रुपये ही खर्च किये जायेंगे और बाकी

का पता नहीं कहाँ जाता है। इस बजट में प्राविधान किया है कि कुल 9416 लाख रुपये पक्के मार्गों के नव निर्माण पर खर्च होंगे, 4436 लाख रुपये अनुरक्षण व मरम्मत पर खर्च होंगे और इन रुपयों से 250 कि0मी0 पक्के मार्गों का नव निर्माण होगा एवं 950 कि0 मी0 मार्गों का पुनः निर्माण तथा मरम्मत किया जायगा और 100 सेतुओं का निर्माण किया जायगा।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 2400 लाख रुपये आयोजनागत मद में राज्य सेक्टर में रखे गये है। उनमे से 300 लाख रुपये स्पेशल कम्पोनेन्ट के कामों के लिए रखे गए हैं। तो यह स्थिति हैजिसको देखने से पता चलता है कि अरबों केबजट में से सड़कों पर कुछ लाख रुपये ही खर्च किये जायेंगे जिसका परिणाम कि हैयह प्रदेश आज तक सड़कों में पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, आप आँकड़े देखें तो आश्चर्य में पड़ जायेंगे। आप देखें अब तक जो सड़कें बनी हैं। काँग्रेस के पुराने जमाने में 750 किलोमीटर सड़कें प्रतिवर्ष बनी हैं औसतन। उन्होंने 30 वर्ष में कुल मिलाकर 30–32 किलो-मीटर सड़कें बनाई हैं जनता पार्टी के आने से [समय 2 बजकर 20 मिनट] पहले पहले। परन्तु जनता सरकार ने इस क्षेत्र में एक की तमान स्थापित किया है प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जनता सरकार ने अपने शासन काल में 2583 किलोमीटर सड़कें बनायी हैं। हमने यह 2583 किलोमीटर सड़कें औसतन एक वर्ष में बनायी हैं। इसको प्रत्येक वर्ष में भी आप देखे लें, 77–78 में 2583 कि0 मी0, 78–79 में 3634 कि0 मी0 और 79–80 में 4200 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। इस प्रकार से 1982 तक कुल मिलाकर इस प्रदेश में 64338 किलोमीटर सड़कें बनी है, जिसमें से 15113 किलोमीटर सड़कें स्वतंत्रता पूर्व काल की और 10417 कि0 मी0 सड़कें जनता सरकार में बनी है।

मंत्री जी ने जो कहा है वह एक बिडम्बना है, मंत्री जी ने कहा कि कोर सेक्टर में लिया जाना चाहिए, तो आप कह किससे रहे हैं कि लिया जाना चाहिये आप को लेना है आप ले लें। आप पूछ किससे रहे हैं, देने वाले तो आप ही हैं और आप चाहते हैं कि दे दिया जाए कोर सेक्टर में तो दे आप क्यों नहीं देते हैं। 6ठीं पंचवर्षीय योजना के लिए इन्होंने जो वायदा किया था कि यह 1990 तक 15 सौ से ऊपर की आबादी वाले जितने गाँव है, उन सारे के सारे गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया जाएगा और 1 हजार से 15 सौ तक की आबादी के जितने गाँव हैं, उनके 50 प्रतिशत गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा। लेकिन इसके साथ देखें, इस प्रदेश में 10725 गाँव हैं 1500 से ऊपर की आबादी वाले और 10822 गाँव 1 हजार से 14 सौ तक की जनसंख्या के हैं। बीच में अभी जब हमारे आबकारी मंत्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने थे, तो उन्होंने 1984 में एक बार कहा था, जो पायनियर में छपा था—

"मि0 भूषण सेड, दि पी0 डब्लू0 डी0 आफिसर्स हैव बिन डाइरेक्टेड टू लिक वन विलेज डेली विथदि पक्का रोड फार सिक्स मन्थ्स आफटर विच दे हैव बिन डायरेक्टेड टू लिक टू विलेजेज पर डे विथ पक्का रोड, विदिन ए स्पैन आफ टू इयर्स, आल दि विलेजेस इन दि स्टेट विल वी लिंक्ड विद पक्का रोड, हि एडेड।"

अर्थात् इन्होंने कहा है कि हम दो साल के अन्दर सारे गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ देंगे। अब इसके आँकड़े देखें, वर्ष 82 में 201 गाँव और 83 में 131 गाँवों को सड़क से जोड़ा गया है और 84 में 242 गाँवों को जोड़ने का इनका लक्ष्य है। तो इस हिसाब से यह एक साल में 200 गाँव को ही जोड़ पा रहे हैं। जबकि 10725 गाँवों को इनको जो सड़क से जोड़ना है 1990 तक अपने वायदे के अनुसार। तो मैं यह समझता हूं कि 1990 क्या यह सन् 2000 तक भी इतने गाँवों को सड़कों से नहीं जोड़ पायेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि यह जिला सेक्टर में योजना दे देते है और वहाँ पर माननीय विधायकों को सारी शक्ति सड़कों के चयन की दे देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इससे बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता है। यह जरूर हो गया है कि जिले में दे दिया गया है, लेकिन जिले के अन्दर पूरे के पूरे बजट का उपयोग न आपके विभागीय अधिकारी करते है न

हम कर पाते हैं, उसका पूरा उपयोग जिले में बैठे हुए आई0 ए0 एस0 अधिकारी ही करते हैं। कभी हम लोगों को मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाता है। न ही विभाग के इन्जीनियरों को बुला कर उनकी राय ली जाती है। सारा का सारा पैसा मनमाने ढंग से खर्च कर लिया जाता है। सारा पैसा रायबरेली और सुल्तानपुर चला जाता है (व्यवधान) मैं 1984–85 में जो धन और जिलों में आवंटित हुआ वह और आगरा जिले के लिये जो आवंटित हुआ वह बताना चाहता हूं। इस वर्ष सुल्तानपर के लिये 167 लाख, गोरखपुर के लिये 170 लाख, बस्ती के लिये 320 लाख, मुजफ्फरनगर के लिये 164 लाख और आगरा के लिये केवल 84 लाख रुपया ही आवंटित किया गया है जब कि आगरा के लिये कम से कम 184 लाख आवंटित करने की आवश्यकता है जो काम बाकी है उनको पूरा करने के लिये। मान्यवर, इन की भी मजबूरी है। इनको तो राजीव गाँधी और श्रीमती इन्दिरा गाँधी को ही बनाये रखने के लिये सारा पैसा उन्हीं के क्षेत्र में खर्च कर देना चाहते हैं।

'रोज साहिल पे खड़े होके यही सोचा है,
मैं जो पिघली हुई रंगीन शफक का रोगन
पोछ लूं हाथों से और चुपके से इक बार कहीं,
तेरे गुलज़ार से रुखसारों पै छप से मल दूं।'

तो मान्यवर, यह सारे का सारा प्राचीका महावर श्रीमती इन्दिरा गाँधी और राजीव गाँधी के चरणों में पोत देना चाहते हैं।

अब आप राष्ट्रीय मार्गो की स्थिति देखिये। हमारे प्रदेश में इनकी लम्बाई भी बहुत कम है। सब से कम इनकी लम्बाई हमारे यहाँ है। हमारे प्रदेश में इनकी लम्बाई 2474 किलोमीटर है। आप कहते हैं कि इसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है, पर ऐसा भी नहीं है। 1980–81 में आपने 20 करोड़ 50 लाख माँगा था, मिला आपको 10 करोड़ 10 लाख, इसी वर्ष मानसून डैमेज के लिये आपने माँगा 6 करोड़ 75 लाख और मिला 4 करोड़ 16 लाख। 1981–82 में आपने माँगा 3 करोड़ 28 लाख और मिला 2 करोड़ 13 लाख। इस प्रकार इन राष्ट्रीयकृत मार्गो पर जो कुछ खर्च होता है वह सारा पैसा आपको भारत सरकार से नहीं मिल पाता है और इसका भार भी हमारे बजट पर पड़ता है पर यह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मान्यवर, इस सरकार का केवल ध्यान इस तरफ है कि राजीव गाँधी और इन्दिरा गाँधी सलामत बनी रहें, और इसी लिये इन्होंने सारे प्रदेश को उनके नाम पर तबाह कर रखा है।

जहाँ तक सेतु निगम की बात है, उसकी कार्यपद्धति आदि के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस विभाग ने बड़ी सफलता प्राप्त की है यह भी सही है। मगर यह सफलता उसे इस कारण मिल पायी है कि अभी सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं हो पाया है जिस प्रकार का हस्तक्षेप सरकार का पी0 डब्लू0 डी0 में है। यह उसकी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक सेतु निगम स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। मैं इसकी कार्य क्षमता तथा कार्य प्रणाली पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, पर एक बात अपने यहाँ यमुना नदी पर बने पुल के बारे में कहना चाहता हूं। वह पुल 1965 में बना था। आज उसकी हालत बहुत खराब हो गयी है। वह ध्वस्त होता जा रहा है। संसद में भी उसके ऊपर प्रश्न उठ चुका है। उस पर ट्रैफिक का इतना अधिक बोझ बढ़ गया है कि वह बरदाश्त नहीं कर पा रहा है। इस पुल पर जो भारी दबाव है, इसे आप डाइवर्ट करने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाये हैं। मान्यवर, जब यह स्वयं इस विभाग के मंत्री थे तो मैंने इस संबंध में इनसे कई बार कहा और बराबर मिलता रहा। मैंने कहा था कि आगरे में यमुना नदी पर एक दूसरा पुल बना दीजिये क्योंकि एक पुल इतने बड़े ट्रैफिक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तीन नेशनल हाईवेज और दो स्टेट हाइवेज का यातायात वहाँ पर जाता है तो एक पुल इतने बड़े यातायात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान्यवर, इसके दूसरे पार औद्योगिक नगर है और आपने मंडी समिति को भी उधर ट्रांसफर कर दिया है। तो इससे उस पुल पर और यातायात बढ़ जायगा और उस पुल के लिये इस यातायात को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होगा।

ट्रक इधर से भर कर जायेंगे और उधर से भी सामान भर कर लायेंगे और इस पुल से गुजरेंगे तो इस तरह से 2 गुना भार मंडी समिति की वजह से बढ़ गया और औद्योगिक नगर की वजह से बढ़ गया है। पर आप सोचने के लिये तैयार नहीं है कि दूसरा पुल बने । मान्यवर, फतेहपुर सीकरी रोड, ग्वालियर रोड, समसाबाद रोड, इरादत नगर रोड, फतेहाबाद रोड को मिलाते हुए सड़कें समोकर नामक गाँव के पास पहुंच गयी हैं । मैंने माननीय मंत्री जी से इस संबंध में कहा था कि वहाँ पर एक दूसरा पुल बना दिया जाय जिससे तमाम यातायात समोगर के पुल पर होकर निकलेगा और दोनों पुलों पर आधा-आधा भार रह जायेगा । पर महोदय, आज तक यह कहते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे । मेरा कहना है कि यह समस्या आपकी है। आप केन्द्रीय सरकार को भेजते रहें। लेकिन जो काम आपको करना है वह करें लेकिन आप हम लोगों को केवल मौखिक आश्वासन देना चाहते हैं। आप आज विधान सभा में आश्वासन दें कि जब तक वहाँ पर पक्का पुल नहीं बन पाता है तब तक अगर वहाँ पीपे का पुल बनवा दें तो मंडी समिति का ट्रांसपोर्टेशन उधर से जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। अन्य बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सेतु निगम में हस्तक्षेप के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं मान्यवर, मेरठ में बागपत में पुल बनवाने की बात की गयी है तो यह पुल बागपत में नहीं बनना था। पहले यह पुल नैथला गाँव में बन रहा था। मान्यवर, इसकी आधारशिला सन् 1979 में माननीय चौधरी चरण सिंह ने रखी थी इसलिये इस पुल को बदलना इनके लिये जरूरी हो गया और इस पुल को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाने का निर्णय हो गया । इस पुल को इसलिये नहीं पूरा किया जा रहा है कि इसका शिलान्यास चौधरी चरण सिंह ने किया था । नैथला गाँव के पास जहाँ पर यह पुल बन रहा था उससे उपयुक्त स्थान इस पुल के लिये कोई और नहीं था । वहाँ पर दोनों किनारों की मिट्टी बहुत अच्छी थी और वहाँ पर यमुना नदी की चौड़ाई बहुत कम थी। बागपत के पास यमुना नदी का फैलाव बहुत अधिक है तथा किनारों की मिट्टी बलुई है जो कि पानी के साथ बह जायेगी। लेकिन चूंकि चौधरी साहब ने उस पुल का शिलान्यास किया था इसलिये आपके लिये उस पुल को दूसरी जगह ले जाना धर्म था नहीं तो आपकी दादी और चाची नाराज हो जातीं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो ठेकेदारी प्रथा है उसके लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, ठेकेदारी प्रथा ने इस डिपार्टमेंट को तबाह कर रखा है। मान्यवर; हम बराबर प्रस्ताव करते रहे और मंत्री जी ने खुद अखबारों में यह बयान दिया कि—

'मि0 भूषण टोल्ड दि पायनियर दैट ही हैज बीन रिसीविंग सेवरल कम्प्लेन्ट्स दैट सम 'एन्टी सोशल' एलिमेन्ट्स व्यर कमिंग पी0 डब्लू0 डी0 एण्ड अदर डिपार्टमेन्टल कन्ट्रैक्ट्स इन दी नेम्स आफ देयर रिलेशन्स एण्ड फ्रेन्डस बाई यूजिंग स्ट्रांग आर्म मेथड्स ।''

इसका मतलब यह है कि कुछ गुंडों और विभागीय अधिकारियों के रिश्तदारों और नेताओं के रिश्तेदार विभाग में ठेकेदार के रूप में पनप रहे हैं । मान्यवर, इसकी इन्क्वायरी करा ली जाय। एम0 एल0 ए0 और इनके रिश्तेदार ठेकेदारी का काम कर रहे हैं जिसके कारण विभाग का उन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहना है कि आवश्यकता इस बात की है कि इस ठेकेदारी प्रथा का पुनरुद्धार किया जाय और इसके लिये कुछ मापदंड बनाये जायं। जो ग्रेजुयेट्स हैं उनको निर्माण निगम में काम दिया जाय। पुल व भवनों के काम ग्रेजुयेट्स को दिये जायं और सड़कों का काम है वह हाई स्कूल और इंटरमीडियेट पास जो लड़के हैं उनसे लिये जायं। इन लोगों से एप्लीकेशंस ली जायं और इनको ठेकेदार बनाया जाय और इस प्रकार से जो राजनीतिक दबाव और अधिकारियों का दबाव ठेकेदारी पर है उसको समाप्त किया जाय। नहीं तो यह विभाग ठीक से काम नहीं कर पायेगा। मेरे

पास कहने को तो बहुत कुछ है पर समय की कमी के कारण मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बाद में अपनी बात कह लीजियेगा।

*श्री सोमाँश प्रकाश--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का आज अवसर दिया। मैं प्रार्थना करूंगा पहले अपने साथी राना साहब से कि कम से कम इस विभाग के कटौती के प्रस्ताव को आप वापस ले लें और वह इसलिये कह रहा हूं, मैं यह बात कि सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश के विकास से संबंधित डिपार्टमेंट है और इस विभाग से प्रदेश का जो विकास है वह जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले यातायात का साधन होना मैं समझता हूं कि विकास की पहली कड़ी है, जो इस विभाग के द्वारा पूरी होती है और इस तरह कटौती होने से प्रदेश के विकास पर रुकावट होती है। मैं समझता हूं कि हमारे राना भाई बहुत होशियार हैं वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे। इसी के साथ-साथ हमारा सुझाव यह है कि यह जो हमारी सड़कों का निर्माण है, मैंने पत्र भी अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से शासन को लिखा था कि विशेष तौर से जो निर्माण कार्य सड़कों का है, वह इसी विभाग के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी ज्ञान रखने वाले इंजीनियर्स लोग मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो लिंक रोड्स वगैरह हैं, जो दूसरे विभाग से बनायी जाती हैं, वे अच्छी नहीं बनती है, तो जितना कार्य विशेष तौर से सड़कों का है वह इसी विभाग से हो, तो उत्तम रहेगा।

इसी के साथ-साथ मैं कुछ अपने जनपद और अपने विधान सभा क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं। श्रीमन्, अभी राना जी ने मुज्फ्फरनगर के फण्ड के बारे में बात की। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में इस 37 वर्ष में केवल 798 किलोमीटर सड़कें बनी हुई है। 927 गाँव है, लिंक रोड केवल 37 परसेंट है। इसी प्रकार मेरा विधान सभा क्षेत्र जो है, उसमें थाना भवन और ऊंन विकास क्षेत्र है। थाना भवन क्षेत्र में 60 गाँव है, जिनमें केवल 14 गाँव ऐसे हैं, जो सड़क से जुड़े हुए है। इसके अलावा 13 गाँव में एक किलोमीटर पैदल चल कर पहुंचा जाता है और 6 गाँव में एक से तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचा जाता है और 13 गाँवों में 3 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचा जाता है और 14 गाँवों में 5 किलोमीटर से ऊपर पैदल चलना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे विकास क्षेत्र ऊंन में 95 गाँव है, जिनमें से केवल 12 गाँव सड़क से जुड़े हुए हैं। 8 गाँवों में एक किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है और 22 गाँवों में 3 किलो मीटर पैदल जाना पड़ता है और 10 गाँवों में 5 किलो मीटर पैदल चलकर पहुंचा जाता है और 43 गाँवों में 5 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चल कर पहुंचा जाता है। यह स्थिति हमारे जनपद की है जो मैंने आपके सामने रखा है और इसी के साथ-साथ मेरा यह निवेदन है कि अभी जो एक बात आई थी कि मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, वह गलत है। मेरा यह निवेदन है कि इस ओर पूरे तरीके से ध्यान दिया जाय। मनसूरा से चौतरा तक सड़क बनाई जाय। शामली से दथेड़ा तक सड़क बनाई जाय। खोखरी नाला पुल का निर्माण किया जाय। मान्यवर एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ एक पी0 एच0 सी0 का उच्चीकरण होना था। स्वास्थ्य मंत्री जी पत्थर भी लगा आये थे, एक साल हो गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग को वह काम करना था लेकिन आज तक उसको नहीं किया गया। मुझे जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग ने पैसा भी दे दिया है। यह कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ।

*श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गाँवों में सड़क न होने के कारण गाँव का जीवन नीरस है, किसानों का शोषण होता है, यदि मान्यवर, सड़कें हो जायं, तो गाँव में किसानों का शोषण बन्द हो, जो नीरस जीवन बना हुआ है गाँव का, वह समाप्त हो, उद्योग धन्धे लगे। गाँव विकसित हों और गाँव वाले भी इसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रसास्वादन कर सकें कि देश में आजादी आयी है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कांग्रेस शासन के 4 वर्ष हो गये, इनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। इसी से अन्दाज लगा लें, हमने कल बात सदन में कही कि कृपा करके जनता पार्टी में जो मिट्टी का कार्य हो चुका है, आप उसकी हिफाजत कर दें। डामर नहीं बिछा सकते तो ईंट का खड़ंजा लगा दें। ताकि उस मिट्टी की हिफाजत हो सके, मिट्टी बहे न। आज स्थिति यह है कि जनता पार्टी के शासन काल में जितनी सड़कों पर मिट्टी डाली गई, मिट्टी का काम शुरू हुआ, वह सड़क वह गई, मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

(व्यवधान)

आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। आप जनता में पता करें तो मालूम हो जायगा।

(व्यवधान)

अमीर की नोट और गरीब के वोट से आप चुन कर आते हैं। आप क्या जानें गरीबों के दर्द को। अगर यह कोई और देश होता तो आपने जो पाप किया है, जनता की गाढ़ी कमाई से जिन मार्गों पर मिट्टी डलवाई गयी, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया और वह मिट्टी बह गयी। और कोई देश होता तो एक दिन भी आप सदन के अन्दर नहीं बैठ सकते थे, जनता के जरिए। वह आपको रोक लेती। आपको सजा भुगतनी पड़ती, जो आपने पाप किया है, जो गुनाह किया है। मान्यवर, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि इस सरकार का रुझान गाँव की तरफ गया है।

श्री अधिष्ठाता—

केवल 5 मिनट का समय है। तीन मिनट आपके हो चुके।

श्री मोती लाल देहलवी—

पिछले साल कई सड़कें बनी हैं। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर में एक भी सड़क नहीं बनायी गयी। और यही नहीं मान्यवर, जो पुल बन रहे थे वह लटके हुए हैं जो सड़कें बन रही थी उनका काम रोक दिया गया और मान्यवर, बड़े ही दुख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि इस सरकार के आँकड़े है, कितने ही क्षुद्र काम हुए जो इतने बड़े दल को शोभा नहीं देता। मान्यवर, जिन सड़कों पर मेरे नाम के पत्थर लगे थे जिन पुलों का मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया था ऐसी क्षुद्रता का काम किया है कि उन पत्थरों को निकालकर फेंक दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अगर ऐसी घटनी हुई है मैंने ऐसी बात सुनी कि जहाँ माननीय मोतीलाल जी के नाम के पत्थर लगे थे, अगर वह हट गये ह तो उन्हें फिर से लगा दिया जाएगा।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

हम आदरणीय चाचा जी से चाहेंगे कि अपना प्यार दे दें, पत्थर लग जाएगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

मेरा क्षेत्र सड़कों के मामले में इतना अधिक पिछड़ा हुआ है कि लोग यह नहीं जानते हैं कि आजादी भी कोई चीज है। इन्टीरियर गाँव है वहाँ सड़क नहीं है सरकार चाहे तो सड़क बन सकती है। मेरे क्षेत्र में मकनपुर गाँव है। इंसन नदी वहाँ बहती है। जनता पार्टी के शासनकाल में इंसन नदी पर पुल बनाना स्वीकृत हो गया था। मान्यवर, मकनपुर उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ दरगाहशरीफ है इसको हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग समान रूप से मानते है और मेले के अलावा भी हिन्दू और मुसलमान दोनों वहाँ जाते है। वह एक तरह से तीर्थ स्थान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मैंने जनता पार्टी के शासनकाल में इस पुल को बनाना स्वीकार कर दिया था वित्त मंत्री जी ने भी स्वीकृति दे दी थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे प्रमुख स्थल के लिए जब मेरा प्रश्न आया तो जबाव दिया गया था कि पुल बनाना स्वीकृत नहीं हुआ है और बनाने का सवाल पैदा नहीं होता है। मान्यवर, जब वहाँ मेला लगता है तो वहाँ के लोग टैम्पोरेरी पुल बनाकर खड़ा कर देते हैं कई बार पुल टूटा है इसमें लोगों की जानें जा सकती हैं।

तो मान्यवर, अगर इस ओर इनका रुझान है, वैसे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने विभाग छोड़ दिया है लेकिन मैं संयुक्त दायित्व के नाते अनुरोध करूंगा कि जो मकनपुर में दरगाह शरीफ है आप नाम भी जानते होंगे मैं चाहूंगा कि उस पुल को बना दिया जाए। और जनता पार्टी के शासन काल में अधूरी बनी जो सड़कें हैं कृपा करके उनको बनवा दें। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग विधान सभा से दारुलशफा को जाते हैं उस चौराहे को आप भी देखते होंगे कि क्या हालत है किसी भी समय किसी विधायक की या गैर विधायक व्यक्ति की जान जा सकती है। चौराहे को पार करना बड़ा मुश्किल होता है मैंने कई बार इस सदन में निवेदन किया कि इस पर आप एक ओवर ब्रिज बनवा दें आप तो गाड़ियों में बैठते हैं आपको मालूम नहीं होता है लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी आप पैदल इसको क्रास करें तो आपको मालूम होगा कितना संकट है। ट्रैफिक कन्ट्रोलर जरूर है लेकिन कन्ट्रोल नहीं हो पाता है मैंने कई बार देखा है कई लोगों की जानें जाते-जाते बची हैं अभी आप लखनऊ का जिक्र कर रहे थे, उसका सुन्दरीकरण करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि लोगों की जान बचाने के लिये आप यह एक काम और कर दें। सुन्दरीकरण के नाम पर एक ओवर ब्रिज बना दें ताकि यह खतरा दूर हो जाय। ईश्वर न करे किसी को खतरे का सामना करना पड़े लेकिन खतरा बना हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम यह ओवर ब्रिज अवश्य बनवा दें ताकि आने वाले समय में, भविष्य में कोई घटना न हो।

श्री लोकमणि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हुं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह वर्ष 1984–85 का बजट रखा है, इसका समर्थन करता हूं। हृदय से समर्थन करता हूं। समर्थन के कुछ कारण है, इसलिये समर्थन करता हूं। सन् 1947 तक हमारे देश में जो यातायात के साधन थे, कम थे और सुलभ नहीं थे। उस समय सन् 47 में केवल 15,113 किलोमीटर सड़कें थीं, जबकि 1982 के अन्त तक 64,338 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, 1983 के अन्त तक 66,191 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और 1984 के अन्त तक 67,470 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होने की संभावना है। इस प्रदेश में जहाँ तक सेतुओं, पुलों का प्रश्न है, सन् 1984–85 के बजट में माननीय मंत्री जी ने 107.31 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, इसके रोडों के निर्माण के बारे में। जिसमें 1,085 नव निर्माण, 835 पुनर्निर्माण होने का अनुमान है और 83 पुलों के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, हमारे साथी मा0 विजय सिंह राणा जी ने प्रस्ताव रखा है कटौती का कि सारे बजट की राशि काट कर एक रुपया कर दी जाय, तो यह बात समझ में नहीं आती कि किस हिसाब से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। एक तरफ अभी माननीय देहलवी जी ने सड़कों के निर्माण की बात कही, उन्होंने अपने नाम का पत्थर उखाड़ने की बात कही, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि पत्थर लगवा दिया जायगा, तो मान्यवर, एक रुपये में यह सब कैसे हो सकता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस तरह के अनर्गल प्रस्ताव इस माननीय सदन में गांधी जी के चरणों में बैठ कर भविष्य में न लावें। कोई संवैधानिक प्रस्ताव हों तो जरूर लावें।

माननीय मंत्री जी ने जो कुछ बजट प्रस्ताव रखा है, तथ्यों के आधार पर रखा है। आप भी तथ्यों के आधार पर अपनी क्षेत्रीय समस्याएं, सुझाव दें और उसके लिये प्रस्ताव में धनराशि बढ़ा कर देते तो अच्छा होता। मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य विजय सिंह राणा जी ने एक बात कही थी कि जनता पार्टी के समय ढाई वर्षों में सड़कें बनायी गयीं, लेकिन मान्यवर, कहाँ से बनायीं? जितने खाद्यान्न योजना के भण्डार थे, समाप्त कर दिये, सोने के जो भंडार विदेशी मुद्रा के जो भण्डार थे, समाप्त कर दिये गये।

माननीय राणा जी ने एक बात और कही बजट आवंटन में पक्षपात बरता जाता है। अमेठी और रायबरेली में अधिक धन दिया जाता है और असमानता बरती जाती है, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहूंगा कि कि जिला स्तर पर जो आवंटन होता है, उसमें हम और आप लोग भी बैठते हैं। जिलों में तो समान रूप से दिया जाता है, वहाँ क्यों नहीं असमानता बरती जाती। इसके अतिरिक्त कोई विशेष बात न कह कर मैं अपने क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं। इसके बारे में मैं पिछले 4 वर्षों से कहते-कहते थक गया हूं। मेरा माँट क्षेत्र है जिसको यमुना नदी दो भागों में विभाजित करती है। यह 49 किलोमीटर में यमुना के कछारों में बसा हुआ अविकसित क्षेत्र है। वहाँ पर नौझील कस्बा से 4 किलोमीटर दूर शेरगढ़ कस्बा है। दोनों तरफ से सड़कें बनी हैं, परन्तु यमुना पर पुल न होने के कारण लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और वहाँ पर यात्रा का कोई साधन भी नहीं है, उसके न होने से क्षेत्र का विकास रुका है। आज 35 वर्षों से वहाँ कई माननीय मंत्री जी गये और कई मा0 मुख्य मंत्री गये और सबने वचन दिया कि यहाँ पर पुल बनाया जायगा। किन्तु आज तक वह वचन पूरा नहीं हुआ है।

मेरे क्षेत्र में छाता में एक शुगर मिल लगाई गयी है और इसे लगभग 5–6 वर्ष हो गये हैं। यहाँ पर मेरे क्षेत्र के एक तरफ का तो गन्ना क्रय कर लिया जाता है, परन्तु दूसरी तरफ पुल न होने के कारण वहाँ का गन्ना क्रय नहीं किया जाता है। हमने भारत सरकार से भी कहा और बहुत कोशिश की कि वहाँ पर एक पुल बना दिया जाय, क्योंकि गन्ना किसान अपना गन्ना बेचने से वंचित हो रहे हैं और वे लोग अपना गन्ना इधर नहीं ला सकते हैं। किसान लूट रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के कल्याण के लिए क्षेत्र के बिकास, मेरे क्षेत्र को जोड़ने हेतु आप शेरगढ़ कस्बे पर यमुना नदी के ऊपर पुल बनाने हेतु बजट का सातवीं योजना में समावेश करने की कृपा करें। आभारी हूंगा, अन्त में मा0 मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, पहली बात तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो अपने विभाग का इतना गुण-गान गाया है, उसमें पर्वतीय अंचल में जो सन 1980 से मार्ग स्वीकृत हुए है, उनमें कहाँ पर और किस मार्ग पर एक इंच काम भी हुआ है। 1980 से 1984 तक की स्थिति आप बता दें। यह केवल मेरे ही क्षेत्र की बात नहीं है, अपितु पूरे पर्वतीय अंचल की बात है। इसका एक मुख्य कारण यह था कि केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980। जब से यह अधिनियम लागू हुआ है, तब से न तो सड़कें बन पा रही हैं और न विद्यालयों के लिए भवन ही बन पा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि वहाँ के लिए जो पैसा दिया गया, वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा या फिर उसे लम-सम व्यय कर दिया गया। आपने एक अच्छी बात बतायी कि गाँवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायगा। अभी हमारे एक माननीय सदस्य, मुजफ्फरनगर के बारे में कह रहे थे, वह अपने क्षेत्र मे दो किलोमीटर और डेढ़ किलोमीटर सड़कों के बारे में कह रहे थे। श्रीमन्, हमारे यहाँ आज भी 55–55 किलो मीटर तक लोगों को पैदल जाना पड़ता है। लोगों को नमक 5 रु0 प्रति किलो के हिसाब से खरीदना पड़ता है। आज वहाँ की ऐसी स्थिति है। श्रीमन्, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे यहां जो सड़कें 1980 से पहले स्वीकृत थीं, वे कहीं पर 3 किलोमीटर बनी पड़ी है तो कहीं पर डेढ़ किलोमीटर। जैसे एक अनाड़ी नाई हजामत बनाता है, वैसे ही ये रोडें बनायी गयी हैं। इनका पूरा न बनने का कारण यह है कि जहाँ हमारी नाप भूमि थी, वहाँ तो आपने सड़कें बना दी और जहाँ बेनाप भूमि आयी वहाँ पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने सड़कें नहीं बनायी, फलस्वरूप आज कोई भी सड़क पूरी नहीं है। देवालय इन्टर मीडिएट कालेज के लिए भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाने की स्वीकृति मिल गई थी।

उसी तरह से भिक्यासेन में भी भवन बनाने की स्वीकृति मिल गई थी, वहाँ पर जमीन भी उपलब्ध हो गई थी, किन्तु यह कह दिया गया कि इस साल बजट में कुछ कम पैसा है, लिहाजा वह रुपया वापस कर दिया गया और निर्माण का कार्य नहीं हुआ। इसी तरह 1981 में माननीय श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने भिक्यासैन–विनायक मार्ग का शिलान्यास किया था। आपको ताज्जुब होगा कि पर्वतीय अंचल में खासकर, कुमायूं में, सड़कों का शिलान्यास का जो पत्थर लगा है, वे सभी माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नाम से लगे हुए हैं। और आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे पत्थर लगे जरूर मिलेंगे शिलान्यास की बाबत, लेकिन वहाँ निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो यह जो भिक्यासेन-विनायक मोटर मार्ग के पुल की बात है, उस पुल के न बनने की वजह से वहाँ पर गाँव के लोग उस सड़क का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। छब्बीस-छब्बीस, सत्ताइस-सत्ताइस किलोमीटर तक लोगों को अपने राशन पानी का प्रबन्ध करने के लिये जाना पड़ता है, चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है।

मान्यवर, कई बार मैंने इसकी बाबत कहा भी और लिख कर के भी दिया, जितने भी वहाँ से संबंधित अधीक्षण अभियन्ता है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनको मिला भी। वह भी कहते हैं, जैसे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम जल्दी ही इस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी ही यह काम हो जायेगा, वैसे ही आपने उन लोगों को भी नेता बना दिया है, वह लोग भी आपकी तरह वचन दे देते हैं आप साहब चिन्ता मत कीजिये, एम0एल0ए0 साहब आप फिकर मत कीजियें, हम इसको जल्दी ही बनवा देंगे। तीन वर्ष से लगातार यह शब्द कहते जा रहे हैं और यह पुल जो भिक्यासेन-विनायक रोड मार्ग पर, यह अभी तक नहीं बन पा रहा है तो, क्या माननीय मंत्री जी हम यह विश्वास कर सकते हैं कि जो पुल आप इतने वर्षों से नहीं बना पा रहे हैं, उसको आप इन गर्मियों तक बनाकर तैयार करवा देंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपका यह सिद्धान्त है, रेडियो में भी आया और अखबारों में भी जो बात आप करते हैं वह रेडियो और अखबारों में आ जाती है। उसमें आप कहते हैं कि बड़े बड़े गाँवों को सड़क से जोड़ देंगे।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय अंचल में जो गाँव होते हैं, वह 25–30 या 50 मवासों के गाँव को बड़ा गाँव माना जाता है, तो पर्वतीय अंचल के लिये कोई ऐसी नीति बनायेंगे जिससे वहाँ के इस तरह के बड़े गाँव सड़कों से जुड़ जायं। इसके अलावा जो आपका वन संरक्षण अधिनियम, 1980 है, उससे सारे निर्माण कार्य रुके हुए है उसमें आप क्या परिवर्तन करना चाहते है, जिससे कि हमको और हमारी ग्रामीण जनता को सड़कों का लाभ मिल सके। मैं इसमें चाहूंगा कि जब आप बाद में बोलेंगे, तो इस पर आप अपने विचारों को जरूर रखें। जो यह वन संरक्षण अधिनियम लागू है, मान्यवर इससे सारे वहाँ के निर्माण कार्य बंद हैं। तो, आप बतायेंगे कि आप उसमें किस तरीके से सुधार करके उन सड़कों का निर्माण करायेंगे और उन निर्माण कार्यों को पूरा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट, जो डाक्टर अम्मार रिजवी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझे माननीय राना जी के कटौती के प्रस्ताव के भाषण को सुनकर कुछ ऐसा लगता है कि उनके ऊपर आबकारी का कुछ इतना अधिक असर है कि उन्हें आबकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिखायी पड़ा।

श्री अधिष्ठाता—

कल नीलामी भी हुई है, उसका भी असर है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मुझे एक बात याद आयी, माननीय राना जी को देखकर कि—

"यह आज पी हो, तो हराम मय पी हो, यह कल की पी हुई, महका खुमार बाकी है।"

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा—

थोड़ी सी पी है, डाका तो नहीं डाला है, चोरी तो नहीं की है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, नौटियाल साहब और राना साहब ने, लगता है, दोनों ने साथ पी है। लेकिन, मान्यवर इसका असर कुछ राना जी के कटौती प्रस्ताव के भाषण के समय दिखाई पड़ा। इसके बाद मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि राना जी को एक बहुत ही गलतफहमी हो गयी है, कि सड़कों का निर्माण जनता पार्टी के काल में बहुत कर दिया था, उसकी बाबत बहुत लम्बें चौड़े आँकड़े प्रस्तुत किये। मान्यवर, यदि उन आँकड़ों में सच्चाई होती, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता उनको 1980 में, जिस मिट्टी को माननीय देहलवी साहब ने फिकवाया बताया और उसकी बाबत बात कही, तो उसके नीचे जनता पार्टी को जनता दफन न कर देती यह तो अच्छा हुआ कि उसके ऊपर ईट नहीं पड़ी, वरना यह उसमें सभी मजबूती से दफन हो जाते और शायद माननीय मोती लाल जी भी उसके बाहर न निकल पाते। मान्यवर, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने 2–3 बातों की तरफ इशारा किया कि पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, लगता है, इन पर भी असर आ रहा है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इनके भाषण से यह अंदाजा लगा सकते थे कि इनके ऊपर सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट की कटौती के लिये दिये गये भाषण पर आबकारी का प्रभाव रहा हो या हो सकता है कि आबकारी के प्रभाव से ज्यादा असर आगरे में जन्म लेने का प्रभाव ज्यादा रहे। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, इसके बाद कहना चाहूंगा कि शासन की ओर से 2–3 बिन्दुओं की ओर विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ने जोर दिया। पहले तो यह जोर दिया कि माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी और काँग्रेस पार्टी का संकल्प है कि 15 सौ आबादी के जो भी गाँव हैं, उनको पक्की सड़कों से जोड़ा जाय। जो प्रशंसनीय संकल्प है। एक हजार की आबादी से जो कम हैं, उनको द्वितीय प्राथमिकता पर लिया जायगा। इसके लिये चिन्ता अगर राना जी को है तो मैं उसमें शरीक होना चाहता हूं, लेकिन अगर उनको चिन्ता इस बात की है कि हर बात में छिद्रान्वेषण करें, शासन की अच्छी बात को भी वैसे देखते हों जैसे कमल रोग (पीलिया रोग) से पीड़ित आँख वाले को हर चीजी पीली दिखायी पड़ती है, इनको शासन की बुराइयाँ ही दिखायी पड़ रहीं हों तो मैं चाहता हूं कि इनका कोई इलाज हो जाय। एक बात कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने जिक्र किया है इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का। शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह योजना करीब दो वर्षों से है, लेकिन इस योजना पर कहीं कोई अमली जामा नहीं दिखायी पड़ रहा है। मैं नहीं जानता कि कि जहाँ कोई बच्चा 9 महीने में पैदा हो जाता है, लेकिन आपकी इस योजना का स्वरूप कब पैदा होगा, जल्दी स्वरूप देखना चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी—

कुछ जीव जन्तु ऐसे भी होते हैं, जिनको दो साल भी लगते हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं नहीं कह सकता कि अगर माननीय मंत्री जी का कन्सेप्ट ऐसा है तो।

श्री अम्मार रिजवी—

यह "कन्सेप्ट" की बात कह रहे हैं और उधर कन्सेप्शन हो रहा है।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

रोड और बिल्डिग, इनके कार्य संचालन को जो शासन ने अलग अलग किया है, यह बधाई और प्रशंसा का विषय है। लेकिन इन्जीनियर्स लोग बिल्डिग में जाने से कतरा रहे हैं। सब चाहते है कि रोड पर रह जाय।

क्या रोड में कोई खास बात है, इस पर शासन को ध्यान देना चाहिये। पी0 डब्लू0 डी0 के कुछ लोग है, उनमें से कुछ की छवि उभर रही है लेकिन कुछ की नीचे भी गिर रही है।

श्री अधिष्ठाता—

केवल एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अब मैं अधिक कुछ न कह कर अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हंडिया तहसील से जोड़ने के लिये सिरसा के सामने गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाय, जिसकी कि वहाँ पर अत्यन्त आवश्यकता है। इसके अलावा दो सड़कें ऐसी हैं जो दो जिलों को जोड़ती है। एक तो भीटी–रामनगर तथा दूसरी माधोपुर से धनुपुर। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पी0 डब्लू0 डी0 की 2–3 सड़कों पर काम चल रहा था लेकिन उसकी प्रगति बहुत धीमी है और काम अधूरा है। उन सड़कों के नाम हैं—कटहरा–दमगढ़ा मार्ग, लाला की बाजार असढ़िया और बरौत-बिठौली। इसमें से बरौत-बिठौली पर अभी काम बाकी है, उसे पूरा करा दिया जाय। सिरसा पटैला मार्ग पर दो वर्ष पहले पत्थर डाल दिया गया था। अपनी पद-यात्रा के दौरान जब मैं वहाँ गया तब लोगों ने कहा कि या तो पत्थर को ठीक करवा दीजिये या पी0 डब्लू0 डी0 वालों से कहिए कि वे इसको हटा लें ताकि आने जाने में कठिनाई न हो। आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो प्रायरिटी सेक्टर के लिए रोड्स का प्राविधान है, उसमें मा0 मंत्री जी ने जो "चाहिये" शब्द का इस्तेमाल किया है, तो शासन को चाहिये कि दृढ़ता से सड़कों को प्रायरिटी सेक्टर में लाने का आश्वासन दे दें। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा गौरी शंकर भैय्या का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

ये गौरी भैय्या है या गौरी देवी ?

श्री गौरी शंकर भैय्या—

यहाँ पर तीन गौरी हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

ये गौरी देवी के गौरी भैय्या हैं।

(हंसी)

*श्री गौरीशंकर भैय्या—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये मौका दिया। अधिष्ठाता महोदय, माननीय भू0 पू0 सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बोल रहे थे तो लग रहा था कि हमला कर रहे थे। अन्त में हमला करते-करते इतने पस्त हो गये तो कहा कि हमारे क्षेत्र में जितनी सड़कें है तमाम की तमाम खड़ी हैं, यानी कि बन नहीं रही है, खड़ी हैं। कहा कि सब पर पत्थर लगाये गये हैं। मेरा कहना है कि उन पत्थरों पर एक तरफ आप श्रीमती इन्दिरा गाँधी का और एक तरफ अपना नाम लिखवा दीजिये सड़कों पर तथा अपने क्षेत्र के अन्दर।

इसके बाद मैं दो तीन सुझाव देकर अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मेरा एक सुझाव यह है कि जब संसदीय कार्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे तब भी मैंने यह सुझाव दिया था जो सार्वजनिक निर्माण की कमेटी थी उसमें कि मकान में रहने वाले और सड़क पर रहने वाले दोनों के बारे में आप तत्काल कोई फैसला ले लीजिये ये सड़क पर रहेंगे और ये मकान में रहेंगे। जब तक आप इसे लटकाये रहेंगे तो अनावश्यक दबाव बना रहेगा। आप एक झटके के साथ सूची बना कर तैयार कीजिये कि ये सड़क पर रहेंगे और ये मकान में रहेंगे।

जो बाँध बने हैं, प्रदेश में ऐसे बहुत से बाँध हैं जो कि गाँव से सम्पर्क करते हुए जाते हैं। आप ऐसे बाँधों का सर्वेक्षण कराइये जो कि अधिक से अधिक गाँवों से होकर जा रहे हैं। ऐसे बाँधों के ऊपर सड़क बनाने का कार्य शासन को करना चाहिये।

इसी तरह से जो बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी नहरें है जो गाँव के पास से होकर निकलती हैं, जहाँ जमीन न लेने की बात है या नीची करने की बात है तो पटरियों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीलिंग हुई है। प्रत्येक नहर जो कि अधिक से अधिक गाँव से होकर गुजर रही है तथा कथित इन्दिरा गाँधी के गाँव में किसानों की प्रमुखता है, तो पटरियों को नीचा करने का काम जो आप करते है तो अपने टारगेट की दिशा मे दो चार कदम उठा सकते हैं।

मैं जनता शासन काल की और कांग्रेस शासनकाल की बात में न जाकर बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो जिला सेक्टर को पैसा दिया है, आप जिला सेक्टर की जितनी खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बनी थीं उसे आपने किसी स्कीम के अन्तर्गत नहीं लिया है। डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में सार्वजनिक निर्माण विभाग से कितनी सड़कें बनाई गयीं उसका एक निश्चित भाग नई सड़कें न बनाकर उनकी ही रिबार्डरिंग करने के बाद दूसरे काम करेंगें या दूसरी सड़कों का निर्माण आप करेंगे।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई इंजीनियर होता तो मुझे शिकायत न होती परन्तु मुझे संसदीय कार्य मन्त्री जी से शिकायत है और कुछ कहना है। मन्त्री जी जरा मेरी बात को आप सुनने का कष्ट करें।

(श्रीमती किशोरी शुक्ला के संसदीय कार्य मन्त्री के बगल में बैठने तथा एक सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि किसके पास कौन बठ गया, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हर एक को आजादी है जो जहां चाहे बैठ सकता है।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, रोज-रोज साथ बदलने पर एतराज है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य के कथानुसार संविधान में फ्रीडम आफ एसोसिएशन है।

श्री मोहन सिंह--

लोकपति जी के दिल पर क्या गुजर रही है, यह मैं समझ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गौरी शंकर भैय्या, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

सब को 10 मिनट दिया है, हमें 5 मिनट ही दे दीजिए।

माननीय मन्त्री जी आप मेरी बात को सुन लें, मान्यवर, बलिया जनपद के अन्दर उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाने वाली सड़क पर माँझी नदी पर पुल बनाने की बात चल रही थी। चन्द्र शेखर जी वहाँ पर गए और भारत सरकार के मन्त्री भी गए थे, उसका शिलान्यास भी किया था, परन्तु वह पुल आज तक नहीं बना है। उस पर एक ईंट में नहीं लगी है। आपने भी कहा था कि इस पुल का निर्माण हो जायगा, लेकिन अभी तक एक ईंट में नहीं रखी गयी है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ नरही स्वास्थ्य केन्द्र है। स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पैसा ट्रांसफर कर दिया है, ईंटा खरीद लिया गया है और इस पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है, उस पैसे से पंखा खरीद लिया गया है, चटाई खरीद ली गयी है, कालीन खरीद ली गयी है, परन्तु उसकी नींव नहीं खोदी गयी है।

मान्यवर, गाजीपुर बलिया एकीकृत ग्राम विकास एजेंसी के द्वारा भरौली से टुटुवारी मार्ग बनाया जा रहा है, इसको बनाने के लिए पैसा है, जमीन एक्वायर करली गयी है, परन्तु गाजीपुर बलिया एकीकृत योजना ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पैसा देना बन्द कर दिया है, जिससे काम रुक गया है। अगर यह मार्ग बन जाय तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है। इसी प्रकार से फैकना से बक्सर जो सड़क जाती है उस पर गंगा नदी का पानी चढ़ आता है, सड़क डूब जाती है, लगभग 35 किलोमीटर सड़क पानी में डूब जाती है। दो-दो फीट पानी इस पर आ जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सड़क को ऊंचा किया जाय, जिससे सड़क जो गंगा की धारा में बह जाती है, उस सड़क को बहने से बचाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का विरोध करता हूं।

श्री मीर मजहर अली--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पी0डब्लू0 डी0 के बजट पर अपना विचार

प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं, इस बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, पश्चिमी जिलों में हमारा जिला बदायूं बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। जहाँ पर आने-जाने के साधन बहुत ही सीमित हैं और बदायूं जिले में हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के अन्दर एक अहम चीज यह है कि गंगा और महावा नदी के बीच में जो 50–60 गाँव हैं उनके आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरा सुझाव है कि महावा नदी पर एक पुल बना दिया जाय तो फतेहपुर पहुंचने के लिए लगभग 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जायगी। जब तक यहाँ पर पुल नहीं बन जाता है तब तक के लिए नावें या पैन्टून ब्रिज की ही व्यवस्था करा दी जाय।

मान्यवर, एक सड़क डहगवाँ से नदायल होते हुए भवानीपुर को बन रही है। उस पर काम बन्द है, इसका काम शुरू कराया जाय। इसी प्रकार से सहसवान से विसौली और सहसवान से नाधा मार्ग पर जो काम हो रहा है वह बहुत सुस्त है, उस पर तेजी लाई जानी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस काम को तेजी से करायें।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

दूसरी एक सड़क बिलसी कछला मार्ग से अहमदनगर असौली, मुर्जापुर सोरा होते हुए छगनपुर तक बनाई जाय जिससे तमाम जो गाँव रास्ते में पड़ते हैं उनके लिए वह सुविधाजनक हो सके। यह हमारी माँग है। मैं आपके माध्यम से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार की नीति है कि हर 15 सौ की आबादी वाले गाँव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जायगा। मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से गाँव हैं जिनकी आबादी 5 हजार से 7 हजार तक की है और वहाँ पर अभी तक कोई सड़क नहीं बनी है और उसके बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष नहीं है। मैंने कई बार इसके बारे में माननीय मन्त्री जी को लिखकर भी दिया है और वहाँ पर भी मैंने पी0डब्लू0डी0 के अहलकारों से इसके मुताल्लिक बात की है और उनको भी लिख कर दिया है। इसलिए आपके माध्यम से जो माँगें मैंने रखी हैं, उनको पूरा करें।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। किसी गाँव का, क्षेत्र का या प्रदेश का विकास इस सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में मार्ग नहीं होंगे तो उनके विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। अगर कोई गाँव सड़क से जुड़ा हुआ है तो निश्चय ही वहाँ की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी होगी लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश के अधिकतर गाँव अभी तक जुड़ नही पाए हैं। उनको जोड़ना हमारा सब से पहला कर्त्तव्य होना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो अधिकारी लोग लगे हुए हैं उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं है। उनका कार्य कागज पर ही अधिक है। मौके पर बहुत कम काम पाया जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह चाहूंगा कि वे अपने विभाग में लगे हुए इंजीनियरों और अधिकारियों के कार्य का परीक्षण करें और कागज पर जो है उसे धरती पर लाने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं आपका ध्यान अपने यहाँ की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि मऊ आयमा से घीनपुर मार्ग सैकड़ों साल पुराना है। जिला परिषद उसका निर्माण करता है। वह कट-फट गया है। इसके अलावा वहाँ पर कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे लोगों को आने-जाने की सुविधा मिल सके। मैं चाहूंगा कि इस मार्ग को तुरन्त किसी भी तरह से बना दिया जाय जिससे वहाँ के पचासों गाँव के लोगों को आने-जाने का रास्ता सुलभ हो सके।

इसके अतिरिक्त करवई से कमलानगर जाने के लिए एक सड़क है जोकि जिला परिषद् की है। इसकी मरम्मत नहीं हो पाती है। बरसात में यह मार्ग कट-फट जाता है और रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके निर्माण कार्य एवं रख-रखाव के लिए आप वरीयता दें। विकास खण्ड बहरिया में जोकि इलाहाबाद

के सुदूर उत्तर और प्रतापगढ़ बार्डर पर है, यह विकास खंड मार्ग से शून्य है। इसमें कोई मार्ग नहीं है। अतः मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी यहां पर मार्ग बनाने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य अन्य सभी विभागों, जोकि हमारे इंजीनियरिंग विभाग हैं, से सर्वोत्तम है। यह बात बड़े स्पष्ट रूप से सर्वविदित है कि जब कभी जिले की किसी इकाई से कोई योजना बनकर आती है तो उसमें बड़ी जोरदार माँग जन-प्रतिनिधियों द्वारा यह आती है कि इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाय। इससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस विभाग का कार्य सर्वोत्तम है। यह देखने में आता है कि अन्य विभागों की अपेक्षा इस विभाग का कार्य अत्यन्त ठोस, सुन्दर और स्वच्छ होता है।

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जैसा राना साहब ने कहा कि जनता राज्य में बहुत सी सड़कों का काम हुआ लेकिन वह सड़कें हर बरसात से पहले बनती थीं और बरसात आते-आते बह जाती थीं तो आज उन सड़कों को भी पक्का करने की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि जो उस रिजीम में सड़कों का काम हुआ वह पैसे का दुरुपयोग हुआ उससे कोई लाभ नहीं हुआ।

माननीय मन्त्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जो आप कन्स्ट्रक्शन डिवीजन है उसके साथ-साथ जो मैकेनिकल डिवीजन है उसके बारे में मुझे बताया गया है कि उसका अलग सेक्शन हो रहा है। हमारे बनारस जनपद में ज्ञानपुर मे जो मेकेनिकल कर्मचारी थे पता चला है उनको अब जिला मुख्यालय पर लाया जा रहा है। तो इससे जो कार्य वहाँ पर हो रहे थे उसमें बाधा आयगी। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि अगर किसी वजह से यह मुख्यालय पर किया जा रहा है तो इस मैकेनिकल डिवीजन को ज्ञानपुर में ही रखा जाय।

आप जानते हैं कि तहसील ज्ञानपुर कालीन व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है वहाँ देश-विदेश से बड़े-बड़े व्यापारी आते हैं, लेकिन सड़कों के अभाव में जो छोट-छोटे बुनकर हैं जो गाँव में रहते हैं उन तक वह लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जिससे हमारा जो उद्देश्य है कालीन व्यवसाय को गाँवों तक पहुंचाने का वह पूरा नहीं हो पाता है उसके लिए सड़कों का होना जरूरी है। अतः इस तहसील में इस पर विशेष ध्यान दिया जाय और सड़कों के निर्माण में प्रायोरिटी दी जाय।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा हमारे यहाँ एक मुख्य सड़क जिस पर लगभग डेढ़ दो लाख लोगों का आवागमन रहता है जो 19 कि0मी0 है, चौराकलाँ से ज्ञानपुर तक इस के लिए कई वर्षों से माँग कर रहे हैं जो जिला सेक्टर में आने लायक नहीं है उसे प्रदेश के बजट में लिया जाय। यह सड़क पूरी तहसील को, पूरब से पश्चिम को जोड़ती है, बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री देवेन्द्र पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर) दो उधर से एक साथ ले लेंगे।

*श्री देवेन्द्र पाण्डेय

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से वर्तमान सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, आदरणीय विद्याभूषण जी, जोकि इस समय गहन हृदयरोग कक्ष में भर्ती हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके बाद मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपने सुझाव रखना चाहता हूं। आज बहुत बड़ी समस्या इस बात की है, विधायकों और आम लोगों में भी कि सड़कों के निर्माण के लिए कोई निश्चित विभाग नहीं है। कभी जब कोई पता लगाता है किसी सड़क के बारे में, तो पता चलता है कि यह सड़क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला परिषद् बनाएगी और कभी कहा जाता है कि यह सड़क आर0इ0एस0 में बनेगी और कभी कहा जाता है कि पी0 डब्लू0डी0 बनायेगा। तो आज इस अवसर पर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक ऐसा विभाग हो जिसे सड़क निर्माण विभाग नाम दिया जाय और उसी के द्वारा सड़कों का निर्माण हो और सड़कों का सारा पैसा उस विभाग के बजट में रखा जाय। उसमें से 60 परसेंट पैसा प्राथमिकता के आधार पर गाँव की सड़कों के लिए हो और बाकी 40 परसेंट शहरों की सड़कों और उनकी मेन्टीनेंस के लिए हो।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से जिन्होंने यह बजट पेश किया है, डा0 रिजवी साहब से, उनको याद होगा हमारे यहाँ जयसिंहपुर बिधान सभा क्षेत्र में गोमती नदी में एक पुल पिछले 40 वर्षों से विचाराधीन चला आ रहा है, दीयाराघाट में। उस क्षेत्र की जनता ने लगभग 2 साल पहले ही उस पुल का नामकरण स्व0 फिरोज गाँधी के नाम पर करने की बात की है

मैं मा0 डाक्टर रिजवी साहब से अनुरोध करूंगा कि वह सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी के स्वस्थ होते ही उन तक यह जानकारी पहुंचा दें कि स्वर्गीय फिरोज गाँधी पुल का निर्माण 84 में शुरू हो जाय। इसी प्रकार से स्वर्गीय फिरोज गाँधी के नाम पर भरतीपुर से जयसिंह पुर तक का 14 किलोमीटर तक का मार्ग निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन्हीं बातों को कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आपका ही बहुत आभारी हूं कि माननीय अधिष्ठाता महोदय ने मुझे समय दिया और आशा करता हूं कि क्षेत्र विकास के लिए बातें की जायेंगी।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विजय सिंह राना जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पर मुझे बोलने का समय दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग जितना बजट प्रयोग करता है, उसमें से निश्चित ही एक काफी बड़ा भाग कमीशन में चला जाता है। एस0ई0 को दो परसेंट, ई0ई0 को 4 परसेंट, कमीशन मिलता है और इसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर लेते हैं, 10-12 परसेंट। तो इनका 16 परसेंट तक तो बजट का कमीशन में चला जाता है। 100 रुपए में 16 रुपये कमीशन में चला जाता है। इसलिए यह कितनी सड़कें जोड़ेंगे इसमें बहुत बड़ा शक है।

(व्यवधान)

गौरी भैय्या कह रहे हैं यह कमीशन 16 परसेंट से बढ़कर 20 परसेंट तक पहुंच गया है। उनकी यह बात ठीक है, जबकि अब रुपये का मूल्य ही 20 पैसा रह गया है। ऐसी स्थिति में विभाग के कार्यों की स्थिति बहुत खराब है। विभाग में जितना काम होता है मिट्टी, पत्थर और बोल्डर्स का, सब जगह ठेकेदारी चलती है और मूल्य सूचकांक के आधार पर काम नहीं होता है। टेंडर में भी बड़ी धांधली होती है। न्यूनतम टेंण्डर आने पर भी टेंण्डरदाता को कार्य नहीं दिया जाता है। उसके बाद भी उसमें तरह-तरह की परेशानियाँ पैदा की जाती हैं। इंजीनियर्स लोग तरह-तरह का भ्रष्टाचार करते हैं।

मैं यह जरूर कहूंगा कि जितनी सिंचाई विभाग में नहरें और बंधे हैं, उनके किनारे यदि आप सड़कें पक्की कर दें तो यह अच्छी बात होगी। हमारा जिला मिर्जापुर 57 जिलों में एक बहुत बड़ा जिला है और इस जिले में मुख्य मन्त्री के क्रैशर प्लान्ट भी लगे हैं। वहाँ पर गिट्टी की कोई कमी नहीं है, इससे सड़कें बनाने की बहुत सुविधा है और वह किफायती भी है, लेकिन फिर भी मिर्जापुर जिले में गाँवों को सड़कों से जोड़ने का जो काम होना चाहिए, वह नहीं किया गया है। वहाँ पर सड़कों का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। जहाँ बाढ़ है, जो बाढ़ एरिया है वहाँ तो सड़कें हद से ज्यादा खराब हो गयी हैं, वहाँ पर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। वहाँ का आर0सी0सी0 ब्रिज भी टूट गया है, सड़कें टूट गयी हैं उनको बनाने का आप

काम करें । वहाँ राजगढ़ से लेकर चुनार तक वाया गांगपुर की सड़क की बहुत ही दुर्दशा है, उसे आप शीघ्र से शीघ्र ठीक कराने का कार्य करें। राना जी ने आगरा पुल के बारे में कहा है, 65 में जो बनाथा। अब टूट गया है, उसको बनाया जाय रामनगर में जी0टी0 रोड पर पुल का सन् 74 में प्रधान मन्त्री ने शिलान्यास किया था और कमलापति त्रिपाठी, जो हमारे स्वास्थ्य मन्त्री के पिता जी है, वह भी वहाँ पधारे थे, वह भी महत्वपूर्ण पुल निर्माण का कार्य षष्टम पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ। इसको मूल रूप में मूल्य सूचकांक पर काम कराने की छूट हो और कमीशन के मामले में न पड़े, और सड़कों को गाँव-गाँव से जोड़ें तो यह बहुत अच्छी बात होगी ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो मुझे समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि सभी क्षेत्रों में इस बजट के द्वारा सड़कें दी गयी हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी योजना, कोई भी धन सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिला सेक्टर में नहीं गया है। इसकी व्यवस्था की जाय। इसकी व्यवस्था न होन से पर्वतीय क्षेत्र में प्रगति इस विभाग की बिल्कुल शून्य रही है। वन संरक्षण विभाग के कारण भूमि नहीं उपलब्ध हो पाती है। उसका कारण यह है कि जो फार-मेलीटीज इस विभाग द्वारा पूरी होनी चाहिए वह नहीं होती हैं और उसके कारण वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलती है और फिर आगे सड़कें बनने का काम रुक जाता है। हमारे यहाँ करीब 28 सड़कें इसी कारण से अधूरी पड़ी हैं। उनका काम अवरुद्ध हो गया है। किसी-किसी सड़क पर थोड़ा काम हुआ है, किसी पर बिलकुल नहीं हुआ है।

हमारे यहाँ पैदल पुलों की बहुत आवश्यकता है। बहुत से झूला पुल बेकार हो गए हैं। मेरा सुझाव है कि आप वहाँ के चीफ इंजीनियर को यह अधिकार दे दें कि वे आवश्यकतानुसार पैदल पुलों का निर्माण करा ले।

भवन निर्माण के कार्य में भी हमारे यहाँ बहुत विलम्ब हो रहा है। इसका कारण यह है कि आपका आर्किटेक्ट लखनऊ में बैठा हुआ है। अगर आप एक जोनल आफिस उसका पर्वतीय क्षेत्र में बना दें और एक आर्किटेक्ट को वहाँ बैठा दें तो वहाँ पर काफी काम हो सकता है। कुछ सड़कें पी0डब्लू0डी0 द्वारा तैयार हैं, पर कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं। जिनके कारण बसें नहीं चल पा रही हैं। उनको दूर किया जाय और सड़क को यातायात के लिए खुलवा दिया जाय।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय राणा साहब एक तरफ से तो कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी माँग कर रहे हैं कि अनेकों सड़कों का निर्माण कराया जाये .....

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया दो ही मिनट पर अपनी बात समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मेरे भाषण के बाद मान्यवर, दो-दो मिनट रखें।

मान्यवर,

"नाखून से बनाते हैं चट्टानों में कुवाँ,
और उम्मीद यह करते हैं कि पानी निकले।"

तो एक तरफ कटौती का प्रस्ताव पेश करना, दूसरी तरफ यह उम्मीद करना कि सड़कें बनें, दोनों में कितना विरोधाभास है।

इस बजट के 13वें पृष्ठ पर इटावा जनपद और जालौन को जोड़ने वाले कुछ मार्गों को बनाने का उल्लेख है उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। औरेया और जालौन के बीच यमुना नदी पर पक्का पुल बनाने की जो स्कीम है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अनुपूरक माँगों के पृष्ठ 235 पर अटसू-अछल्दा मार्ग पर पक्के पुल के बनाने की घोषणा की है उसके लिए भी मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उसी के साथ-साथ यह भी निवेदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं कि हमारे इटावा जिले की जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की प्रबन्ध समिति ने अपनी बैठक में, दिनाँक 25-10-83 को, जिन कच्ची सड़कों को पक्का कराने की सिफारिश की उनको भी शीघ्र पक्का कराया जाय। वे सड़कें इस प्रकार है—

1—सिकरौड़ी से गढ़ा की सदा . . . 3 कि0मी0

2—अटसू-बिरहूनी . . 5 कि0मी0

3—गढ़ा का सदा से पथरी . . 6 किमी0

4—मदसान से साफर . . . 3 कि0मी0

5—फफूंद चौरेला मार्ग के समापन बिन्दु से चौरेला ग्राम . . . 2 कि0मी0

6—फफूंद चौरेला मार्ग से बंशरी—4 कि0मी0

7—राष्ट्रीय मार्ग (पूर्वी कुंवा) से बड़ेरा ग्राम तक अवशेष भाग . . . 7 कि0मी0

8—अटसू-अछल्दा मार्ग का अवशेष भाग . . . 2 कि0मी0

9—अनेठा से कचहरी . . . 8किमी0

10—राष्ट्रीय मार्ग (फूटा कुआँ) से साँफर।

इसके अलावा मान्यवर, कुछ स्टेट लेविल की सड़कें हैं जिनकी योजना नं0 4 और 5 में स्वीकृत है।

मान्यवर, अटसू-अहेरीपुर, अटसू-निवाड़ी कलाँ, भीखेपुर-जुआ, भीखेपुर-जहीरवा, अयाना बीझलपुर, यह योजना नम्बर 4-5 सूखा के अन्तर्गत विगत वर्ष मिलीं थीं तो इन सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इन सड़कों के बनवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मान्यवर, इसके अतिरिक्त स्टेट सेक्टर की एस0 एण्ड डी0 की सड़कें जैसे अटसू-अछल्दा, चक्करनगर-भरेह, फूंफ-चौरेला यह जो सड़कें हैं इन सड़कों के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है जिसको और तेज किया जाना चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से मुरादगंज-फफूंद मार्ग पर जो पक्का पुल का बनना अत्यन्त आवश्यक है और फफूंद-चौरेला के 16 वें कि0मी0 से 36 कि0मी0 माडर्नाईजेशन का मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर द्रुतगति से कार्य करायें ताकि शासन की छवि बने।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक बाबरपुर-सिकरौड़ी मार्ग पर पान्टून पुल बनवाया जाय। इसी तरह से भीखेपुर-जहीखा मार्ग पर पान्टून पुल बनवाया जाय। भीखूपुर जूहीखामार्ग का आधुनिकीकरण कराया जाय तथा राष्ट्रीय मार्ग-फूंटा कुआँ से बड़ेरा तक बनाया जाय। अमावता से फूलपुर तक नहर की पटरी को पक्का किया जाय तथा अटसू विरुहनी मार्ग को पक्का बनाया जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त अजीतमल में जो 30 बेड का हास्पिटल बन रहा है उसका कार्य तेजी से नहीं चल रहा है। मेरी प्रार्थना है कि गतिरोध को दूर करके शीघ्रातिशीघ्र 30 बेड्स के अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ के अन्दर यह पैमाना सुनिश्चित कर लें कि एक व्यक्ति को मोटर पकड़ने के लिये ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जाना पड़ेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जनसंख्या का जो आधार रखते हैं यह पहाड़ के लिये उचित नहीं है। लोकपति जी हमें बतायें, क्या हम वहाँ पर फैमिली प्लानिंग बंद करें, अगर गाँव की जनसंख्या बढ़ानी है तो वैसा कहें। जो छोटे-छोटे गाँव हैं वहाँ तक आपको सड़क ले जानी पड़ेगी। लिहाजा 5 कि0 मी0 का अगर कोई फासला पहाड़ के अन्दर है तो उसको पाटने की सरकार जिम्मेदारी लें। श्रीमन्, इस विभाग के अन्दर अभी सामंतवाद हाड़ और माँस में बाकायदा जीवित है। आज भी मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने अपनी पीठ थपथपाई ब्रिज कारपोरेशन के बारे में, ब्रिज कारपोरेशन ने विदेशों में बहुत काम किया है लेकिन मान्यवर, यह ब्रिज कारपोरेशन जो विदेशों में काम करता है उसका परा फायदा खा जाता है।

मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। ईराक में जो मजदूर काम करते हैं उन से कहा जाता है कि 80 प्रतिशत पैसा तुमको घर पर देंगे। दो साल बाद जब मजदूर यहाँ लौटता है तो उसके पत्र का जबाव ही नहीं दिया जाता है। मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूं। मेरे पत्र का जबाव नहीं मिलता। अगर मिलता है कि तो भाषा ऐसी होती है जैसे कोई नोटिस हो। आप तो संसदीय कार्य मंत्री भी है आप इनके अधिकारियों को बता दें कि विधायकों को पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र का उत्तर ऐसा आता है कि उसमें ऊपर नाम होगा और नीचे अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर होंगे। न महोदय और न भवदीय कोई चीज उसमें नहीं होती। लिहाजा उनको पत्र लिखना सिखा दीजिये। मेरा निवेदन है कि अगर मोटर रोड नहीं तो पैदल मार्गो को ठीक करें। हमारे यहाँ पैदल मार्गो की स्थिति बहुत खराब है वह ठीक तरह से बन नहीं पा रहे हैं। उनको ठीक करवाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

मान्यवर, आपने जो मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण भारतवर्ष के क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत है। इस प्रदेश में सड़कों के विकास में सार्वजनिक निर्माण विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय राना जी ने जो कटौती के प्रस्ताव को रखा है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इसको वापस ले लें क्योंकि इस प्रदेश में सड़कों के विकास में सार्वजनिक निर्माण विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने 82 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए प्राथमिकता दी है और ब्लाक, पुलिस स्टेशन तथा रेलवे स्टेशन मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी है। इन सबके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के बारें में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग बूढ़ी गंगा और गंगा के बीच में आता है।

मान्यवर, मेरे यहाँ बूढ़ी गंगा और गंगा के 80 प्रतिशत क्षेत्र तहसील के किसी भी मुख्यालय से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र में विकास कार्य को प्राथमिकता के तौर पर किया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक काली नदी पर ओम घाट का पुल जो 83-84 में सैंक्शन हो गया है, इसी नदी पर मेरे क्षेत्र में मोहर घाट के पुल का करीब-करीब निर्माण कराया जा चुका है, उसका सम्पूर्ण कार्य पूरा हो चुका है, मैं अनुरोध करूंगा कि स्वीकृत काली नदी पर ओम घाट के पुल के निर्माण के निर्देश, सेतु निर्माण विभाग को दे दिया जाय जिससे कार्य शीघ्र हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने पिछले 3-4 भाषणों में सदन में यह कहा था कि जो कुछ भी यहाँ कहा जाता है, उसका तात्पर्य क्या है? लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ हम लोग कहतें है, उसका कोई महत्व नहीं है, केवल कागज में है, अधिकारी और मंत्री देखते हैं, होता कुछ नहीं है, इसलिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। जो कुछ कहा जाय, उस पर कार्यवाही होनी चाहिये, जिससे इसका महत्व बढ़ सके। मैं यह कह रहा हूं कि मान्यवर, ये कुछ करने वाले नहीं है, इनके साथ में कोई शक्ति नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

देवरिया तो हर क्षेत्र में बहुत ही तरक्की किये हूँ। देवरिया तो देवरिया ही है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

वह तो देवपुरी है, लेकिन उसमें कुछ राक्षस चले आये हैं, इसीलिए परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ एक सड़क कंचनपुर से गौरया घाट पर आती है, वहाँ पर कोई पुल नहीं है। अगर वहाँ पर एक छोटा सा पेंट्न ब्रिज या काठ का पुल मंत्री जी बनवा दें, तो बहुत कल्याण हो जायगा। महुआ पाटन घाट से पथरदेवा सड़क जाती है, यह बन कर तैयार है, इसे अगर पिच करा दें, तो काफी काम हो जायगा। यह 16 किलो मीटर तक सड़क बनी हुई है। के0 एन0 श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड देवरिया में है, यह बहुत अच्छा और ईमानदार आदमी है, कमीशन के अलावा ठेकेदारी में आधा हिस्सा लेने की व्यवस्था करता है। इसे तत्काल हटाया जाय। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ की सड़कों पर पिच किया जाय और बैकुन्ठ-पुर में एक काठ का पुल बनवाया जाय। नहरों पर जो सड़कें हैं, कन्यनपुर से कदौंदी, तक, नहरों के किनारों को पिच कर दिया जाय, जिससे सड़क का काम चल जायगा।

"है मेरा हिन्दुस्तान कहाँ ?
वह बसा हमारे गाँवों में।"

यह चरितार्थ हो जायगा। तो निश्चित रूप से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके की नहरों को अगर पक्का करवा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी और आपकी यह योजना भी सफल हो जायगी। गाँवों का सम्पर्क शहरों से हो जायगा। मान्यवर, इन काँग्रेसियों से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। जनता पार्टी के शासन में कहा गया कि सड़कें बनीं और बह गयीं और इनके शासन में सड़कें कागज पर बनीं और मिट गयीं। तो मेरा कहना यह है कि सड़क एक विभाग के द्वारा ही बनवायी जायं, जिस किसी भी विभाग को उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय, वही विभाग इस उत्तरदायित्व को वहन करें। मान्यवर, अगर सड़क नहीं बनेंगी, तो कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः यह कहुंगा कि बैकुण्ठपुर और गौरैया घाट में पुल बनवाना है। रामपुर अवस्थी से लोहरौली तक सड़क तत्काल बनवावें, जिससे सुदूर गाँव शहरों से जुड़ जायं और गाँवों के लोग शहरों में आ सकें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका देवरिया बहुत हसीन है ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

तब तो काम होगा ही, आपकी नजर चाहिए। आपकी नजर को मुबारकवाद है।

श्रीमती महारानी दोहरे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसका मैं सहृदय से स्वागत और समर्थन करती हूं। कटौती के प्रस्ताव का मैं घोर विरोध करती हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान लखना क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूं। यह बजट गाँव को कस्बे से, कस्बे को शहर से, शहर को प्रदेश से और प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन इसलिये करना चाहती हूं कि जो काम घंटों और महीनों में होता था वह चन्द मिनट और चन्द महीनों में हो जाता है, जहाँ जाना चाहते हैं, पहुंच जाते हैं। लखना क्षेत्र में तीन ब्लाक भरथना, महेवा, चकननगर हैं। भरथना ब्लाक में एक सेंहगर नदी बहती है। यह बहुत ही भयंकर नदी है।

सन 1980 में आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि इस नदी में भयंकर बाढ़ आयी थी और पूरा इटावा जनपद इससे प्रभावित हुआ था। लेकिन सरकार ने 2 करोड़ रुपये की सहायता से वहाँ की जनता को राहत पहुंचाई थी। इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इस नदी से महेवा ब्लाक पूरा प्रभावित होता है। मैं चाहती हूं कि इस नदी की गहराई जहाँ कम हो वहाँ खुदाई की जाय और इस पर पुल बनाया जाय। विकास खण्ड महेवा में भरथना से बकेवर रोड जो नेवाड़ी कलाँ से मिलता है। इसकी इतनी दुर्दशा हो गई है कि तीन किलोमीटर दूरी में यह रोड है लेकिन इस पर पैदल नहीं चला जा सकता है। इस पर पैदल चलना मुश्किल है। मेरा अनुरोध

है माननीय मंत्री जी से कि इस मार्ग को तुरन्त ठीक कराया जाय । माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं चकननगर विकास खण्ड की ओर दिलाना चाहता हूं । यह चम्बल का एरिया है । यह दस्यु प्रभावित क्षेत्र है और सरकार ने इसको आपरेशन एरिया घोषित किया है। इस ब्लाक में गोहानी, खिरोटी, पिपरौली आदि गाँवों की जनता ने चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया, इसलिए कि 35 वर्ष हो गये और आज तक वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ । यह आपरेशन एरिया घोषित किया गया है ।

मेरी माँग है कि गोहारी मार्ग, भरेह मार्ग को चकननगर मार्ग में मिलाया जाय । जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी जी सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे उनके आदेश पर चम्बल का सर्वे हुआ । सारे मार्ग को सीधा कर दिया गया । इसके लिये वह बधाई के पात्र है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ पर पुल बनाया जाय, क्योंकि वहाँ चार महीने से यातायात बन्द हो जाती है, इस कारण पीपे का पुल टूट जाता है । इससे जनता को अधिक कठिनाई होती है । मध्य प्रदेश भिंड से इटावा तथा इटावा से औरैया मुकदमें आदि के लिए जाना पड़ता है । इससे वहाँ की जनता का बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है । यह पुल बन जाय तो आर्थिक हानि से वहाँ की जनता बच सकती है और सुविधा भी हो जायगी अन्त में मैं पुनः इस बजट का समर्थन करती हूं ।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं, विभाग कहाँ काम कर रहा है, मैं दूर की बात तो नहीं अपने जिले बिजनौर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह जो वर्ष 2–3 दिन में समाप्त होने वाला है, मेरे जिले बिजनौर में इस पूरे वर्ष में एक किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। प्रारम्भ में कहा कि प्रत्येक विधायक के के क्षेत्र में 10 किलोमीटर में खड़ंजा लगायेंगे, 5 किलोमीटर में मिट्टी डाली जायगी । 4 महीने बाद कहा गया कि सारे जिले में 14 किलो मीटर सड़क बनेगी । सात विधायक हैं दो किलोमीटर एक विधायक के क्षेत्र में बनेगी लेकिन एक भी मीटर नहीं बनी है । सारा पैसा जाने कहाँ चला जाता है यह हम नहीं जानते हैं । भ्रष्टाचार का तो कुछ कहना ही नहीं है एक से एक आगे बढ़ने वाले हैं, वो कहते हैं हम तुमसे आगे है भ्रष्टाचार में, तो दूसर कहते हैं हम तुमसे आगे हैं ।

मैं इलाहाबाद की एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं । मान्यवर, 1982–83 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में सड़कों पर काम किया गया । उसके बारे में कहना चाहूंगा कि भारी घोटाला हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के नेताश्री मुरली मनोहर जोशी तथा श्रीनाथ द्विवेदी जी ने उसकी जाँच कराने की कोशिश की उसमें केवल दो परगना अधिकारियों ने रिपोर्ट दी करछना सीरांव से रिपोर्ट आई बाकी परगना अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं दी । बाकी जो उन्होंने दो तहसील की रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि 25 लाख रुपये के काम का घोटाला हुआ है कहीं छटाँक भर मिट्टी नहीं पड़ी है कहीं खड़ंजा नहीं लगाया गया है अगर जाँच करा ली जाए तो 60–70 लाख के घोटाले का पता चलेगा । टेक्निकल एक्सपर्ट आदमियों को भेजा गया उसने सारी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को दबाया गया है एक वर्तमान राज्य मंत्री का उसमें बड़ा भारी हिस्सा रहा है इसलिय उसे वह दबाना चाहते है भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और काम नहीं हो रहा है । एक बार बताया गया जो नहरें बनी हुई हैं उसकी पटरियाँ बेकार हैं उन पर खड़ंजा लगाया जाय । सुआवला और सुवजयनगर ऐसे मार्ग हैं । सुआवला की चौड़ी सड़कें हैं । जनता पार्टी के शासन काल में बन चुकी है, जिनकी योजना में स्वीकृति हो गई थी, उनके बारे में मैंने उस क्षेत्र के लोगों को सूचित कर दिया कि तुम्हारे क्षेत्र में सड़कें बनेंगी लेकिन होने वाला कुछ नहीं है कभी कहते हैं कि पैसा नहीं है कभी कुछ कहते हैं तो सारी गड़बड़ में कुछ पता नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगता है कि क्या हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और कटौती के प्रस्ताव का मैं इस लिए समर्थन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी राना साहब होश में नहीं है एक आध घंटे में होश में आ सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र सोहावल फैजाबाद की तरफ ले जाना चाहता हूं जो भड़हा नदी और घाघरा नदी के बीच में बसा क्षेत्र है। एक मार्ग हाइवे लखनऊ फैजाबाद जाता है इसके अलावा कोई सड़क नहीं है जिसको हमारे क्षेत्र से जोड़ा जा सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एक-दो नदियाँ है उस पर एक ड्योढ़ी से सड़क गई है। भड़हा नदी पर एक पुल बनवाया जाए। इसके अलावा जो हमारा क्षेत्र बस्ती गोरखपुर नदियों से जुड़ा है डेमवा घाट, वहाँ पर पुल बनाया जाए। हमारे क्षेत्र में बन्दीदासपुर में, जो 13 किलो मीटर सड़क लम्बी है जो खाद्यान्न योजना के तहत बनी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उस सड़क को पूरा किया जाए जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। एकसड़क दूसरी है जिसका निर्माण एक किलोमीटर होकर के रुक गया है जो बड़ागाँव ड्योढी को जाती है, वह एक किलोमीटर बनकर ऐसी ही पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि उस सढ़क का निर्माण किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह एक किताब मेरे सामने है। इसमें हमारा प्रदेश पूरे देश में सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है। एक लाख की आबादी पर 58 किलोमीटर सड़क के जबाव में एक लाख की आबादी पर केवल पंजाब में 246 किलो मीटर सड़क है। मान्यवर, जैसे हमारे प्रदेश के मंत्रि मंडल की हालत खस्ता है उसी तरह से पूरे प्रदेश के सड़कों की हालत खस्ता है। मान्यवर, इधर सड़क बनती है और उधर टूटना शुरु हो जाती है। क्या क्या बताऊं और क्या-क्या कहानी सुनाऊं। तेईस सितम्बर को नैनीताल रामपुर, बरेली में बाढ़ आयी। वहाँ केवल तीन सौ मीटर टूटी सड़क को बनाने के लिये, कच्ची सड़क के लिये तीन महीने लगे। केवल 10 गज कच्ची सड़क बनाने में एक महीना लगा। यह प्रगति की रिपोर्ट है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक स्थायी समिति विधान सभा की सार्वजनिक विभाग की बनी और पिछले चार साल में उसकी बैठक ही नहीं हुई। प्रगति परखने के लिये एक कमेटी बनी और मंत्री जी ने उसको भंग कर दिया। मान्यवर, नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन खाने का धंधा चल रहा है। सड़कों के दोनों किनारों पर मिट्टी साफ नहीं होती है, उसके बिल बन जाते हैं और भुगतान हो जाता है। दोनों किनारे ऊंचे होने की वजह से सड़कें बरसाती पानी रुकने से एक ही वर्ष में छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। मान्यवर, यह इनकी प्रगति की कहानी है। मान्यवर, रामपुर से नैनीताल जाने वाली सड़क मार्ग पर पाँच संकरे पुल हैं, उनसे केवल एक बस पास हो सकती है, दूसरी से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, यह जब कि स्टे हाइवे है, लेकिन उसके पुल को चौड़ा नहीं कर रहे हैं। सन् 1980 में जब चुन कर आए थे तब कहा गया था कि हर विधायक के क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़क एक वर्ष में बनायी जायगी। लेकिन 10 तो दूर एक किलोमीटर भी सड़क कहीं भी विधायक की संस्तुति पर नहीं बनी है। मान्यवर, यह जो 450 करोड़ का बजट है, यह छोटे कर्मचारियों से ले कर मंत्री महोदय तक के हाथों में कमीशन से बंटता है और इसका केवल 25 प्रतिशत ही इसमें लगेगा और फिर भी आदेश जो भी जिला स्तरीय कमेटी को जाते हैं यह होते है कि जो सड़कें बीच में पड़ी है, उनको पूरा किया जाय। मान्यवर, सड़कें बीच में वही पड़ी रह जाती हैं, जिनका दो बार, तीन बार, चार बार बिल बन जाता है।

तीन-तीन वर्ष सड़कों पर मैटीरियल पड़ा रहता है और उनका कई-कई बार बिल बनता रहता है । तीन-तीन बार उनका भुगतान हो जाता है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक बहला नदी है । वहाँ मान्यवर, मेवला कहलाँ और राम नगर लतीफपुर तथा खानपुर से किशुनपुर तक तीन पुल बनने की आवश्यकता है। मान्यवर, आजादी के 37 सालों के बाद भी खानपुर किशुनपुर राह तक सड़क नहीं पहुंची है। वहाँ मान्यवर, ढ़ढ़िहाल से मुन्शीगंज होते हुए बाजार खाता तक जो सड़क बरसात में टूट गयी है, मरम्मत नहीं हुई वह मान्यवर, स्वार से दोराहा तक पिछले तीन साल से निर्माण नहीं हो पाया है, सके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं। सन 1980 में जो चुनाव हुए उसके बाद के आँकड़े विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उठाकर नहीं देखे । जनता सरकार के समय से कहीं ज्यादा हमारे प्रदेश की सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कार्य किया है । मैं नहीं समझता हूं कि अपने विपक्ष के साथियों को कौन सा चश्मा दूं जिससे वह इस प्रगति को देखे। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। वहाँ जो कार्य हुआ है उसके लिय सार्वजनिक निर्माण विभाग बधाई का पात्र है, श्रीपति मिश्र की सरकार बधाई की पात्र है । वहाँ उन्होंने लालपुर तक 18 कि0 मीटर पैदल सड़क बनाई है । इस तरह से बहुत से काम हुए है । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मेरे क्षेत्र ओखल काँडा आये हुये थे। तो उस समय उन्होंने ओखलकाँडा से क्वैदल तक, जो कि 11 किलो मीटर की सड़क है, इसे मैटल किया जायेगा ओखल काँडा के खनस्यू तक के मार्ग को खनस्यू से पतलोट तक के मार्ग को मैटल किया जायेगा, यह एलान किया था और आश्वासन भी दिया था, किन्तु आज तक वहाँ के अधिकारियों ने उसे मैटल नहीं किया है। मान्यवर, मैं पर्वतीय अंचल से अकेला ही एक अनुसूचित जाति का सदस्य हूं, इसलिए आप मुझे प्रत्येक जिले से 2–2 मिनट बोलने को दें ताकि मैं प्रत्येक पर्वतीय जिले के बारे में अपनी बात कह सकूं। माननीय श्री श्रीपति मिश्र जी ने भी कहा था कि इनको पूरा किया जायेगा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्री जी आप इन्हें मैटल करवा दें।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 3 एक्सीडेंट हो गये हैं। एक एक्सीडेंट में 10 आदमी मरे, दूसरे एक्सीडेंट में 7 आदमी मरे और तीसरे एक्सीडेंट में 3 आदमी मरे। आज सड़कों के खराब होने की वजह से यह सब घटनायें हो रही हैं, और पर्वतीय अंचल के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है । मेरे क्षेत्र में 2 पुल बनाये गये हैं और जो बहुत ही अच्छे पुल हैं, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं तथा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जमुना नदी पर बटेश्वर के पुल को बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह 3 प्रदेशों को जोड़ता है, जो आगरा तथा मैनपुरी के पास है । हमारे बनारस में चौका घाट पर एक पुल था, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बन्द कर दिया है, इसकी मरम्मत कर इसे खोला जाय। बनारस में ट्रैफिक की समस्या बहुत हो रही है, इसलिए इस पुल का तकनीकी परीक्षण कर और इसकी मरम्मत कर इसे खोला जाय । सई का पुल जो जलालपुर और जौनपुर के मध्य है, जुलाई, 1983 से बन्द कर दिया गया है, यह बनारस और जौनपुर की मेन रोड पर पड़ता है, लिहाजा इसकी मरम्मत कर इसे खोल दिया जाय ।

जहाँ तक 1500 की आबादी वाले गाँवों को मार्गों से जोड़ने का प्रश्न है यह सेन्सस 1971 के अनुसार है। मेरा सुझाव है कि आप 1000 से 1500 की आबादी को मानकर, नये सेन्सस के मुताबिक चलें। श्रीमन्, योजना नम्बर 4–5 की जो सड़कें है जिनमें खड़ंजा बिछ चुका है और अर्थ वर्क का काम हो गया है, मेरा सुझाव है कि 10 किलोमीटर से ऊपर

या 10 किलोमीटर तक आप लेपन का कार्य करवा दें और उन पुलों को पक्का करवा दें। जौनपुर और भदोही में बाई पास बहुत दिनों से बन रहा है। जौनपुर और औराई मार्ग में भदोही की मेन सड़क में मिट्टी पाट दी गई है, इसे ठीक करने की जरूरत है। बाबत पुर और जमालापुर मार्ग घमहापुर से बरहीं कलाँ तक नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें बाई पास का झंझट है। इस मार्ग में बसुई नदी पर सेतु निगम ने पुल बना दिया है, इसलिये मेरा सुझाव है कि बाईपास के झंझट को छोड़कर पुराने ही मार्ग को ठीक कर दिया जाय और उसे खोल दिया जाय ताकि मार्ग की जो अव्यवस्था वहाँ पर है, वह व्यवस्थित हो सके। माँगारी से सिधौरा वाराणसी की नई सड़क है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाय। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अधिष्ठाता जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर आपने मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं।

मैं सन् 1980 से विधायक हूं और तब से लगातार प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कें बन जायं, पत्र लिखते-लिखते थकता जा रहा हूं, लेकिन सड़कें नहीं बन रही हैं। मेरे क्षेत्र में एक सड़क है चन्दौली से धरौली मार्ग, यह पिछले 12-13 साल से बनी हुई थी। उसको जिला परिषद ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन बराबर झगड़ा चलता रहा और इसी में यह सड़क खराब हो गयी। पिछले साल जिलाधिकारी महोदय की कमेटी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है कि उस जिला परिषद् की सड़क को पी0 डब्लू0 डी0 में स्वीकार कर लिया जाय। निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी से और अधिकारियों से भी कि उसे देख लें और स्वीकार कर लें। एक और सड़क है जो अमड़ा-शकलडीहा वाया तुलसीपुर आश्रम से जाती है, ताल के बीच से जाती है, चारों तरफ ताल का एरिया है। बरसात के दिनों में लोगों का आवागमन बन्द हो जाता है, उसको भी काफी दिनों से बनाया जा रहा है, 5-7 साल से बन रही है, आधी बनी आधी रह गयी, बेकार पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि उसे भी पक्का करा दें। चन्दौली से बबुरी की सड़क थोड़ी दूर तक बन कर रुकी हुई है। यह बहुत महत्वपर्ण सड़क है, इसको भी बनाना आवश्यक है। बबुरी से धरौली मार्ग है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बनना जरूरी है। मेरा क्षेत्र चन्दौली बिहार से सटा हुआ है।

श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, आपने मुझ कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं। लखनऊ की सीमा से 3 कि0 मीटर बाद मेरा निर्वाचन क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है। राजधानी का जिला है, लेकिन आजादी के 26 वर्षों के बाद भी मोहनलालगंज आज सड़कों के अभाव में है। वहाँ अभी तक कोई विशेष सड़कें नहीं बनी हैं। गोसाईगंज से मोहन लालगंज जाने वाली जो सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है, उसके लिये शासन द्वारा कोई धन नहीं दिया जाता है। प्रमुख अभियन्ता महोदय 2-3 लाख रुपए देते हैं तब मरम्मत होती है। जिस समय निर्माण हुआ था, 10 टन लोड के ट्रक चलते थे और 50 ट्रकों का अनुमान था, लेकिन आज 18-20 टन लोड लेकर उससे कहीं ज्यादा ट्रक चलते हैं। यह तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, अतः इसको बनवा दें। एक और सड़क लखनऊ से नगराम की है। यह रास्ता 40 कि0मी0 का है। अगर आप 27 कि0मी0 की सड़क बनवा दें तो दूरी आधी हो जायगी। मेरे क्षेत्र की सड़कें जो योजना नं0 1, 2, 3 और 4 के अन्तर्गत थीं, उन्हें भी पक्का करा दें।

*श्री राम कुंवर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, कुछ क्षेत्र की समस्याओं को रखकर, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि आप अधिक समय दे नहीं रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1942 के पहले जो गाँव की स्थिति थी, जिलों की स्थिति थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कई दिन, महीनों, हफ्तों लग जाते थे, वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस 36 साल के अन्दर इतने सराहनीय कार्य हुए कि अब एक दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लौटा भी जा सकता है। इसलिये सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य सराहनीय है, मैं उनको बधाई देता हूं।

मान्यवर, एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो सड़कें कई वर्षों से बन रही है, उस पर जो धन लगा है, वह धन मान्यवर, तब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक वह सड़कें पूरी न हो जायं। कई सड़कें 5–5. 10–10– साल से अधूरी बनी पड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहुंगा कि जिस सड़क पर आपका पैसा लग चुका है, लेकिन उसके अधूरे होने से लोग उस पर चलने में असमर्थ हैं, उन सड़कों को आप प्राथमिकता देकर, उस काम को आप पहले करायें। इसी के साथ जिन पुलों का निर्माण कई वर्षों से शुरू हुआ है और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, किन्हीं कारणों से उनमें निर्माण कार्य बंद है, उनको प्राथमिकता देकर, उन्हें पहले पूरा कराया जाय।

मान्यवर, सेतु निगम का कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस नाते पुल का काम जो भी कराया जाय, बजाय पी0 डब्लू0 डी0 से, उसे सेतु निगम से कराया जाय। मैं अब अपने क्षेत्र पर आता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक सड़क सौफीपुर-मसलम पट्टी है, वह 10 साल से बन रही है, इस पर कई लाख रुपए खर्च हुए है, लेकिन वह अभी भी अधूरी है, थोड़ा सा और पैसा न खर्च करने के कारण, वह सड़क का काम अधूरा पड़ा हुआ है। मान्यवर, उस की स्थिति को देख कर, इस सोफीपुर–मसलम पट्टी की सड़क का काम शीघ्र से शीघ्र पूरा करा दें। इसके बाद एक सड़क ब्रह्मस्थान से तबहरपुर वाया किसनुदासपुर है, यह भी कई वर्षों से बन रही है, उसको भी पूरा कराने की जरूरत है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक ओरा गौरा दुर्वासा मार्ग बनने की बात है, उसकी बाबत जमीन भी ली जा चुकी है पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा, उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं शुरू हुआ है, उसकी बाबत भी कई वर्ष हो चुके हैं, उस पर भी काम होने की जरूरत है। इन कामों को आप यथाशीघ्र करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री खैरुल बशर––

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। समय बहुत कम है, इसलिये कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को दे रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान ब्लाक में मऊ से इटौरा मार्ग है। यह सड़क गाजीपुर जिले में सरसना के पास मिलती है, इसमें गाजीपुर जिले में पी0 डब्लू0 डी0 की रोड बन गयी है। इस पर मिट्टी और पुलिया सब है, इसको पक्का किया जाय, इसको पी0 डब्लू0 डी0 से बनाया जाय। इसके बाद कहूंगा कि कोपागंज ब्लाक में कोपागंज इंदारा मार्ग है। इस पर मिट्टी पड़ चुकी है, पुलिया बनी है, इसका भी निर्माण कराया जाय, इसको भी पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क में ले लिया जाय। इसके बाद कहूंगा कि अली नगर से मुहम्मदपुर मठ तक एक रोड बन चुकी है उससे जयसिंहपुर गाँव को जोड़ने की जरूरत है। उस सड़क से जयसिंह पुर गाँव को जोड़ दिया जाय और उसमें दो पुलियों की जरूरत हैं। इसके बाद कहूंगा कि अद्री खालिसपुर के पास से मऊ टोंस नदी के पुल के पास से सड़क मिला दी जाय यह सड़क बंधे का भी काम करेगी।

शेरशाह सूरी ने आजमगढ़ के शहर को एक टोंस नदी पर पुल बनाकर, जौनपुर से जोड़ा था। मान्यवर, इस पुल की मरम्मत की जरूरत है और उस पुल से रोडवेज तक सड़क पक्की बना दी जाय। पक्की सड़क जो थी, वह तोड़ दी गयी है। मऊ का जो सुरक्षा का बंधा है, उस सुरक्षा बंधे को सड़क का दर्जा प्रदान किया जाय, उस पर सड़क का निर्माण किया जाय। मऊ बाई पास जो है, उसको चौड़ा कराया जाय। लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग जो है, सन् 1980 से खराब है और तब से लगातार बन रहा है। मुझे पता नहीं चलता कि अभी तक उसमें कितना धन खर्च हुआ है लेकिन काम ज्यों का त्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिखायी दे रहा है । इसमें पैसे की काफी बर्बादी हुई है । इसको भी शीघ्र ठीक कराने की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता——

आप बैठें । आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी——

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । मान्यवर, इलाहाबाद जनपद को पी0 डब्ल्0 डी0 का बजट बहुत ही कम दिया गया है । मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे इलाहाबाद को 13 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर को 32 प्रतिशत , बस्ती को 24 प्रतिशत और कानपुर को 25 प्रतिशत, सुल्तानपुर को 26 प्रतिशत, तो इस तरह से इलाहाबाद को केवल 13 प्रतिशत देकर उसके साथ मान्यवर, सौतेला व्यवहार किया गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री तो आज मौजूद नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव——

मान्यवर, इसके बाद मुझे भी मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता——

आप लोग बैठें । आप अपनी बात शीघ्र कह कर समाप्त करें ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ की विकेन्द्रित योजनाओं के लिये जो आप बजट की संस्तुति कर रहे हैं उसमें इलाहाबाद में 97 गाँव शेष हैं जिसके लिये 11 लाख रुपए की आवश्यकता है । इस तरह से 650 लाख रु0 आप इलाहाबाद को यदि दे देते तो यहाँ के सारे काम पूरे हो सकते थे ।

(व्यवधान)

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

इसी तरह से कौसानी एवं निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ के लिये धनराशि स्वीकृत की जायगी उसे हमारे क्षेत्र के तीन ब्लाकों में भी दिया जाना चाहिये ।

हमारा क्षेत्र जो कि तीन ब्लाकों में बंटा हुआ है 3 ब्लाक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और उसे हरिजन क्षेत्र घोषित किया गया है, वह इलाका हरिजन इलाका है तो इसके लिये अलग से बजट में धन का प्राविधान किया जाना चाहिये । मैं किमनई नदी के पुल की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है । उसे भी करा दिया जाय नहीं तो बरसात में फिर अड़चन आ जायेगी । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अकबाल हुसैन——

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि पचपेड़वा से उतरौला तक की 11 किलो मीटर सड़क बनी हुई है उसे 9 किलोमीटर और बना कर तुलसीपुर इटावा रोड से जोड़ दिया जाय । इसी तरह से धोबहाघाट पर पक्का या लकड़ी का पुल बनवा दिया जाय । इस पर अर्थ वर्क हो चुका है, सोलिंग और पेन्ट बाकी है, यहाँ पुलिया पहले से बनी हुई है । राप्ती नदी पर पक्का पुल बनवा दिया जाय । गौरा से बेलहा मोड़ को पक्का कर दिया जाय । यहाँ 7 किलोमीटर की सोलिंग है, इससे तहसील से जिला मुख्यालय की दूरी 40 किलो-मीटर कम हो जायेगी ।

मैं वहाँ के जनजाति क्षेत्र से चुन कर आया हूं । पचपेड़वा से चन्दरपुर की 24 किलो मीटर की सड़क जिसकी कुटाई हो चुकी है, पेन्ट नहीं हुआ है जिसके कारण चलने लायक नहीं है वन विभाग का काम इस पर बराबर होता है । यहाँ जनजाति थारू का बाहुल्य है इसलिये इसको पक्का कराया जाय ।

अन्त में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जहदेरिया से आगे कोबहाघाट तक सड़क का निर्माण करा कर अधूरे लिंक रोड़ को पूरा किया जाय । कहदेरिया नाले पर और नहर पर लकड़ी का पुल बनाया जाय । आप जहदेरिया से धोबहाघाट की सड़क को मिला दीजिये जिस पर 30 किलो मीटर लम्बा पुल बन सकता है । स्टेट सेक्टर में जो जिला सेक्टर के मानकों में नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आते हैं, उन्हें स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत आप निर्माण कराने की कृपा करें।

भैंसडीं से ठकुरापुर विकास खण्ड में थारु जनजाति का बाहुल्य है, यहाँ की सड़क पर मिट्टी डाली जा चुकी है, इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर इसको पूरा कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौंती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, दो मिनट में मैं अपनी बात को कह कर मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले वाराणसी से आता हूं। मैं आपका ध्यान यहाँ की सड़कों की ओर ले जाना चाहता हूं। बावतपुर जो इन्टरनेशनल हवाई अड्डा है, वह सड़क दो साल से निर्माणाधीन है। सड़क पर अलग-विलग के काम हो रहे हैं, पता नहीं किस तरह से सड़क बनाई जा रही है। वह सड़क मान्यवर, दो साल से बन रही है। मुझे याद है कि तीन साल पहले मैं उस सड़क पर दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसलिए मैं आपका ध्यान इस सड़क की ओर आकृष्ट करता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ग्रैण्ड ट्रंक रोड है वह शेरशाह सूरी के जमाने में बनी थी, आज उस सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। हर साल बनती है और टूट जाती है। पता नहीं उसमें कितना तारकोल डाला जाता है कि सड़क बिगड़ जाती है। अब मैं पुलों की ओर मा0 मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, माननीया इन्दिरा गाँधी जी की हमारे यहाँ गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना थी, पुल का शिलान्यास भी वे कर चुकी हैं और उसको सेतु निगम ने बनाना स्वीकार भी कर लिया है। मेरा निवेदन है कि इस पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाय। अब मैं अपने क्षेत्र में सड़कों की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि वाराणसी से नियार, वाराणसी से जाल्हूपुर और वाराणसी से केराकत की सड़कों का निर्माण कराया जाय, यह बहुत ही आवश्यक है। रौना स्थान पर नाद नदी पर जो पुल मन्जूर है उसे तुरन्त बनवा दिया जाय जो मैटेरियल लगाया जा रहा है वह घटिया किस्म का लगाया जा रहा है। यह 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। मन्त्री जी इस पर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कुबेर भण्डारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आजादी को मिले हुए 36 वर्ष हो गए हैं, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हम सड़कों में भी फंसे हुए हैं। दूसरे देश के लोग चन्द्रलोक जा रहे हैं और हम अभी सड़कों के ही फेर में पड़े हुए हैं, इससे निकम्मापन और क्या हो सकता है। अभी तक यह एक पार्टी की जो सरकार है वह गाँवों तक रास्ते भी नहीं बना सकी है। मान्यवर, देवरिया जिले में गण्डक नहर के बन जाने से सड़कें खराब हो गयी हैं और उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बजट पास किया जाता है, जनता की गाढ़ी कमाई खर्च की जाती है लेकिन पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, जो यह नौकरशाही है, यह आपकी योजनाओं को फेल कर देती है। जो धन आवंटित किया जाता है वह पता नहीं कहाँ पर चला जाता है, किस जिले को दे दिया जाता है और कितना-कितना दिया जाता है। देवरिया जिले में तहसील मुख्यालय हाटा है जो सड़क हाटा को जोड़ती है वह बहुत ही खराब है। बस में बैठने पर कमर टूट जाती है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह का बजट पास करने से कोई लाभ नहीं है, जब तक नौकरशाही आप पर हावी रहेगी, सारा धन बेकार जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शेर बहादुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहाँ पर सन् 1980 के पहले एक भी किलोमीटर पक्की सड़क नहीं थी, अब कुछ हो गयी हैं। जो इस समय संसदीय कार्य मन्त्री जी हैं जब वह सार्वजनिक निर्माण मन्त्री थे तो उन्होंने अकबरपुर की मीटिंग में कहा था कि टोंस नदी पर बन्दीपुर स्थान पर पुल का निर्माण कराया जायगा, यह नदी हमारे क्षेत्र को दो भागों में बाँटती है। इसलिए इस पुल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है ।

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, बजट में सुल्तानपुर के लिए 95 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है। सुल्तानपुर जिले को 95 लाख रुपए की व्यवस्था है और मैनपुरी को केवल 19 लाख रुपए की व्यवस्था है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार शेरगढ़ घाट का पुल इटावा और जालौन को जोड़ता है उसी प्रकार बटेश्वर में नारंगी नदी पर पुल की व्यवस्था करें जिससे गाँव में जाने के लिए रास्ता खुल सके। जो 37 पुल आप बना रहे हैं. . . .

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

वह बहुत कम हैं। 37 पुलों से इस प्रदेश की आवश्यकता आप पूरी नहीं कर सकते हैं। अकेले मैनपुरी में 28 पुलों का प्रस्ताव है, जो जिला योजना से प्रस्तावित होकर आया है। वहाँ पर इन पुलों की अत्यन्त आवश्यकता है। आपने व्यवस्था की है कि 400 किलोमीटर खंड़जे और 450 किलोमीटार पेंटिंग पूरे प्रदेश में करेंगे। इस तरह से तो एक जिले में केवल 7/8 किलोमीटर ही पड़त। है । किस तरह से आप बंटवारा करेंगे। । सभी एम0एल0ए0 लड़ेंगे । इस तरह से एक एम0एल0ए0 के हिस्से में एक किलौमीटर आयेगा। इसलिए आप कोई ऐसा तरीका निकालें जो वाएबिल हो। मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल की आकस्मिकता निधि से जो 6 सड़कें मैनपुरी में दो वर्ष पहले बनी थीं, वह अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ओछा से जसराना 22 किलोमीटर, मारोल से सिरसागंज—18 किलोमीटर,कुचेला से दन्नाहौर—10 किलोमींटर, ओड़न मंडल से ओंछ—22 किलोमीटर, घिरोर से पाड़प-22 किलोमीटर, दन्नाहार से खड़ीथ—22 किलोमीटर तथा मैनपुरी से सिरसागंज—36 किलोमीटर की सड़कों पर जो काम शुरु हुआ था वह आज भी अधूरी पड़ी हुई है। इनमें लगभग 4/5 भाग सड़क का पूरा हो गया है और 1/5 भाग ही शेष रह गया है। ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। अतः मेरी माँग है कि इन्हें पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मान्यवर, मैं पश्चिमी क्षेत्र से आता हूं। वह क्षेत्र प्रदेश को कितना उत्पादन कर के देता है और फिर भी वहाँ के लिए कोई सड़कें नहीं वनती हैं। मैं इस बजट का स्वागत करता हू। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगें। कभी बाढ़ के नाम पर और कभी सूखें के नाम पर कुछ रुपया पश्चिमी प्रदेश को देते हैं लेकिन जो सड़कें आधी बनी हुई हैं उनको पूरा करनें के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सासनी से नानऊ, सासनी से जलेसर, विजयगढ़ से गोपी, सलेमपुर से हसायन की जो रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग की है यह पूरी नहीं बनी है, आधी-आधी बनी हैं। ये केवल 4—4 और 5—5 किलोमीटर तक ही बनी हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इन सड़कों को पूरा कराया जाय। इसके अतिरिक्त आगरा से लेकर अलीगढ़ तक जो रोड जाती है उसमें सारी ट्रैफिक चल रही है। आज भी सड़कों की चौड़ाई उतनी ही है जितनी कि 10 साल पहले थी ।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इन सड़कों में आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं वह

इसलिए होती हैं कि यह सड़कें चौड़ी नहीं हैं। अतः इन सड़कों को चौड़ा कराया जाय। दूसरे प्रान्तों जैसे हरियाणा में काफी चौड़ी सड़कें हैं। जो सड़क 15 साल पहले बनी थी, ट्रैफिक बढ़ने के बाद भी आज वह सड़क उतनी ही हैं। जनता पार्टी नें इन सड़कों को बनाया था और केवल कच्ची मिट्टी उन सड़कों पर डाल दी थी। बाकी पैसा जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता खा गए, कुछ नेताओं के घर चला गया लेकिन सड़कें जहाँ की तहाँ हैं। सारी सड़कों में गढ्ढे पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहाँ पर उत्पादन इतना हो, इतना गेहूं पैदा हो, खाने को बहुत हो वहाँ पर सड़कों का विकास किया जाय और पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री धनीराम वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करता हूं कि यह विभाग 1844 से चला आ रहा है इसमें निरन्तर अच्छाइयाँ हों उसके विपरीत आजादी के 36 वर्षों के बाद भी स्थिति खराब होती जा रही है और मन्त्री मण्डल के लोग और अधिकारी दोनों साँठ-गाँठ करके पैसा खा जा रहे हैं और सड़कें बनती बाद में हैं लेकिन वह टूट पहले जाती हैं। भ्रष्टाचार की यह हालत है कि हमारे जनपद में 1982–83 में नैशनल हाईवे की मरम्मत के लिए 14 लाख रुपया दिया गया उसको सार्वजनिक निर्माण मन्त्री और दूसरे मन्त्री मिल कर खा गए और 10 लाख रुपया चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे (2) श्री मस्ता खा गए इस तरह से 14 लाख रुपया मरम्मत का पूरा का पूरा खा गए। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो मस्ता चीफ इंजीनियर सस्पेंड किए गये और वह आज कहते फिर रहे हैं कि हमसे 4 लाख रुपया मन्त्री ले लिए और हमें सस्पेन्ड कर दिया।

मान्यवर, इटावा जनपद में औरैया और विधूना तहसील यातायात के साधनों में बहुत पिछड़ी हुई हैं। 5 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव आज तक न ब्लाक से जुड़े हैं और न तहसील से जुड़े हैं और न ही रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इटावा जनपद में विधूना तहसील में हरचन्द्रपुर और औरैया में भरसेन और दौलतपुर को पक्की सड़कों से ब्लाक तहसील तथा रेलवे लाइन से जोड़ा जाय। दिवियापुर विधूना रोड कई वर्षों से बननी आरम्भ हुई, लेकिन आज तक वह नहीं बन पायी है। किनारों में गिट्टी पड़ी हुई है लेकिन बनाई नहीं गई है। इसी तरह से दिवियापुर बेला रोड पर असेनी गाँव के आस-पास गिट्टी सड़क के किनारे पड़ी है, लेकिन उसे डामर नहीं किया गया है। दिवियापुर कस्बे के पास औरैया विरवा रोड में सड़क ऊंची की गयी उसमें खड़ंजा लगा है और गिट्टी पड़ी हुई है लेकिन अभी तक उसमें डामर नहीं हुआ है और सड़कों के किनारे नाली नहीं बनाई गयी है जिससे बरसात में घरों में पानी भर जाता है और लाखों रुपयों का नुकसान हर वर्ष होता है और अगले वर्ष भी होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर इस पक्ष और उस पक्ष के तमाम साथियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में सुझाव रखे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे जो संसदीय कार्य मन्त्री जी हैं जो भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मन्त्री रहे हैं जिनका ताल्लुक अदब, इल्म और हुस्न की दुनिया से बहुत गहरा है यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं जिसको दुनिया जानती है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विभाग को कम से कम सामान्य शिष्टाचार सिखा दें वही बहुत काफी होगा मान्यवर, दुनयिा में आप कहीं चले जायें किसी को कोई कष्ट होता है तो वह कहता है, कष्ट के लिए क्षमा करें। लेकिन मान्यवर, इनका यह विभाग ऐसा है कि जो कष्ट के लिए धन्यवाद देता है जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ सड़क बनती रहती हैं या जहाँ पर सड़क खराब हो वहाँ पर लिखा रहता है कष्ट के लिए धन्यवाद। मान्यवर, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कष्ट भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस विभाग को बतादें कि कष्ट के लिए क्षमा माँगी जाती है, धन्यवाद नहीं दिया जाता है। मान्यवर, यदि इतना ही करवा दें इतना शिष्टाचार समझा दें तो यह बहुत बड़ा काम होगा ।

श्री विजय सिंह राना—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, खासकर इस पक्ष के साथियों को जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। उधर के साथियों ने भी एक वाक्य कहकर बाकी बातों से मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं मान्यवर, कुछ सुझाव ही देना चाहता हूं उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री हरदेव के खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)—माननीय हरदेव जी आप कृपया बैठें कल आपको समय दिया जायगा, आज समय नहीं है, 5 बजे से पहले बजट पास करना है (व्यवधान) माननीय रिजवी साहब इनको अपने कक्ष में बुला लें और चाय पिलाएं ।

श्री हरदेव—

मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री हरदेव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। आपके पास जो नामों की सूची गयी है उसमें मेरा आठवां नाम है, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठें. (व्यवधान) आप अपने स्थान पर बैठें। पहले आप बैठिए।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो सबसे बड़ा सुझाव है वह आपके विभाग के कर्मचारियों के बारे में है। आपके यहाँ कर्मचारियों के लिए नियम बना है।

आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनमें से बहुत से ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो अपने कार्यकाल में कभी फील्ड में नहीं रहे हैं, कभी उनको सर्वे डिवीजन में रखा गया है तो कभी उनको डिजाइन डिविजन में रखा गया है। इसलिए आप अपने विभाग में ऐसी लिस्ट बनवायें कि कुछ लोग हमेशा कार्यक्षेत्र में रहे हैं और वह कभी डिजाइन या सर्वे डिवीजन आदि में नहीं गए हैं। उनकी आप लिस्ट बनवायें और उनको समय-समय पर बदल-बदल कर वर्किंग और नान-वर्किंग डिवीजन में भेजते रहें जिससे जो नाम-वर्किंग डिवीजन में हैं उनकी कुंठा समाप्त हो सके और उन्हें कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो सके, जिससे उनकी अक्षमता दूर हो जाय। आप जब पहले हमारे मन्त्री थे, एक आदमी मेरे द्वारा आप के पास आया था जो 14 साल की नौकरी अवधि में वर्किंग डिवीजन में कभी नहीं गया था, सदैव नान वर्किंग डिवीजन में ही रहा था। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों आदमी आपके विभाग में हैं, आप लिस्ट बनाकर सबके साथ न्याय करने की कृपा करें।

मैं जिला योजना के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण तो आपने कर दिया और आपने 70 परसेंट बजट जिला योजनाओं में दे दिया है। लेकिन इसमें जो प्रान्तीय खण्ड का एक्जीक्युटिव इंजीनियर होगा, वह जिला योजनाओं को बनाएगा और निर्माण खण्ड का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहे जितना सीनियर हो, उसका उसमें कोई भाग या सहयोग नहीं रहेगा। इसलिए आप कम से कम यह देखें कि जो सबसे सीनियर है, दोनों डिवीजनों में वह जिला योजनाओं को रखेगा और उनके लिए आप प्रान्तीय स्तर पर यह निश्चित कर लें कि सर्वे डिवीजन पूरे प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से सड़कों को निकालने का काम करेगा। जिससे कि ऐसा न हो कि एक-एक गाँव में दो-दो सड़कें भी निकली जायें। जैसा कि हमारे यहाँ समोगर है उसमें दो तरफ से सड़कें निकाल दी गयी हैं, वहाँ पर दो-दो सड़कें हो गयीं, एक सड़क एक एम0एल0ए0 ने स्वीकृत की थी और एक सड़क बाद के दूसरे एम0एल0ए0 ने स्वीकृत की। इस तरह से आप देखें

तो पायेंगे कि जिला योजना में बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जो योजनाओं की प्लानिंग है उसके लिए सर्वे डिवीजन बना हुआ है, उससे आप का एक बार पूरे प्रदेश की योजनाएं बनवा लें, फिर विधायकों के सहयोग से आप योजनाओं को बनवायें। पंचवर्षीय योजना में प्लान एलोकेशन पाँच वर्ष के लिए होता है और फिर एक-एक साल में स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो यही अच्छा होगा कि एक व्यवस्था यह हो जाय कि एक बार जब एलोकेशन हो जाए तो उसमें हर साल उसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता न पड़े।

अब मैं भूमि अधिग्रहण के बारे में कहना चाहता हूं, विभाग के कार्यों की प्रगति की दिशा में यह बहुत बड़ी बाधा है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही दोषपूर्ण है और वह बहुत कठिन है। इसके कारण से जो योजना 3-3, 4-4 साल से मन्जूर पड़ी है वह अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सकी है और उसके कारण से कार्य विलम्ब से पूरा हो पाता है। इसलिए आप लैन्ड एक्वीजीशन की प्रक्रिया को इतना मजबूत बना दें कि जो सड़कें मन्जूर हो गयी हैं, वह समय पर बन जायें। हमारे यहाँ की एक ऐसी ही कलोल खंड़िया-कवीस सड़क है, जो मन्जूर हुई, पर उसके लिए लैण्ड एक्वीजीशन न हो पाने के कारण ज्यों की त्यों पड़ी है और वह अधिग्रहण हो भी नहीं पायेगा। इसलिए आप भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनावें। उससे जनता को राहत मिलेगी और सड़कें सही रूप से बन सकेंगी। एक बात और है जो सड़कें आप स्वीकार करते हैं, आप उसको किश्तों में स्वीकार करते हैं। एक बार मिट्टी पड़गी, एक बार खड़जा लगेगा, फिर तारकोल पड़ेगा फिर दूसरा कोट होगा। मिट्टी पड़ी सड़कें यानी कच्ची सड़कें यदि बरसात के पहले पहले पक्की नहीं होती हैं तो बरसात में मिट्टी बह जाने के कारण वह सारा कार्य और धन भी बर्बाद चला जाता है। तो होना यह चाहिए कि एक बार सड़क स्वीकार हो जाय तो आद्योपान्त उसका कार्य चलते रहना चाहिए और बार-बार स्वीकृति लेने की अड़चन नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप यह कर दें कि जो सड़कें आपने स्वीकृत की हैं और उनको बना दिया है उसकी एक सूची बना लें और जिन सड़कों के ऊपर मिट्टी के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है तो उनको प्राथमिकता के आधार पर चयन कर लें और उनको पूरा करा दें।

मान्यवर, अन्तिम सुझाव मैं मस्टर रोल के बारे में देना चाहता हूं कि मस्टर रोल का जो कायदा और कानून है अगर उस हिसाब से चला जाय तो कोई काम कभी पूरा नहीं हो सकता है।

मान्यवर, बिहार का मजदूर दिल्ली में काम करता है। अगर मस्टर रोल की जाँच की जाय तो एक भी पता सही नहीं मिलेगा। आजमगढ़ का मजदूर आगरे में मजदूरी करता है और अपने किसी साथी मजदूर का पता उसने दे रखा है तो अगर जाँच कराई जाय तो वह नहीं मिलेगा इसलिए यह जो मस्टर रोल की व्यवस्था है इसका कम से कम परीक्षण हो जाना चाहिए और मस्टर रोल के कायदे और कानून को सरल बनाया जाये क्योंकि इसमें बहुत गबन आदि होते हैं। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की संस्तुतियाँ आई हैं। उन पर कुछ पर काम हुआ है और कुछ पर काम नहीं हुआ है। मान्यवर, अवर अभियन्ता को हर साल अर्हता परीक्षा पास करनी चाहिए लेकिन सन् 1965 और 1970 में यह अर्हता परीक्षा हुई थी उसके बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है। तो इस परीक्षा को हर साल आयोजित करना चाहिए और अवर अभियन्ताओं को प्रोन्नति के चान्स देने चाहिए।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि लालबाग में जो काम्प्लेक्स बना है उसमें 'ए' और 'बी' दो ब्लाक्स हैं। 'ए' ब्लाक में तीन-तीन पंखे लगाए गये हैं और 'बी' ब्लाक में केवल एक पंखा लगाया गया है। तो यह अन्तर समझ में नहीं आता है दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हालाँकि मन्त्री जी अब सार्वजनिक निर्माण मन्त्री नहीं हैं, संसदीय कार्य मन्त्री हैं, माननीय विधायकों से अपने 10-10 हजार रुपए आवास सुविधा देने के लिए लिया है। खूब

तालिया पिटवाई हैं और उस पैसे से मुनाफा भी कमा रहे हैं और जो आवासीय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए उसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो आप कम से कम यह ध्यान रखें कि जो काम आप अपने हाथ में लें उसको निश्चित अवधि के अन्दर पूरा करें। इन शब्दों के साथ एक अन्तिम बात कहकर कि आगरे में यमुना के पुल के सम्बन्ध में जो बात मैंने कही थी वह मन्त्री जी को याद होगी। मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री जी अवश्य करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, मैं सम्मानित सदस्यों, विशेषकर राना साहब का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने बहुत हीं कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिया और काफी मार्ग दर्शन किया। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय राना जी ने जब अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मान्यवर, बहुत शेर उन्होंने सुनाये। आप सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश उस समय तशरीफ नहीं रखते थे।

श्री अध्यक्ष--

आपने इनको राजा कब से बना लिया।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह है तो राजा ही, कहे राना जाते हैं। तो उन्होंने बहुत शेर पढ़े, मैं सोच रहा था कि यह बजट जो है किस चीज का है, सिंचाई या पी0डब्लू0डी0 या लिट्रेचर के बारे में है, जैसा उनका भाषण था। मान्यवर, पहली सड़क किसने बनाई? मान्यवर, पहली सड़क फरहाद ने बनाई, जो शीरीं का प्रेमी थी। उसने शीरीं के बाप से कहा कि हमारी शीरीं के साथ शादी कर दो तो उसके बाप ने कहा पहले पत्थर की सड़क बनाओ उसके बाद तुम्हारी शादी की जा सकती है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या उसी से मुतास्सिर होकर आप भी कुछ सड़कें बना रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

तो मान्यवर, राना साहब भी फरहाद की श्रेणी में आते हैं। मुझे लग रहा था लखनऊ का कोई पुराना शायर कटौती के प्रस्ताव को पेश कर रहा है।

सबसे पहली बात उन्होंने यह कहीं कि काम का बंटवारा नहीं है। मान्यवर, यह बात सही नहीं है, लेकिन बिलकुल क्लीयर कट बटवारा सम्भव भी नहीं है क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है। इस बात का प्रयास किया जाता है कि जो छोट छोटे काम हैं वे ग्रामीण अभियंत्रण द्वारा ही बनायें जायें, न कि पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा। इसी तरह से जो छोटे छोटे पुल बनाने का काम है वह भी ग्रामीण अभियन्त्रण करे, न कि सेतु निगम। मगर कभी कभी होता यह है कि कहीं पर बड़ा पुल बन रहा है और उस सेतु निगम बना रहा है, पर उसके करीब ही कोई छोटा पुल भी बनना है। यहाँ पर चूंकि सारा सामान आदि सेतु निगम का वहाँ पर होता ही है, अतः वह छोटा पुल भी सेतु निगम से ही बनवा लिया जाता है क्योंकि अगर वही पुल ग्रामीण अभियंत्रण द्वारा बनाया जायगा तो उनको नयें सिरे से अपना सारा सामान आदि वहाँ ले जाना होगा और उसमें व्यय अधिकहोगा।

माननीय राना साहब मुझसे आगरा में, सर्किट हाउस में भी मिले थे, उन्होंनें कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिये थे। एक सुझाव उन्होंने आगरा में रिंग रोड के वारे में दिया था। अच्छा सुझाव था उनका क्योंकि वहाँ की आबादी भी ज्यादा है, फिर वहाँ पर टूरिस्ट बहुत आता है, सारे भारत का का टूरिस्ट ताज आदि देखने को आता है, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि वहाँ पर उस ट्राफिक को, जो आगरा होकर आने जाने वाला हो, उसको अलग कर दिया जाय, शेष को अलग कर दिया जाय और उस दृष्टि से रिंग रोड का सुझाव अच्छा सुझाव है और इस पर हम विचार कर रहे हैं।

जिस पुल के बारे में माननीय राना जी ने कहा वह पुल कान्ट्रक्टर द्वारा बना हुआ है। उस पर काफी दबाव है यह बात सही है। इसके लिये हमने एक्जामिन करने के लिये एक कमेटी बनायी है जिसकी मीटिंग 21 और 22 मार्च, 1984 को हुई थी और इस के बाद मई, 1984 में फिर उसकी बैठक होगी जिसमें भारत सरकार के भी लोग है, सेतु निगम के भी अधिकारी है, वे इस बात को देखेंगे कि किस तरह से उस पुल को उस वक्त के लिये रोका जा सकता है जब तक कि दूसरा पुल निर्मित नहीं हो जाता है। वह यह

भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी खराबियाँ आ गयी है तथा उनको कैसे दूर किया जा सकता है ।पैन्टन ब्रिज की जो बात कहीं है, वह भी एक अच्छा सुझाव है और उसको हम दिखा रहे हैं कि जो पैन्टून हमारे पास है उनस यदि काम चल जाता है तो पैन्टून ब्रिज भी बनवाने पर विचार कर लिया जायगा ।

नियमितीकरण के विषय में भी जो बात कही है, बात ठीक है, पर उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग डेली वेजेज पर भी रखे जाते हैं। बस कारण कुछ कठिनाइयाँ आ जाती है । फिर भी जो खराबियाँ है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अभियन्ताओं के शोषण की बात भी कही गयी और यह कहा कि कुछ लोग आर्म्स लेकर प्रेशर डालकर अभियन्ताओं को मजबूर कर देते हैं अपनी बात को मनवाने के लिये, पेमेंट आदि भी करा लेते है और जो टेन्डर वे देते हैं तो उसको स्वीकार करवा लेते हैं। जब टेन्डर खुलने की बात होती है तो वहाँ कार्यालय में ऐसा लगता है कि कोई लड़ाई होने जा रही है। इस तरह से लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इसके लिए व्यवस्था की गयी कि वहाँ पर पुलिस भी रहे, इसको और भी ज्यादा सुदृढ़ किया जायगा और देखा जायगा कि ऐसे लोगों को एलूमिनेट किया जा सके ।

इसी तरह से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कंट्रेक्टर्स की जो थी, वह की गयी, ताकि वही लोग जो रजिस्टर्ड हो, जिसका पूरा रिकार्ड सरकार के पास और विभाग के पास हो टेण्डर में वही भाग ले सकें। सर्वे के बारे में कुछ सुझाव दिये गये। वह सुझाव बहुत अच्छे सुझाव हैं और उन पर हम अवश्य विचार करेंगे । यह जो अन्तर्राष्ट्रीय जल निगम के बारे में हमारे माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने कहा कि दो साल से इसके ऊपर वार्ता हो रही है, लेकिन इसका जन्म अभी तक नहीं हुआ है। इसका जन्म तो हो गया है लेकिन अभी यह खेलने-कूदने या चलने की अवस्था में नहीं है । इसमें पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार हो गयी है । सारी चीजें जो हैं, भारत सरकार से बातचीत कर ली गयी है चार रास्ते, हमारे जो राज्य सेक्टर है, इसके अन्तर्गत लिया गया। एक तो कतरिया, घाट से रीवलगंज, मथुरा से इलाहाबाद कानपुर से इलाहाबाद, नीमसार से औरीहर तक, इसमें पूरी योजना बना ली है और 11 करोड़ 40 लाख रुपये की एक स्कीम हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार ने इसमें हमारी काफी सहायता दी है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, कितना स.य और लेंगे आप ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 5–7 मिनट सिर्फ ।

यह जो है, इलाहाबाद से हलदिया, मिर्जापुर-चुनार, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर होते हुए जो जाने की बात है, इस तरह, जो इस निगम का कार्य है, वह शुरू हो जाता है । लेकिन इसमें थोड़े से धन की आवश्यकता है । उसके बाद यह सक्रिय रूप से शुरू किया जायगा । माननीय गौरी भैय्या ने यह बात कही कि डैम की पटरियाँ जो हैं, उनको सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिये। बाँध और नहर दोनों जो है, जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इस चीज को और परीक्षण करवा रहे हैं। अगर धन उपलब्ध हो, तो नहर की पटरियों को पक्का किया जा सकता है, इसमें धन की भी कुछ बचत होती है। मार्ग पहले से बने हुए है, लेकिन कहीं कहीं पर कम चौड़े हैं, जहाँ पर स्पेसिफिकेशन पूरा करते है, वहाँ हम इनको ले रहे हैं। मोती लाल देहलवी जी ने अपने एक मकनपुर के बारे में कहा। हमें जो सूचना मिली है, इसमें यह है कि अभी तक इसको फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं मिली है लेकिन इसको दिखवा लेंगे और जो आपने महत्व बतलाया और कोई चीज मंजूर नहीं हुई है, जो माननीय सदस्यों ने वार्ता बातें कहीं हैं, या जिन्होंने नहीं कहा है, वह लिख कर दे दें, ताकि उस पर विचार किया जा सके । मान्यवर, माननीय मोती लाल देहलवी जी ने कहा कि इनके नाम का पत्थर लोगों ने वहाँ से हटा दिये है, वह पत्थर जो माननीय मोती लाल जी के कौमी यादगार है, वह अपने

सही स्थान पर लगा दिये जायंगे। उन पत्थरों को किसी को हटाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने एक नदी पर पुल की बात कही, बहुत से माननीय सदस्यों और माननीय सदस्याओं ने विशेषकर अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में कही, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो उन्होंने समस्यायें बताई हैं, यहाँ पर सारे अधिकारी हैं, वे नोट कर चुके हैं, उस पर कार्यवाही होगी। जिनकी खामोशी जबान बन गयी है, जो नहीं बोल सके वह लिख कर दे दें उस पर जरूर विचार किया जायेगा, क्योंकि उनको प्रिविलेज से वंचित रखा गया है वह बोल नहीं पाये। इसमें हर देव जी का नाम सबसे आगे रहेगा और सब की समस्या का समाधान किया जायेगा। जिला समिति को और मजबूत किया गया है। गया है। इसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है। अन्त में एक बात कहना चाहता हूं भूमि अधिग्रहण के बारे में। यह बहुत महत्वपर्ण बात है। हमारे माननीय सदस्य विद्यासागर नौटियाल ने पर्वतीय अंचल में बन भूमि के बारे में जो बात कही वह भी महत्वपूर्ण है। इससे जो निर्माण कार्य होता है, या दूसरे कार्य होते है, उनमें काफी अवरोध होता है। उसके अन्दर इजाजत तथा फारमेल्टी आदि मिलने में काफी समय लगता है। इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि इसको अधिक से अधिक आसान बनाया जाय। इसमें भारत सरकार की इजाजत मिल सकें इस पर विचार किया जा रहा है हर जिलें में अलग से सेल बनाकर किस तरह से उसको क्रियान्वित किया जाय, इस पर विचार किया जा रहा है। किस प्रकार से लैण्ड अधिग्रहण का काम जल्दी हो सके और हमारी सड़कों का निर्माण तथा दूसरे काम जल्दी हो सकें।

सहारनपुर में एक ओवर हेड ब्रिज बनाने की बात कही गई, इसके लिये भारत सरकार को लिखा जायेगा। काफी माननीय सदस्यों ने अपनी समस्याओं के बारे में कहा उस पर विचार किया जायेगा। इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर अपने तमाम माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया और हिस्सा लेने का इरादा रखते थे और जो समय के अभाव के कारण नहीं बोल सके और सुना, यह कठिन काम था, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आश्वासस्त करता हूं कि उनकी समस्याओं पर गौर करेंगे। जो नहीं बोले हैं, वह लिख कर दे दें। मैं समझता हूं कि जब इतना एकोमोटेडेट करने का वातावरण बना है, माननीय विजय सिंह जो प्रधानाचार्य है, और मैं भी उसी पेशे का हूं, पेशे का ख्याल रखते हुए और हमारे पुराने दोस्त है, उन्होंने शेर के जरिये इस कटौती के प्रस्ताव को रखा है, वही शेर बोलते हुये वह इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक छोटी बात जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं बोला नहीं अगर चाहता तो बोलता। मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि सबसे पहली सड़क का निर्माण फरहाद ने किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सड़क पर सबसे पहले चलने वाली शीरी कौन थी।

श्री अम्मार रिजवी—

सड़क नहीं नहर।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि जहाँ टेन्डर होता है रायफल लेकर लोग पहुंच जाते है। ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है, ताकि ऐसी घटना न हो। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जिले में नेशनल हाईवे का टेन्डर निकल रहा था पी0 ए0 सी0 लगी थी वहाँ टेन्डर डालने वाले बन्दूक लेकर गये और पी0 ए0 सी0 के लोग कह रहे थे कि इनको नीचे लिपा लीजिये। दूसरी चीज यह बता दूं कि ऐसे लोग जो टेन्डर लेते है, सामान सप्लाई नहीं करते हैं। 1/3 सामान सप्लाई करके पूरा पेमेंट ले रहे हैं। 1/3 सामान सप्लाई करते है और उसी से सड़क का निर्माण होता है, जिससे उसकी क्वालिटी गिरती है। इसके लिये कौन सा समुचित प्रबन्ध करने जा रहे हैं, जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

ऐसे तत्व न आने पायें क्योंकि वह लोग रजिस्टर्ड भी हो गये हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैने कई बार इस माननीय सदन में सार्वजनिक हित की बात की है कि यह विधान सभा और दारुलशफा जाने में, जो बीच में चौराहा है वह बड़ा ही खतरनाक है। कभी दुर्घटना हो सकती है ट्रैफिक सिपाही का भी कोई कहना नहीं मानता। मान्यवर, कई बार कहा कि ओवर ब्रिज बनाया जाए। कृपया मनानीय मंत्री जी बता दें कि वह ओवर ब्रिज बनाने की स्थिति में है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सब नोट करते जाइए एक साथ सब का उत्तर दे दीजिए गा।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय देहलवी जी को आश्वासन दिया कि उनके नाम के पत्थर या बोर्ड दिन सड़कों पर लगे थो उनको फिर से लगवा देंगे। मान्यवर जनताँ पार्टी के जमाने में ऐसी कई सड़कें है जहाँ जनता पार्टी के विधायकों के नाम के बोर्ड लगे हुए थे तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो विधायक के नाम के पत्थर उखड़वा दिये गये हैं उनको पुनः लगवा देंगे।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(शोर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, क्षेत्र में बाढ़ आती है गाँव के गाँव डूब जाते है सड़कें नीची हैं सड़कों को ऊंचा नहीं कराते है पुल नहीं बनाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुल बनाने की व्यवस्था करेंगे ?

(शोर)

श्री अम्मार रिजवी--

सारी चीजों के स्पष्टीकरण मैने दे दिए थे एक प्रक्रिया यह रही थी कि जिस व्यक्ति का भाषण समाप्त हो जाए तो प्रश्न उपस्थित कर दें लेकिन आपके आदेश का पालन किया जाएगा। मान्यवर, ओवरब्रिज की बात माननीय देहलवी जी ने कही, वहाँ चौराहा क्रास करते समय वाकई में कठिनाई होती है। इसका प्राविधान किया जाएगा। दूसरी बात पत्थर की कही गयी सारे प्रदेश में हटा दिये गये इन्होंने एक निश्चित जानकारी थी वह बता दिया। मोतीलाल देहलवी जी का पत्थर इसलिए लगवा दिया जाएगा कि वह दूसरी जगह न लगा दिया जाए दूसरी जगह का मसला है इसलिए लगा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,29,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,51,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) में सम्पर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,14,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) में सम्पर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,11,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,56,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(थपथपाहट की आवाजें)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मुझे नियम 51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से मैंने श्री मोहन सिंह की सूचना जो कानपुर में देशी शराब के ठेके की नीलामी में एक मुश्त धन जमा न किये जाने पर भी ठेका दे दिये जाने के संबंध में है, को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

जनपद उन्नाव के हसनगंज थाने के निकट कुछ गुण्डों द्वारा दैनिक जागरण के सम्वाददाता श्री राम नरेश सिंह की पिटाई के फलस्वरूप पत्रकारों में असन्तोष के संबंध में वक्तव्य

सूचना—राज्यमंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम नरेश सिंह कुछ दिन पूर्व प्रगतिशील पूर्व माध्यमिक विद्यालय, भरहा, सम्सपुर, हसनगंज, उन्नाव में सहायक अध्यापक थे। उन्होंने माह अक्टूबर-नवम्बर, 83 में सहायक अध्यापक पद से त्याग-पत्र दे दिया था। विद्यालय से त्याग-पत्र देते समय उनका एक माह का वेतन बकाया था। इस बकाया वेतन के भुगतान के विषय को लेकर उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं श्री राम नरेशसिंह में आपस में काफी विवाद था।

दिनाँक 10—3—84 को लगभग 4-30 बजे श्री राम चरण सिंह, प्रधानाध्यापक तथा श्री राम नरेश सिंह के बीच कुमार मेडिकल स्टोर पर तकरार हुई जिसमें दोनों मारने पीटने पर आमादा हो गये। दुकानदार ने दोनों को समझाकर शान्त किया। इस संबंध में श्री राम नरेश सिंह की सूचना पर 10—3—84 को थाना हसनगंज पर असंज्ञेय अपराध 323/504/506 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इसी दौरान श्री राम चरण सिंह, प्रधानाध्यापक की सूचना पर दिनाँक 10—3—84 को ही

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थाना हसनगंज पर असंज्ञेय अपराध धारा 323/504 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

यह कहना सही नहीं है कि समाचार पत्र के माध्यम से जनपद के पुलिस एवं अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उछालने के कारण असामाजिक तत्वों ने राम नरेश सिंह पर आक्रमण किया। यह भी कहना सही नहीं है कि पत्रकार थाने की ओर भागे और उनका थाने के दरवाजे तक पीछा किया गया और जम कर पिटाई की गई। जो कुछ भी घटना हुई वह कुमार मेडिकल स्टोर पर हुई जो कि थाना हसनगंज से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर है। दोनों पक्षों की सूचना के आधार पर थाना हसनगंज में अपराध पंजीकृत हुये जो असंज्ञेय अपराध हैं फिर भी मारपीट का होना सही नहीं पाया गया। अतः इसमें किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी मयी।

इस घटना के कारण प्रदेश के पत्रकारों में किसी के प्रति कोई क्षोभ या अविश्वास की भावना नहीं पाई गई।]

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री गौरी शंकर भैय्या यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने मुझको कुछ लिख कर भी नहीं दिया है। जिसने प्रस्ताव किया है, वही नदारत है तो स्पष्टीकरण कौन माँगेगा। अतः स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

फतेहपुर सीकरी (आगरा) क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करने हेतु एक समितिगठित किये जाने का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री बदन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन शासन को निर्देश देता है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में हजारों पत्थर तोड़ने वाले मजदूरो की पत्थर-रज व क्रिच से उनके स्वास्थ्य एवं आयु पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करने हेतु शासन एक समिति गठित करे।

मान्यधर, हमारे जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी का क्षेत्र एक विश्वविख्यात क्षेत्र है। मान्यवर, इस स्थान को अकबर ने 14 वर्ष तक देश की राजधानी बनाया था। मान्यवर, आज यह क्षेत्र गरीबी के घरे में है। वहाँ के रहने वाले पत्थर का काम करते ह। और कोई काम वे वहाँ रोजी के लिये नहीं पाते है। उनको अपनी रोजी कमाने के लिये पत्थर तोड़ने का कठोर और कठिन कार्य करना पड़ता है। मान्यवर, यह पत्थर तोड़ने का कठिन और कठोर कार्य कटूपूरा, कोरई, खेड़ा, भड़कौल साँधा, बहरावती, निनबापा, धुरामना, मण्डी गुड़, मण्डी मिर्जा खां, लाल दरवाजा, चुरियारी, पतसाल, सोनोही, तेहरावती, जहाँनपुर, खोड़ाभोपुर, जौताना, डाबर, सिरौली, नगला सराय, रसूलपुर, सुरौठी और फतेहपुर सीकरी स्वयं इस प्रकार मान्यवर, लगभग 30 गाँव यह पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। धरती और आकाश के बीच में बड़ी कठिनाई के साथ वह काम करते हैं। इस कठिन कार्य को करने से उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनके आयु पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। एक तो यह कि जब यह मजदूर पहाड़ से इस पत्थर को अलग करते हैं तो गोला-बारूद का इस्तेमाल करते है, जिससे पत्थर एकदम गिर जाता है, फलस्वरूप कभी कभी ऐसा होता है कि सैकड़ों मजदूर इसमें दब जाते हैं और उनको अकाल मृत्यु हो जातीहै। मजदूरों को व्यापारियों की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। और न ही पेंशन श्रम विभाग द्वारा उन लोगों को दी जाती है। ये मजदूर इस पत्थर से गिट्टी और चक्की बनाते है। फतेहपुर सीकरी में यह काम होता है और पूरे देश में चक्की बन वन कर भेजी जाती है। मजदूर जब इस गिट्टी को बनाते है तो पत्थर के बीच उचट उचट कर नाक, कान, आँख, हाथ और पैरों में लगती है तो उनके अंग भंग हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्थर बनाने वाली छैनी भी उनके शरीर के अवयवों में टूट टूट कर घुस जाती है। अंग भंग होने पर छेद हो जाते हैं, जिससे उनके कान, नाक और आँख में कुप्रभाव पड़ता है और शरीर के विभिन्न अंगों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। इन पत्थर मजदूरों को व्यापारी लोग कोई सहायता नहीं देते है और न ही कोई स्वास्थ्य का उपचार ही किया जाता है। इनकी कोई

डाक्टरी नहीं होती है।

श्रीमन्, सबसे खतरनाक चीज पत्थर के मजदूरों के लिये है पत्थर की रज। जब वह छैनी से पत्थर को तोड़ता है तो उसकी रज उसके नाक, और मुंह के द्वारा उसके आमाशय में चली जाती है और उसका आमाशय खराब हो जाता है, फलस्वरूप मजदूर को टी0 बी0 का शिकार होना पड़ता है। मैंने फतेहपुर सीकरी में जिनगाँवों के नाम लिये हैं, उन गाँवों में 10–10 और 12–12 साल के बच्चे इस कार्य को करते हैं। ये लोग केवल 30–40 साल तक इस कार्य को कर पाते है। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और जिन बच्चों की उम्र 20–25 साल की होती है, वे लोग 60–70 साल के जैसे लगते हैं। आज इन लोगों की आयु औसतन घट कर 30 वर्ष रह गई है। इन लोगों के लिए कोई भी चिकित्सा व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग धरती और आकाश के बीच चाहे वह गर्मी हो, सरदी हो और चाहे बरसात हो, ये लोग काम करते रहते है, फलस्वरुप इन्हें कई घातक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि श्रम विभाग उनके लिए इन सभी चीजों की व्यवस्था करें। व्यापारी लोगों को इन मजदूरों की कभी भी हित की चिन्ता नहीं रहती है।

श्रीमन्, देखने में आता है कि इन मजदूरों की 90 फीसदी विधवायें असहाय हैं। इन के कुछ मुहल्लों के नाम मैं आपको बताता हूं। शिवपुरी, फीलीखाना, पीर की पटिया, मुड़िया खेड़ा, मुत गली और काँदोबारऊं आदि मुहल्ले हैं। मान्यवर, जहाँ तक कि 90 प्रतिशत महिलाएं अपनी असहाय अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अकेले शिवपुर मोहल्ले में सात सौ विधवाएं है और करीब 14 सौ वहाँ के असहाय और मासूम छोटे छोटे बच्चे है जिनको टी0 बी0 रोग हो गया है और इस टी0बी0 के रोग के कारण यह दशा हो गयी है कि जिन गाँवों का नाम मैंने इस सम्मानित सदन में लिया है, उन गाँवों में किसी भी स्थान का व्यक्ति, उन मजदूरों के यहाँ शादी नहीं करना चाहते है और यदि कोई शादी कर भी देता है, तो उन मजदूरों के बच्चे पैदा नहीं होते है, यदि किसी तरह से बच्चे पैदा भी हो जाते है तो वह बच्चे इतने कमजोर होते है, कि वह 10–12 साल की उम्र मेंही टी0 बी0 रोग के शिकार हो जाते है तो इस तरह से वहाँ की स्थिति के कारण वहाँ के मजदूरों को, उनकी पत्नियों और उसके बच्चों को टी0 बी0 रोग का शिकार बनना पड़ता है।

फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में 10 प्रतिशत बालक, 15 प्रतिशत महिलाएं और 75 प्रतिशत जवान व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं और यहाँ की स्थिति के कारण उनमें से अधिकाँश की असामायिक मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को वह प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा हूं कि वहाँ के मजदूरों की क्या आर्थिक दशा है। मैं इस आदरणीय सदन को बताना चाहूंगा कि उनको मजदूरी कितनी मिलती है। 18 इंच की गोलाई और 5 इंच का मोटाई का जो पत्थर होता है जोगिट्टा होता है, जो आटा पीसने की चक्की होती है, उसकी बाबत उसे केवल 11 रुपए 35 पैसे मिलता है, जिसमें से वह पत्थर बनाने वाली छैनी की खुटाई के लिये डेढ़ रुपया खर्च करता है। और इन पत्थर की जो गिट्टी (दोनो गिट्टे) की लागत होती वह मान्यवर, केवल 42 रुपए पड़ती है और वहाँ के ब्यापारी इसको 80 से 100 रुपये में बेचते है इस तरह से यह पूरी तरह से उनका शोषण हो रहा है। मैं कहूंगा कि कम से कम उसको इस मजदूरी का 25 रुपया अवश्य मिलना चाहिये, लेकिन वह उसको नहीं मिलता है, आपका श्रम विभाग इतना उदासीन है, वहाँ समय समय पर वहाँ के मजदूरों ने जब हड़ताले की है, जब अपनी मजदूरी की बाबत आवाज उठायी है, जब उन्होंने अपनी आय बढ़ाने की बात कहीं है, तो मान्यवर, श्रम विभाग वहाँ जाकर व्यापारियों से मिल जाता है और व्यापारियों से मिलने के कारण उनकी हड़तालें कुचल दी जाती हैं, उनको दबा दिया जाता है। उनकी हड़तालों को खत्म कर दिया जाता है। पुलिस के बल पर उनकी हड़ताले खत्म कर दी जाती है और पुलिस के बल पर, उन मजदूरों को, जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये, अपने स्वास्थ्य के लिये, अपने उचित हक के लिये बात कहते है, उनको दबा दिया जाता है और इस तरह से वह मजदूर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी है।

इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह पत्थर के व्यापारी वहाँ पर एक तरफ तो मजदूरों के भूखे पेटों को नहीं देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ आपके टैक्स की चोरी भी करते हैं अपनी फर्मों के नाम बदल देते हैं और फर्मों के नाम बदलने के कारण वह सरकार की आय राजस्व की वह बराबर चोरी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वह सरकारी खजाने को धोखा दे रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूरों के पेटों पर वह ठोकर मारते हैं ,लातें मारते हैं, इस तरह से यह मजदूर असहाय अवस्था में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन मजदुरों की विधवाएं जो हैं वहाँ पर उनके लिए कोई दूसरा कार्य नहीं है, वे इसी व्यवसाय में लगी हुई है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भारतीय संविधान की धाराओं का भी घोर उल्लंघन है, जिसमें भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह लिखा हुआ है कि 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों से और महिलाओं से कोई भारी भरकम ऐसा काम नहीं लिया जायगा जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है।

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में इसका उल्लंघन बराबर वहाँ के बच्चों और स्त्रियों से, इस तरह का काम लिया जा रहा है, न तो उन व्यापारियों की तरफ से जो पूंजीपति हैं, उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और न आपकी गवर्नमेंट की तरफ से उन पर कोई ध्यान दिया जाता है। वे बिल्कुल असहाय है और अपनी मौत मर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मान्यवर, यह कहना चाहूंगा कि यह पत्थर मजदूर ऐसी जीवन यापन करते हुए, वह इस शासन से, जो लोकतंत्रात्मक शासन आज कल चलता है, उनसे यह माँग करते हैं उनसे यह अपेक्षा करते है, उनसे आशा करते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिये, उनकी आयु के लिये, लम्बी आय देने के लिये, कुछ उनके साथ में सहयोग किया जाय। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि उनकी आय के लिये क्या किया जा सकता है और उनके स्वास्थ्य के लिये क्या किया जा सकता है। शासन इस प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था करे जो उपकरण पत्थर रज को उनके नाक और मुंह में जाने से रोक सकें। इसके साथ ही साथ समय समय पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के स्वास्थ्य का परीक्षण मेडिकल जाँच होनी चाहिए और ऐसी जाँच के पश्चात उसको 15–20 दिन तक दवायें मिलनी चाहियें।

मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वहाँ पर 20–25 वर्ष का जवान व्यक्ति हो, उसकी

[समय 5 बजकर 25 मिनट]

आयु 60–70 वर्ष की लगती है। इसका कारण यह है कि उनको पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलता है। श्रम विभाग की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जहाँ उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, उनके लिये दवाइयों की व्यवस्था की जाय, वहीं उनके लिये पौष्टिक आहार की भी व्यवस्था होनी चाहिये। सवाल यह पैदा होता है कि फिर पत्थर तोड़ने का काम कौन करेगा। इसके लिये सुझाव देता हूं कि इस कार्य को मशीनों द्वारा समाप्त कराया जाना चाहिये। मैंने देखा है कि राजस्थान में पहाड़ों से पत्थर अलग किया जाता है और सीमेण्ट और दूसरे मसाले जो पत्थरों से निर्मित होते है, मशीनों द्वारा पीसे जाते है। इस प्रकार से अगर किया जाय तो यह उद्योग बन्द नहीं हो सकता है। इसके साथ ही एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि फतेहपुर सीकरी में अगर कोई वैकल्पिक उद्योग नहीं होगा तो इन लोगों के उदर की पूर्ति कैसे होगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बदन सिंह जी, संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री बदन सिंह—

ठीक है, मान्यवर।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो पत्थर के रोजगार में लगे हुए मजदूर है फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पर खेती की कमी नहीं है, लेकिन खेतिहर मजदूर भी, जिनके पास दो-दो, चार-चार बीघा जमीन है, वे भी इस पत्थर की मजदूरी में लगे हुए है क्योंकि वहाँ पर खेती करने के लिये जल और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आप वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कर दीजिये, जिसके लिये कि राजकीय नलकूप लगा दिये जायं, नहरें निकाल दी जायं, तो उनको वैकल्पिक उद्योग मिल जायगा और वह अपनी जीविका अर्जित कर सकेगा। इसके साथ ही माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मानव जीवन से सम्बन्ध रखने वाले इस विषय पर आप विचार करें।

*श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में इस समय लगभग 30 लघु इकाइयाँ है, जिसमें 2500 इस कार्य को करते है, जिसके बारे में माननीय सदस्य बदन सिंह जी ने कहा। मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि जो उनकी इस समय कार्य दशा है, उसमें उनकी सुरक्षा का और कड़ा इन्तजाम करना आवश्यक हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उससे भी सहमत हूं कि एक समिति गठित कर दी जाय। इस पर जहाँ तक विचार विमर्श का सवाल है, माननीय सदस्य बदन सिंह जी ने विस्तृत रूप से पूरी जानकारी दे दी हैं कि वहाँ के श्रमिक इस समय किस स्थिति में कार्य कर रहे हैं। इसके बारे, में श्रम विभाग भी कुछ जानकारी रखता है लेकिन इनके सुझावों का सम्मान करता हूं मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में एक घण्टे की चर्चा स्वीकृत की है, लेकिन जो इनका मुख्य सुझाव है कि एक समिति गठित की जाय, उससे श्रम विभाग सहमत है। और हम लोग 4 सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय ले रहे हैं जिसमें चिकित्सा विभाग का एक प्रतिनिधि होगा, एक स्वास्थ्य और फेफड़े का विशेषज्ञ होगा, एक श्रम विभाग का प्रतिनिधि होगा और एक जिला प्रशासन का प्रतिनिधि होगा। विशेषज्ञों को इस लिये इसमें रखा गया है कि वे वहाँ जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी वर्किंग कंडीशन क्या हैं और कैसे श्रमिकों को राहत पहुंचाई जा सकती है।

जैसा माननीय सदस्य ने शेड के संबंध में बात कही हैं, उसके लिये टीन आदि का शेड डलवाने की व्यवस्था की जायगी कि जिससे गर्मी में धूप से और बरसात से पानी से जो वे लोग प्रभावित होते है, उससे उन श्रमिकों को राहत मिल सके। साथ ही साथ आँख में जो पत्थर तोड़ने से उन लोगों की आँख में उसका चूरा चला जाता है तो सेवा योजक जो काम करते हैं, श्रम विभाग इस बात पर बल देता हैं कि उनके लिये चश्में की व्यवस्था की जाय। यह चश्मा वह होगा जो कि लोग वेल्डिंग आदि का काम करते समय आँख के बचाव के लिये इस्तेमाल करते है, तो यह चश्मा उन्हें दिया जायगा।

जहाँ तक मशीनों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है तो वहाँ पर इकोनामी को देखते हुए, वहाँ की अर्थ व्यवस्था को देखते हुए वैसे तो मशीनों से कार्य कराना प्रारम्भ किया जा सकता है लेकिन इससे वहाँ के श्रमिकों के सामने रोजी और रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायगी, इसलिये इस परिस्थिति में सुधार लाने का अवश्य ही प्रयास किया जायगा लेकिन वहाँ पर काम करने के लिये मशीनों को पहुंचा देना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब होगा, यह बात श्रमिकों के तहत में नहीं होगी।

श्री बदन सिंह जी ने वहाँ पर उद्योग लगाने की जो बात की है तो मान्यवर, वह क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पर ताजमहल वगैरह ऐतिहासिक इमारतें है इसलिए वहाँ पर उद्योगों की स्थापना जरा कठिनाई से होती है वहाँ के इनवायरमेन्टल सेट अप के कारण पुरानी ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वह हमारे भारतवर्ष की शान हैं। इसलिये वहाँ पर नये और बड़े उद्योगों को स्थापित करने में कठिनाई होगी, लेकिन इस पर जरूर विचार किया जा सकता है कि ब्लाक खंडों पर, तहसील स्तर पर छोटे उद्योग स्थापित किये जायं जिससे श्रमिक अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बातें सदन के सामने रखी है, तो माननीय सदस्य बदन सिंह जी इन बातों से संतुष्ट होंगें, इसमें शासन किसी तरह से कोई कमी नहीं रखेगा, पूरी तरह से प्रयास किया जायगा कि श्रमिकों को सुरक्षा प्राप्त हो और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि वहाँ उन लोगों में क्षय रोग बहुत हो जाता है, यह बात सही है कि पत्थर की डस्ट से, धूल से जो कि साँस के साथ उनके शरीर के अन्दर चली जाती है, यह बीमारी अधिक श्रमिकों को हो जाती है क्योंकि वहाँ के वातावरण में धूल ही धूल होती है। जब शेड की व्यवस्था हो जायेगी तो वहाँ पर पानी के छिड़काँव पर भी बल दिया जायेगा जिससे कि धूल की उड़ान में कमी आयेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहाँ तक न्यूनतम वेतन की बात कही गयी है, तो वहाँ पर श्रमिकों की 10 रु0 प्रति दिन के हिसाब से मिल रहा है। यह जो पत्थर का गिट्टा होता है यह 25 क्यूविक फीट या 25 घन फिट पर 5 या 6 रु0 के हिसाब से मिलता है। एक श्रमिक लगभग 50 घन फुट तोड़ लेता है तो इस तरह से उनको 10 रु0 के करीब पड़ जाता है लेकिन अगर उसकी यह अवधि 8 घंटे से अधिक बढ़ जाती है तो श्रम विभाग इसको देख कर फिर कानूनी कार्यवाही करने पर विचार करेगा।

इसके लिय जरूरी यह है कि श्रम विभाग के अधिकारी, आयुक्त और इंसपेक्टर वगैरह जब वहाँ जायेंगे तो वहाँ के श्रमिकों को इन सब बातों के बारे में विस्तार से उन्हें जान कारी देनी होगी कि जब भी कोई बात आये तो हम माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे क्योंकि वे उस क्षेत्र के है और यहाँ पर उन्होंने इस मसले को उठाया है, तो इससे वे शासन को जरुर अवगत करायें। वे सुनिश्चित कर लें कि किसी प्रकार से श्रमिकों का शोषण नहीं होगा। इन शब्दों के साथ एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि जब विस्तृत रुप से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रख दी है और शासन तथा श्रम विभाग उनकी बातों पर सहमत है और निर्णय लेने जा रहा है कि एक 4 सदस्यीय समिति गठित हो और जब वह सर्वेक्षण कर लेगी और शासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो उसके आधार पर भी आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र——

मान्यवर, कोरम का अभाव है।

(कोरम की घंटी बजायी गयी)

श्री विजय सिंह राना——

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष——

चूंकि कोरम की घंटी बज रही है, अतः कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता है।

(लगातार 5 मिनट तक घण्टी बजने पर भी कोरम पूरा न होने पर)

श्री अध्यक्ष——

अब हम कोरम के अभाव में उठते है और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

28 मार्च, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

क्रम सं0	सामान की सूची	मात्रा	मूल्य (रु0)
1	सिलाई मशीन	1	300..00
2	दरियाँ	2	180. 00
3	बाल्टी लोहा	2	57 90
4	भगौना पीतल	1	148·00
5	ड्रम	2	200·00
6	स्टूल लकड़ी	1	50.00
7	डेस्क लकड़ी	1	
8	कटोरियाँ स्टील	30	354.00
9	गिलास स्टील	30	300.00
10	कढ़ाई लोहा	1	65.00
11	रजिस्टर	30	110.00
12	ऊन	3 किलो	384.00
13	कपड़ा	51 मीटर	293.00
14	घुंघरु पीतल	2	54.00
15	मुजरे पीतल	2	14.00
16	ढोलक	1	35.00
17	टाट पट्टियाँ	20 मीटर	130.00
18	वजन तौलन की मशीन	1	मुफ्त यूनीसेफ
19	चार्ट	15	105.00
20	बोर्ड	1	40.00
21	श्यामपट	1	70.00
22	क्रेम लकड़ी की गढ़ाई का	12(एक सेट)	8.50
23	स्लेटें	50	92.00
24	आलमारी लकड़ी की	1	150.00
25	कोर्ड वजन आदि		मुफ्त
26	हिन्दी प्रवेशिकाएं	30	33.00
27	चमचा बड़ा स्टील का	1	15.00
28	चमचे छोटी	30	37.00
29	स्टील बाक्स	1	99.00
30	क्रेम गिनती	1	42.00
31	जग	1	10.00
32	तराजू बाँट सहित (कन्टरबलेंस)	1	270.00
33	लालटेन	6	114.00
34	झण्डा	1	3.90
35	स्टोव	1	48.00
36	चाक कोट बत्ती	10 पैकेट	20.00
37	पुरस्कार पर व्यय (शुरु से अब तक)		----------
			3,833.30
		योग	5,171.00
			9,004.30

नोट—कोटी ग्राम में 0 80 लाभायी औसतन प्रत्यैक माह लाभ प्राप्त कराते है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

देवरिया जनपद के वर्ष 82–83 तक लगाए गये राजकीय नलकूपों का विवरण

क्रम-सं0	ब्लाक का नाम क्षेत्र	82–83 तक लगाए गये (छिद्रित) नलकूपों की संख्या	परित्यक्ता बन्द नलकूपों की सं0	असफल नलकूपों की सं0	निमार्णा-धीन नलकूपों की संख्या	बी0एल0 फार्म प्रेषित नलकूपों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौरी बाजार	57	2	1	3	..	
2	बैंतालपुर	50	..	2	3	2	200,212 दे0सं0
3	रुद्रपुर	26	..	1	6	..	
4	देसही देवरिया	16	..	..	..	..	
5	देवरिया	52	1	..	2	1	213 दे0स0
6	रामपुर कारखाना	16	..	..	1	..	
7	पथरदेवा	19	1	..	1	..	
8	शुकरौली	12	2	..	..	..	
9	हाटा	12	2	..	..	..	
10	मोती चक	10	1	1	1	..	
11	कप्तानगंज	8	..	..	1	..	
12	रामकोला	7	3	..	2	..	
13	खड्डा	4	1	..	1	1	(42 डाटा)
14	विशुनपुरा	3	..	..	3	..	
15	पड़रौना	22	2	..	1	..	
16	कसया	31	3	..		..	
17	दुघई	3	1	..	..	..	
18	तमकुही	21	7	..	1	..	
19	फाजिलनगर	12	1	..	..	..	
20	सेवरही	3	1	..	..	..	
21	सलेमपुर	73	..	1	1	1	377 स0स0
22	लार	44	..	..	3	..	
23	भटनी	32	..	1	1	..	
24	भखुअनी	73	..	2	3	1	(359 स0स0)
25	भागलपुर	51	..	..	3	..	
26	बरहज	45	..	..	3	1	(380 स0स0)
27	भाटपाररानी	34	..	..	3	1	(344 स0स0)
28	वनकटा	29	..	1	..	1	(379 स0स0)
	योग	765	28	10	44	9	

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

क्रमांक	जिला पौड़ी में निर्माणाधीन मोटर मार्गों का नाम	स्वीकृति का विवरण		निर्माणाधीन लम्बाई कि0मी0	स्वीकृत लम्बाई का अवशेष कि0मी0	अवशेष भाग की सम्भावित निर्माण तिथि
		तिथि	लम्बाई कि0मी0			
1	2	3	4	5	6	7
1	चौबटाखाल–गवाड़ी–धोखड़ा	27–12–74	29.30	29.30	..	..
2	चैलूसैण–सिंगटाली	31–1–75 एव 5–2–79	50.00	50.00	..	..
3	रिखणोखाल–वीरोखाल–जोगीमढ़ी–थलीसैण	23–8–76 एवं 29–2–80	100.00	39.50	60.50	7 वर्ष
4	रिखणोखाल–छानोखाल–अन्द्रोली	3–2–79, 21–4–80 7–12–83 एवं 2–1–84	19.00	6.00	13.00	3 वर्ष
5	सिसल्डी–सतपुली (सिसल्डी की ओर से)	11–3–81	10.00	10.00	..	..
6	सतपुली –सिसल्डी (सतपुली की ओर से)	7–12–83	5.00	..	5.00	वनभूमि मिल जाने के दो वर्ष बाद।
7	विजोरापानी–कुंजखाल	3–2–79	2.00	2.00	..	..
8	विजोरापानी कुंजखाल–सिमलीखाल	11–3–81	10.00	5.25	4.75	जून, 1986
9	दुघारखाल–ताड़केश्वर	11–3–81	6.00	3.00	3.00	जून, 1986

10	चैलूसैण देवीखेत	31–1–80 एवं 30–4–82	10.00	10.00	..	..
11	दुधारखाल–धारकोट	7–12–83	3.00	..	3.00	3 वर्ष
12	धारकोट–दुधारखाल	7–12–83	3.00	..	3.00	3 वर्ष
13	जाखणीखाल–व्यासघाट	30–4–82	4.00	4.00	..	..
14	दुगड्डा–रघुवाढाव–नैनीडाँडा	31–1–75 एवं 29–2–80	93.00	75.00	18.00	4 वर्ष
15	काँडी–लक्ष्मणझूला	23–8–76 एवं 23–4–83	50.00	48.375	1.625	जून, 1985
16	पोखाल–भवासी	9–2–79, 11–3–81 21–4–80 एवं 2–1–84	23.00	13.50	9.50	3 वर्ष
17	नालीखाल–वंचुरी	11–3–81	10.00	7.00	3.00	मार्च, 1986
18	डोडामण्डी–द्वारोखाल	11–3–81 एवं 7–12–83	12.00	8.00	4.00	जून, 1986
19	डौडियाल चपडेथ–वसरा	31–3–80 एवं 30–4–82	10.00	9.25	0.75	जून, 85
20	एमकेश्वर लिंक मार्ग	7–12–83	3.00	..	3.00	2 वर्ष
21	रामनगर–लालढांग–कालागढ़–कोटद्वार (जिला पौड़ी प्रभाग)	23–8–76 एवं 30–4–83	25.00	21.00	4.00	मार्च, 1985
22	कोटद्वार–रामनगर	11–3–81	45.00	3.50	41.50	4 वर्ष
23	कण्वाश्रम–पोखाल	11–3–81	10.00	0.25	9.75	वन भूमि मिलने के तीन वर्ष बाद।
24	कण्वाश्रम सिमलना नाथूखाल	7–12–83	3.00	..	3.00	3 वर्ष
25	कौडिया–किमसार	31–3–80 एवं 30–4–82	11.00	4.00	7.00	वन भूमि मिलने के तीन वर्ष बाद।

1	2	3	4	5	6	7
26	पुलिण्डा–काँडाखाल	11–3–81 एवं 30–4–82	10.00	5.00	5.00	वन भूमि मिलने के दो वर्ष बाद।
27	कोटद्वार–रतनपुर–सुखरो देवी	2–1–84	2.00	..	2.00	2 वर्ष
28	कोटद्वार–पुलिण्डा	9–12–77 एवं 30–4–82	6.50	6.50	..	..
29	बैजरों–चौखाल–उपरईखाल बूंगोधार देवघाट	27–12–74	65.20	39.00	26.20	वन भूमि हस्तान्तरण के तीन वर्ष बाद।
30	पैठाणी–चौकीसैण–त्रिपालीसैण थलीसैण–बूंगोधार–देव घाट।	27–12–74	66.00	7.00	59.00	वन भूमि मिलने के 6 वर्ष बाद।
31	सौपखाल–सुंगरिया	11–3–81 एवं 30–4–82	9.00	7.50	1.50	मार्च, 1986
32	नैनीडाँडा–शंकरपुर	11–3–81	10.00	8.50	1.50	मार्च, 1986
33	कोटला बड़ाडाँडा	30–4–82	5.00	..	5.00	वन भूमि मिलने के दो वर्ष बाद।
34	खात्यूडाँडा अपोली सैरा	30–4–82	3.0	2.00	1.00	जून, 1985
35	बेताल–बौसाल मुंडनश्वर	30–8–83	29.00	29.00	..	..
36	मरोड़ा–व्यासघाट–उमरासू	30–1–80 एवं 12–4–82	12.00	12.00	..	..
37	नाहसैण–बहेड़ाखाल	24–4–80 एवं 30–4–82	8.00	8.00	..	..
38	पौड़ी–ल्वाली	11–3–81 एवं 30–4–82	10.00	10.00	..	..
39	पीपला–टेका	11–3–81	10.00	10.00	..	..
40	बूंगा–साकिनखेत	11–3–81 एवं 30–4–82	6.00	6.00	..	..

41	शूगरखाल–सीकूखाल–ज्वालपादेवी	17–3–80	34.00	30.00	4.00	मार्च, 86
42	पैठाणी–चाकीसैण–चौरा–त्रिपालीसैण–थलीसैण–बूंगीधार–देघाट।	6–3–79	46.30	46.30	..	..
43	खिर्सू–मूसागली–दमदेवल	23–11–79	62.00	47.00	15.00	वनभूमि मिलने के दो वर्ष बाद।
44	पथराड़ाखाल–गेठीछेड़ा (रखून पलोटा अनुभाग)	14–5–80	5.00	3.00	2.00	पुनरीक्षित स्वीकृति के एक वर्ष बाद।
45	डगरीपंथ–छातीखाल	2–4–82	6.00	6.00	..	..
46	कमोल्डी लिंक मार्ग	2–4–82	5.00	5.00	..	..
47	खिर्सू खेडाखाल काँडई खाखरा	2–6–79	38.60	38.60	..	..
48	खिर्सू–पिठुड़ी–हरियाली–नौटी–आदिबद्री	13–1–83	22.00	22.00	..	..
49	उफल्डा–देहलचौरी–पौड़ी	9–2–77, 15–5–80 एवं 22–10–81	13.50	13.50	..	..
50	क्वीसू–सुमाड़ी	21–4–80	5.00	..	5.00	विवाद ग्रस्त सरेखण की स्वीकृति एवं भूमि मिलने के दो वर्ष बाद।
51	पावौ–दमदेवल	15–5–80	5.00	5.00	..	..
52	हुलाकीखाल–कठुली	30–4–82	5.00	..	5.00	वन भूमि उपलब्ध होन के दो वर्ष बाद।

नत्थी "घ"

(देखिय अतारांकित प्रश्न संख्या 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

मेरठ क्षेत्र में माह फरवरी, 1984 में अनुबन्धित बसों की स्थिति

क्रम-सं0	बस सं0	माडल	कम्पनी/फर्म का नाम	अनुबन्धन की पूर्व तिथि	पूर्व में लगी उसी बस मालिक की बस सं0 एवं रिप्लेस की दिनांक
1	2	3	4	5	6
		मेरठ डिपो			
1	यू0आर0जे0 1202	1980	टाटा	5-4-80	
2	यू0आर0जे0 1302	1980	,,	6-8-80	
3	यू0आर0जे0 3025	1980	,,	6-3-80	
4	यू0एच0एन0 108	1983	,,	4-5-82	पूर्व बस सं0 यू0एस0सी0 7820(77) दि0 27-6-83।
5	यू0एच0एन0 205	1983	,,	17-8-82	बस सं0 यू0आर0जे0 9085(81), दि0 6-10-83।
6	यू0एच0डी0 761	1982	,,	1-1-83	
7	यू0आर0जे0 2264	1980	,,	31-12-82	
8	यू0एच0डी0 772	1982	,,	3-1-83	
9	यू0एच0डी0 732	1982	,,	21-2-83	
10	यू0एच0एन0 41	1983	,,	9-6-83	
11	यू0एच0एन0 94	1983	,,	7-7-83	
12	यू0एच0एन0 61	1983	,,	13-7-83	
13	यू0एच0डी0 845	1983	,,	15-7-83	
14	यू0एच0डी0 822	1983	,,	28-7-83	
15	यू0एच0एन0 111	1983	,,	30-7-83	
16	यू0आर0जे0 1137	1980	,,	13-3-80	बस सं0 यू0टी0जी0 5241(75), दि0 2-4-80।
17	यू0आर0जे0 1692	1980	,,	6-3-80	
18	यू0एच0डी0 322	1982	,,	19-10-78	बस सं0 यू0 एस0 सी0 5812 दि0 21-4-82।
19	यू0एच0डी0 212	1982	,,	3-7-82	
20	यू0एच0डी0 574	1982	,,	23-8-82	
21	यू0आर0जे0 9526	1982	लेलेण्ड	6-11-82	
22	यू0एच0डी0 508	1982	टाटा	1-1-83	
23	यू0आर0जे0 8[illegible]5	1980	,,	1-1-83	
24	यू0एच0डी0 990	1983	,,	8-7-83	
25	यू0एच0डी0 991	1983	,,	8-7-83	
26	यू0एच0डी0 952	1983	,,	13-7-83	

1	2	3	4	5	6
27—	यू0आर0एम0 8432	1983	टाटा ,	30–7–83	
28—	यू0एस0वाई0 5801	1978	,,	20–10–78	
29—	यू0एच0एन0 211	1983	,,	19–5–78	पूर्व बस सं0 यू0 टी0 जी0 6975(75) दि0 17–10–83।
30—	यू0एच0एन0 48	1983	,,	15–7–80	पूर्व बस सं0 यू0आर0 जे0 696(77) दि0 2–9–83।
31—	यू0एच0डी0 382	1982	,,	27–5–82	
32—	यू0आर0जे0 383	1978	,,	13–7–82	
33—	यू0एस0सी0 9472	1979	,,	1–1–83	
34—	यू0एस0सी0 7791	1978	,,	5–9–78	
35—	यू0एस0सी0 6611	1977	,,	12–10–78	
36—	यू0एस0सी0 7952	1978	,,	17–10–78	
37—	यू0टी0एल0 7625	1979	,,	5–7–78	पूर्व बस सं0 यू0टी0 जी0 8485(76) दि0 8–5–79 से रिप्लेस की गयी।
38—	य0टी0एम0 1297	1978	,,	24–10–78	
39—	यू0एस0वाई 9082	1980	,,	25–5–81	
40—	यू0एस0वाई0 6005	1978	,,	1–9–78	
41—	यू0आर0जे0 992	1980	,,	6–8–80	
42—	यू0एच0एन0 251	1983	,,	2–11–78	बस सं0 यू0एस0सी0 8072(77) दि0 4–1–84।
43—	यू0एच0एन0 215	1983	,,	3–9–78	पूर्व बस सं0 यू0टी0जी0 5401(75) दि0 2–11–83।
44—	यू0आर0जे0 1412	1980	,,	31–3–82	हरिद्वार डिपो से मेरठ क्षेत्र को 27-3-82 में स्थानान्तरित की गयी
45—	यू0एस0सी0 9982	1979	,,	22–4–82	
46—	य0आर0के0 2336	1980	,,	11–5–82	
47—	यू0आर0जे0 6336	1981	,,	3–7–82	
48—	यू0एस0सी0 9853	1979	,,	2–9–82	
49—	यू0आर0जे0 2041	1980	,,	6–11–82	
50—	यू0एच0एन0 280	1983	,,	31–10–79	पूर्व बस सं0 यू0टी0जी0 5931 (75) दि0 26-12-79 एवं यू0 आर0जे0 361(77) 3-12-83 को रिप्लेस की गयी।
		शोराबगेट डिपो			
51—	य0आर0जे02382	1980	टाटा	21–8–80	
52—	य0आर0जे0 2174	1980	लेलेण्ड	7–8–80	
53—	य0एस0वाई0 8744	1981	टाटा	19–5–81	

1	2	3	4	5	6
54	यू0एच0डी0 363	1982	टाटा	21-7-82	
55	यू0एस0सी0 5871	1977	,,	2–8–82	यह बस पूर्व में 5-4-80 से अनुबन्धित थी दि0 27-6-82 से अनुबन्धन समाप्त कर दिया गया तथा यह बस पुनः 2-8-82 से अनुबन्धित की गयी है।
56	यू0एच0डी0 655	1982	,,	4–11–82	
57	यू0एच0डी0 640	1982	,,	4–11–82	
58	यू0एच0डी0 667	1982	,,	4–11–82	
59	यू0एच0एन0 306	1983	,,	24–11–82	पूर्व बस सं0 यू0आर0 जे0 3152 (80) दिनाँक 4-1-84।
60	यू0आर0जे0 5754	1981	लेलेण्ड	6–11–81	
61	यू0आर0एम0 8031	1982	टाटा	31–12–82	
62	यू0आर0एम0 4193	1982	,,	31–12–82	
63	यू0एच0डी0 646	1982	,,	4–11–82	
64	यू0एच0डी0 765	1982	,,	3–1–83	
65	यू0एच0एन0–11	1983	,,	8–6–83	
66	यू0 एच0 एन0–26	1983	,,	8–6–83	
67	यू0एच0डी0–299	1982	,,	28–2–83	
68	यू0 आर0 जे0–7262	1981	लेलेन्ड	30–4–83	
69	यू0 एच0 एन0–84	1983	टाटा	4–7–83	
70	यू0 एच0 डी0–985	1983	,,	8–7–83	
71	यू0 एच0 एन0–99	1983	,,	11–7–83	
72	यू0 एच0 एन0–104	1983	,,	12–8–83	
73	यू0 एच0 एन0–214	1983	,,	25–11–83	
74	यू0 आर0 जे0–9591	1981	,,	19–6–79	पूर्व बस सं0 यू0 एस0 सी0–9048 (77) दिनाँक 27–1–82 से रिप्लेस की गयी ।
75	यू0-एच0 एन0–242	1983	,,	15–5–79	पूर्व बस यू0टी0डब्लू0–6679 (76) दि0. 14–1–80 यू0 एस0सी0–5552 (77) दिनाँक 18–2–80, यू0 आर0जे0–762(80) दिनाँक 28–11–83 को रिप्लेस की गयी ।
76	यू0 आर0 जे0–2112	1980	,,	26–9–80	

1	2	3	4	5	6
	मुजफ्फरनगर डिपो				
77	यू0 आर0 जे0–1025	1980	टाटा	19–3–80	
78	यू0 आर0 जे0–925	1980	,,	14–3–80	
79	यू0 एच0 डी0–923	1983	,,	26–9–80	पूर्व बस यू0 आर0 जे0–2173 (80) दिनाँक 28–4–83 को रिप्लेस की गयी।
80	यू0 एस0 वाई0–6912	1977	,,	9–11–79	
81	यू0 आर0 जे0–2419	1980	,,	21–8–80	
82	यू0 एस0 वाई0–6191	1978	,,	29–5–79	
83	यू0 आर0 जे0–1304	1980	,,	6–8–80	
84	यू0 आर0 जे0–1303	1980	,,	6–8–80	
85	यू0 एच0 डी0–509	1982	,,	10–8–82	
86	यू0 आर0 जे0–1301	1980	,,	11–11–82	
87	यू0 टी0 एक्स0–7650	1982	,,	24–11–82	
88	यू0 एस0 सी0–5433	1977	,,	18–10–78	
89	यू0 एस0 सी0–8152	1978	,,	3–6–82	
90	यू0 टी0 एक्स0–7662	1982	,,	2–8–82	
91	यू0 टी0 एक्स0–5101	1981	,,	24–11–82	
92	यू0 टी0 एक्स0–5466	1981	,,	24–11–82	
93	यू0 टी0 एक्स0–6456	1981	,,	30–7–82	
94	यू0 एस0 सी0–6698	1977	,,	24–10–78	
95	यू0 एच0 डी0–777	1982	,,	15–1–83	
96	यू0 एच0 डी0–712	1982	,,	9–2–83	
97	यू0 एच0 एन0–35	1983	,,	10–6–83	
98	यू0 एच0 एन0–27	1983	,,	8–6–83	
99	यू0 टी0 एस0–1010	1983	,,	8–6–83	
100	यू0 एच0 एन0–18	1983	,,	9–6–83	
101	यू0 एच0 एन0–121	1983	,,	8–7–83	
102	यू0 एच0 डी0–899	1983	,,	13–7–83	
103	यू0 एच0 डी0–905	1983	,,	13–7–83	
104	यू0 एच0 डी0–987	1983	,,	13–7–83	
105	यू0 एच0 एन0–74	1983	,,	18–7–83	
106	यू0 आर0 एम0–8540	1983	,,	18–7–83	
107	यू0 एच0 एन0–75	1983	,,	12–8–83	
108	यू0 आर0 जे0–4	1979	,,	23–11–79	
109	यू0 एच0 डी0–878	1982	,,	3–9–83	
110	यू0 एच0 एन0–268	1983	,,	24–10–78	पूर्व बस सं0 यू0 एस0 सी0–8035 (77) दिनाँक 7–12–83 से रिप्लेस की गयी।
111	यू0 पी0 पी0–7225	1980	,,	23–8–80	
112	यू0 एस0 सी0–2213	1977	,,	11–8–82	

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,
मेरठ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

ऐसे मार्गों की सूची जिन पर परिवहन निगम की बसें चलती है

मेरठ डिपो

1—मेरठ–लुधियाना	..	दो बसें
2—मेरठ–करनाल	..	दो बसें
3—दिल्ली–सरधना	..	आठ बसें
4—दिल्ली–हस्तिनापुर	..	पाँच बसें
5—दिल्ली–परिक्षितगढ़	..	चार बसें
6—दिल्ली–कैथवाढ़ी	..	एक बस
7—दिल्ली–देहरादून	..	दो बसें
8—दिल्ली–हरिद्वार	..	चार बसें
9—दिल्ली–ऋषिकेश	..	चार बसें
10—मेरठ–देहरादून	..	पाँच बसें
11—मेरठ–दिल्ली	..	उन्तीस बसें
12—मेरठ–पतला	..	एक बस
13—मेरठ–धौलडी	..	एक बस
14—मेरठ–फरीदनगर	..	दो बसें
15—मेरठ–तिवाड़ी	..	एक बस
16—मेरठ–मढ़ी	..	एक बस
17—मेरठ–सतवाई	..	दो बसे
18—मेरठ–रार्धना	..	एक बस
19—मेरठ–खैडा	..	एक बस
20—मेरठ–ज्वालागढ़	..	एक बस
21—मेरठ–करनावल	..	एक बस
22—मेरठ–लोहाडा	..	दो बस
23—मेरठ–निहाली	..	एक बस
24—मेरठ–ललसाना	..	एक बस
25—दौराला–लावड–सरधना	..	तीन बसें

शोराबगेट–डिपो

26—दिल्ली–लखनऊ	..	एक बस
27—मेरठ–लखनऊ	..	एक बस
28—मेरठ–आगरा	..	चार बसें
29—मेरठ–बरेली	..	चार बसें
30—मेरठ–दिल्ली–हल्द्वानी	..	चार बसें
31—मेरठ–दिल्ली–कोटद्वार	..	दो बसें
32—मेरठ–दिल्ली–नगीना	..	एक बस
33—मेरठ–फर्रुखाबाद	..	दो बसें
34—मेरठ–टनकपुर	..	चार बसें
35—मेरठ–लखीमपुर	..	दो बसें
36—मेरठ–काशीपुर	..	एक बस
37—मेरठ–मथुरा	..	दो बसें

38—मेरठ–कोटद्वार .. दो बसें
39—मेरठ–हल्द्वानी .. चार बसें
40—मेरठ–दिल्ली .. पाँच बसें
41—मेरठ–रुद्रपुर .. एक बस
42—मेरठ–पुरानी दिल्ली .. दो बसें
43—मेरठ–किठोर–मवाना .. दो बसें
44—मेरठ–कताई मिल .. चार बसें
45—मेरठ–मऊखास .. चार बसें
46—साबुनगोदाम–रजपुरा .. दो बसें

खतौली डिपो

47—खतौली–बुढ़ाना .. छ बसें
48—खतौली–सरधना–लावड .. चार बसें
49—खतौली–खेरीतगान .. एक बस
50—खतौली–मेरठ–नगली .. एक बस
51—खतौली–शाहपुर–मेरठ .. एक बस
52—खतौली–बुढ़ाना–मेरठ .. एक बस
53—खतौली–बुढ़ाना–दिल्ली .. एक बस
54—खतौली–मीरापुर–दिल्ली .. एक बस
55—मुजफ्फरनगर–दिल्ली .. तीन बसें

मुजफ्फरनगर डिपो

56—मु0 नगर–लखनऊ–मुरादाबाद–बरेली .. पाँच बसें
57—मु0 नगर–ऋषिकेश–हरिद्वार–दिल्ली .. चौदह बसें
58—मु0 नगर–देहरादून–दिल्ली .. दो बसें
59—मु0 नगर–आगरा .. एक बस
60—मु0 नगर–मथुरा .. एक बस
61—मु0 नगर–हल्द्वानी .. एक बस
62—मु0 नगर–हापुड़ .. दो बसें
63—मु0 नगर–करनाल .. दो बसें
64—मु0 नगर–मेरठ .. पाँच बसें
65—मु0 नगर–नावला .. एक बस
66—मु0 नगर–शाहपुर– गोयला–कुतबामुरक्का नौ बसें
67—मु0 नगर–रुढ़की–पुरकाजी–खेराजट .. पाँच बसें
68—मु0 नगर–बसेरा–खाईखेडी .. पाँच बसें
69—मु0 नगर–बढ़ीवाला–पुरकाजी .. तीन बसें
70—मु0 नगर–राजपुर–गोपाली .. दो बसें
71—मु0 नगर–खुडडा–नगला .. दो बसें

रुड़की डिपो

72—रुड़की–देहली–हरिद्वार–ऋषिकेश .. बारह बसें
73—रुड़की–देहरादून–दिल्ली .. दो बसें
74—रुड़की–मु0 नगर .. तीन बसें
75—रुड़की–मंगलौर .. दो बसें
76—रुड़की–रहमतपुर .. दो बसें

गढ़मुक्तेश्वर डिपो

77—मेरठ–बरेली	.. दो बसें
78—गढ़0–ऋषिकेश–दिल्ली	.. दो बसें
79—धामपुर–दिल्ली–मेरठ	.. एक बस
80—मेरठ–दिल्ली	.. चार बसें
81—मेरठ–रामपुर	.. एक बस
82—मेरठ–पीलीभीत	.. एक बस
83—गढ़0–दिल्ली–काठ0–बरेली	.. दो बसें
84—मेरठ–नगीना दिल्ली	.. तीन बसें
85—मेरठ–धामपुर	.. चार बसें
86—मेरठ–बिजनौर	.. एक बस
87—गढ़0–मु0 नगर– दिल्ली–पूठ	.. दो बसें
88—मेरठ–झरीना–भरना	.. दो बसें
89—महलवाला–किठोर–हापुड़	.. पाँच बसें
90—किठौर–बोदरा–मवाना	.. चार बसें
91—मेरठ–मुरादाबाद–गढ़0	.. छह बसें

(ह0) अस्पष्ट
क्षत्रीय प्रबन्ध क,
मरठ।

ऐसे मार्गों की सूची जिन पर अनुबन्धित बसें चलती हैं

मेरठ डिपो

1—यू0 आर0 जे0–1202	मेरठ–गाजियाबाद–हरिद्वार एव मेरठ–गाजियाबाद–मु0 नगर
2—य0 आर0 जे0–1302	तदैव
3—य0 एच0 एन0–211	तदैव
4—यू0 एच0 एन0–48	तदैव
5—यू0 एच0 एन0–205	तदैव
6—य0 आर0 जे0–2264	तदैव
7—यू0 एच0 डी0–772	तदैव
8—यू0 एच0 डी0–732	तदैव
9—यू0 एच0 एन0–41	तदैव
10—यू0 एच0 एन0–94	तदैव
11—यू0 एच0 डी0–991	तदैव
12—यू0 एच0 डी0–845	तदैव
13—यू0 एच0 डी0–822	तदैव
14—यू0 एच0 एन0–111	तदैव
15—यू0 आर0 जे0–1137	मेरठ–मु0 नगर–गाजियाबाद
16—यू0 आर0 जे0–1692	तदैव
17—यू0 एच0 डी0–322	तदैव
18—यू0 आर0 जे0–3025	तदैव
19—यू0 ए स0 सी0–9472	तदैव
20—यू0 टी0 एल0–7625	तदैव

21—यू0 आर0 जे0–6336	मेरठ–मु0 नगर–गाजियाबाद
22—यू0 आर0 जे0–9526	तदैव
23—यू0 आर0 जे0–2041	तदैव
24—यू0 एच0 डी0–761	तदैव
25—यू0 आर0 जे0–865	तदैव
26—यू0 एच0 डी0–990	तदैव
27—यू0 एच0 एन0–61	तदैव
28—यू0 एच0 डी0–952	तदैव
29—यू0 आर0 एम0–8432	तदैव
30—यू0 एस0 सी0–7952	मेरठ–लावड–गाजियाबाद
31—यू0 आर0 जे0–383	मेरठ–डिडोली–गाजियाबाद
32—यू0 एच0 डी0–574	तदैव
33—यू0 एस0 सी0–7791	मेरठ–गाजियाबाद
34—यू0 एस0 वाई0–5801	तदैव
35—यू0 एस0 सी0–6611	तदैव
36—यू0 टी0 एम0–1297	तदैव
37—य0 एस0 वाई0–9082	तदैव
38—यू0 एस0वाई0–6005	तदैव
39—यू0 आर0 जे0–992	तदैव
40—यू0 एच0 एन0–251	तदैव
41—यू0 आर0 जे0–1412	तदैव
42—यू0 एस0 सी0–9982	तदैव
43—यू0 एच0 डी0–382	तदैव
44—यू0 आर0 के0–2336	तदैव
45—य0 एच एन0–215	तदैव
46—यू0 एच0 डी0–212	तदैव
47—यू0 एच0 एन0–108	तदैव
48—यू0 एस0 सी0–9853	तदैव
49—य0 एच0 एन0–280	तदैव
50—यू0 एच0 डी0–508	तदैव
	मु0 नगर डिपो
51—यू0 आर0 जे0–2419	मेरठ–रुड़की
52—यू0 आर0 जे0–925	तदैव
53—यू0 आर0 जे0–1304	तदैव
54—यू0 आर0 जे0–1303	तदैव
55—यू0 एच0 डी0–509	तदैव
56—यू0 एच0 डी0–899	तदैव
57—यू0 एच0 डी0–905	तदैव
58—यू0 टी0 एक्स0–7662	मुजफ्फरनगर–रुड़की
59—यू0 आर0 एम0–8540	तदैव
60—यू0 टी0 एक्स0–6456	तदैव
61—यू0 टी0 एक्स0–5101	तदैव
62—यू0 एस0 वाई0–6191	तदैव
63—यू0 टी0 एक्स0–5466	तदैव

64—यू0 आर0 जे0—4	मु0 नगर—मेरठ
65—यू0 एस0 वाई0—6912	तदैव
66—यू0 एस0 सी0—8152	तदैव
67—यू0 एस0 सी0—5433	तदैव
68—यू0 एस0 सी0—6698	तदैव
69—यू0 एच0 एन0—268	मुजफ्फरनगर—शिकोहाबाद
70—यू0 एच0 डी0—712	मुजफ्फरनगर—फिरोजाबाद
71—यू0 एच0 एन0—74	तदैव
72—यू0 पी0 पी0—7225	मु0 नगर—मथुरा
73—यू0 एच0 डी0—923	तदैव
74—यू0 एच0 डी0—878	मुजफ्फरनगर—मुरादाबाद
75—यू0 टी0 एक्स0—7650	तदैव
76—यू0 टी0 एस0—1010	मेरठ—देहरादून
77—यू0 आर0 जे0—1301	मुजफ्फरनगर—गाजियाबाद
78—यू0 एच0 डी0—987	तदैव
79—यू0 एच0 एन0—75	तदैव
80—यू0 एच0 डी0—777	तदैव
81—यू0 एच0 एन0—18	तदैव
82—यू0 एच0 एन0—35	गाजियाबाद—पुरकाजी
83—यू0 एच0 एन0—121	तदैव
84—यू0 एच0 एन0—27	तदैव
85—यू0 आर0 सी0—2213	मुज्फ्फरनगर—मेरठ
86—यू0 आर0 जे0—1025	मेरठ—रुड़की

शोरावगेट डिपो

87—यू0 एच0 एन0—11	मेरठ—आगरा/मेरठ—मढ़ 0
88—यू0 एच0 एन0—26	तदैव
89—यू0 एच0 एन0—84	तदैव
90—यू0 एच0 डी0—299	तदैव
91—यू0 एच0 डी0—646	तदैव
92—यू0 एच0 डी0—655	तदैव
93—यू0 एच0 डी0—985	तदैव
94—यू0 आर0 एम0—4193	तदैव
95—यू0 एच0 डी0—667	तदैव
96—यू0 एच0 एन0—214	मेरठ—आगरा/मु0 नगर—गाजियाबाद
97—यू0 एच0 डी0—363	तदैव
98—यू0 आर0 जे0—7262	तदैव
99—यू0 आर0 जे0—9591	तदैव
100—यू0 एच0 एन0—104	मेरठ—मथुरा/मेरठ—अलीगढ़
101—यू0 एच0 डी0—640	तदैव
102—यू0 आर0 जे0—2174	तदैव
103—यू0 एच0 एन0—306	तदैव
104—यू0 आर0 एम0—8031	तदैव
105—यू0 एस0 वाई0—8744	तदैव

106—यू0 एच0 एन0–242
107—यू0 एस0 सी0–5871
108—यू0 आर0 जे0–2382
109—यू0 एच0 डी0–765
110—य0 आर0 जे0–2112
111—यू0 आर0 जे0–5754
112—यू0 एच0 एन0–99

मेरठ–मथुरा/मु0नगर0–गाजियाबाद
तदैव
मेरठ–एटा/मेरठ–अलीगढ़
तदैव
मेरठ–हाथरस
मेरठ–मु0 नगर–गाजियाबाद
मेरठ–गढ़0/मेरठ–आगरा

(ह0) अस्पष्ट
क्षेत्रीय प्रबन्धक,
मेरठ।

पी0एस0यू0पी0–एल0 95 वि0 सभा (134)–1985–813।